लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

PARLIAMENT LIB
66222
[illegible]

सत्यमेव जयते

Preservation Date 12-8-94
Fumigated On D-3-84
Parliament Library

[खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XI Contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 17 मार्च, 1972/27 फाल्गुण, 1893 (शक)

No. 5, Friday, March 17, 1972/Phalguna 27, 1893 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
61.	सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के लाभ के लिये प्रस्तावित विभिन्न उपाय	Various Measures contemplated for benefit of the Employees of Armed Forces ...	—1
62.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय युद्धबन्दियों की तथा कथित हत्या	Alleged killing of Indian POWs. by Pakistan ...	—2
63.	कराधान सम्बन्धी वांचू समिति का प्रतिवेदन	Report of Wanchoo Committee on Taxation ...	—4
64.	बम्बई और कोचीन के बीच यात्री आवागमन	Passenger Traffic between Bombay and Cochin ...	—6
65.	बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन	Report of the Banking Commission ...	—9
66.	22 फरवरी 1972 को पश्चिमी जर्मनी के बोइंग 747 जम्बो जेट विमान का पालम हवाई अड्डे से उडान लेने के पश्चात् अपहरण किया जाना	Hijacking of West German Boeing 747 Jumbo Jet after its take off from Palam Airport on 22.2.72	—10
69.	उत्तर प्रदेश को दिये गये ऋण	Loans given to Uttar Pradesh	—11
70.	कृषि तथा उपेक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की रुचि	Interest of Nationalised Banks in Agricultural and Neglected Sectors ...	—13

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता. प्र. संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
71.	चीन द्वारा माध्यमिक दूरी की मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना	Deployment of IRBMS by China ...	—16
73.	बैंक ऋण में कमी	Decline in bank credit	—17

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या S. Q. No.			
66.	पर्यटकों के लिये मोटल और शिविर स्थल बनाने की योजना	Scheme to Establish Motels and camping Sites for Tourists	—20
68.	देश में औषधियों के मूल्यों में कमी लाने के उपाय	Steps to bring down prices of Drugs in the country ...	—20
72.	भारत में पनडुब्बियों का निर्माण	Manufacture of Submarine in India ...	—21
74.	जियारत के लिये मुसलमानों को विदेशी मुद्रा का आवंटन	Allocation of Foreign Exchange to Muslims for Ziarat ...	—21
75.	भारत पाक युद्ध भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जीते गये गाँव	Villages Captured by Indian and Pakistani Armies in Indo-Pak War	—21
76.	पैराफीन और अन्य प्रकार के मोम का राज्यवार आवंटन	State-wise Allocations of Paraffin and other Waxes ...	—22
77.	तेल की खोज के लिये बंगला देश के साथ संयुक्त उपक्रम	Joint Venture with Bangla Desh for Oil Exploration	—23
78.	मिट्टी के तेल की कमी	Shortage of Kerosene Oil	—23
79.	गुजरात स्थित धुवर्ण बिजली घर को अवशिष्ट इंधन तेल की सप्लाई	Supply of Residual Fuel Oil to Dhuvaran Power House in Gujarat ...	—24
80.	युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Women Whose Husbands were killed in war ...	—24

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.			
450.	युद्ध के कारण विधवा हुई महिलाओं की सहायता के लिये शुरु की गई योजनाओं के लिये राज्यों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to States for Schemes to help War Widows ...	—25

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
451.	बरौनी तेल शोधक कारखाने में स्लैक मोम का उत्पादन	Production of Slack Wax at Barauni Refinery	—25
452.	बरौनी स्लैक मोम के प्रयोग के लिये इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा किये गये परीक्षण	Experiments conducted by Indian Oil Company for the use of Barauni Slack Wax ...	—26
453.	मोम के विभिन्न किस्मों के उत्पादन तथा माँग के अन्तर को कम करने के लिये कार्यवाही	Steps to bridge the gap between demand and production of various types of wax ...	—26
454.	भारत पाक युद्ध के दौरान हिन्द महासागर में अमरीकी पनडुब्बी की गतिविधियां	Operation of U. S. Submarine in Indian Ocean during Indo-Pak. War	—28
455.	पैराफीन मोम के उत्पादन को बढ़ाने के लिये नाईलोन फिल्टरों का आयात	Import of Nylon Filters for increasing production of Paraffin Wax ...	—28
456.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन) से करों की वसूली	Realisation of Taxes from Indian National Congress and Indian National Congress (0) ...	—28
457.	तेल और प्राकृतिक गैस पर गुजरात राज्य को रायल्टी	Royalty to Gujarat State on Oil and Natural Gas	—29
458.	उत्तर प्रदेश से शराब का निर्यात	Export of Alcohol from U. P.	—29
459.	बंगला देश से भारत को वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of articles from Bangla Desh into India ...	—30
460.	भारत द्वारा परमाणु हथियारों का उत्पादन	Production of Atomic Weapons by India ...	—30
461.	आवश्यक वस्तुओं के मूल्य	Prices of Essential Commodities ...	—31
462.	भारत को अमरीकी सहायता बन्द होना	Suspension of American Aid to India ...	—31
463.	हिन्दी फिल्मों के अवैध निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा में हानि	Loss of Foreign Exchange due to illegal export of Hindi films ...	—32
464.	भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल की गतिविधियों में विस्तार	Expansion in the activities of UNMOG IP ...	—32
465.	सरकारी उपक्रमों में खपाये जाने के लिये प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों से विकल्प	Option from Deputationist for absorption in Public Undertakings ...	—33

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
466.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के पुर्नविलोकन के लिये आयोग की स्थापना	Setting up of Commission for Reviewing the working of Public Sector Undertakings. ...	—34
468.	राज्यों के ऋण भार के वारे में जाँच	Enquary into Debt Burden of States ...	—35
469.	भारत में साबुन बनाने के कारखाने	Soap Factories in India	—35
470.	मजूरी का उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना	Linking of Wages of Government Employees with Productivity ...	—37
471.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowances to Central Government Employees	—37
472.	सरकारी उपक्रमों द्वारा निष्पादन बजट बनाने की पद्धति का अपनाया जाना	Adoption of performance Budget by Public Undertakings ...	—37
473.	पाकिस्तानी सेना द्वारा आत्म समर्पण के सन्देश को अमरीकी अधिकारियों द्वारा भारत को भेजने में विलम्ब	Delay by US Authorities in Transmitting Surrender Message of Pak Army to India ...	—38
474.	आय कर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities ...	—38
475.	भारत पाक युद्ध के दौरान मारे गये/अपंग/घायल सैनिकों के परिवारों को सहायता देने हेतु वनाई गई योजना	Scheme framed for Assisting the Families of the Soldiers killed, Disabled or injured during the Indo Pak War ...	—39
476.	युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए सैनिकों के पुत्रों को सेना में उच्च पदों पर नियुक्ति के लिये प्राथमिकता देना	Preference to the Sons of War Victims for Higher Posts in Army ...	—39
477.	भारतीय हिरासत में पाकिस्तानी युद्ध बन्दी	Pakistani POWs in Indian Custody ...	—39
478.	बंगला देश से आये शरणार्थियों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिये लगाये गए नये कर	New Taxes levied for Meetieg Expenditure on Refugees from Bangla Desh ...	—40
479.	पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दी	Indian Prisoners of War in Pakistan ...	—40
480.	पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन	Violation of Cease fire by Pak Forces ...	—41

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
481.	केरल में समुद्र तट और लक्कादीव द्वीप समूहों के बीच तेल मिलने की सम्भावना	Possibility of Oil being found between Kerala Coast and Laccadive Islands ...	—41
482.	केरल सरकार द्वारा कास्टिक क्लोरिन संयंत्र के लिये रेक्टिफायर का आयात	Import of Rectifier by Kerala Government for Caustic Chlorine Plant ...	—42
483.	दरभंगा जिले में झंझारपुर के निकट बलिराजपुर में पर्यटन केन्द्र खोलने का प्रस्ताव	Proposal to open Tourist Centre in Balirajpur near Jhanjharpur in Darbhanga District ...	—42
484.	बिहार राज्य के दरभंगा में हवाई अड्डा	Aerodrome at Darbhanga in Bihar ...	—42
485.	विदेशों से आर्थिक सहायता का बन्द होना	Stoppage of Economic Aid from Abroad ...	—43
486.	मद्रास में प्रतिरक्षा संस्थानों के लिये भवन का निर्माण	Construction of Buildings for Defence Establishments in Madras ...	—43
487.	विदेशों से आर्थिक सहायता	Financial Assistance from Foreign Countries ...	—43
488.	युद्ध संबंधी भारतीय साज सामान का भारत पाक युद्ध में कार्य निष्पादन	Performance of Indigenous War Equipment in the Indo Pak War ...	—4
489.	कालीकट में युवक होस्टल	Youth Hostel at Calicut ...	—45
490.	इंडियन एयरलाइन्स द्वारा प्रमुख मार्ग पर बोइंग 737 जेट विमानों की रात्रि सेवाएं	Introduction of Night Boeing 737 Jet Flights on Trunk Routes by Indian Airlines ...	—45
491.	आयातित कच्चे तेल के अधिक मूल्य की मांग	Demand for Higher Prices of Imported Crude ...	—45
492.	कृषि आय पर कर	Tax on Agricultural Income	—46
493.	इंडियन एयरलाइन्स के पुराने विमानों को बदलने की योजना	Scheme to Replace Old Aircrafts of Indian Airlines ...	—43
494.	एकाधिकार आयोग को औद्योगिक लाइसेंस के लिये दिये गये आवेदनपत्र	Applications for Industrial Licences referred to Monopolies Commission ...	—47
495.	पाकिस्तान की हिरासत में मरे भारतीय युद्ध बंदी	Indian POWs held in Pak Custody ...	—48
496.	आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के पुनर्विन्यास हेतु पेनल का गठन	Setting up of a Panel regarding Re-orientation of Economic and Industrial Policy ...	—48

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subjeet	पृष्ठ Pages
497.	राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का पुनर्गठन	Reconstitution of Board of Directors of Nationalised Banks ...	—48
498.	भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम	Directors of Industrial Credit and Investment Corporation of India ...	—48
499.	हिमाचल प्रदेश को ऋण	Loans to Himachal Pradesh ...	—50
500.	मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Shahdol District, Madhya Pradesh ...	—50
501	नये तेल शोधक कारखानों का खोला जाना	Opening of new oil Refineries	—50
502.	छटे वित्त आयोग की स्थापना	Setting up of Sixth Finance Commissioner ...	—51
503.	मूल्यों में वृद्धि	Rise in prices ...	—51
504.	अरब सागर और खम्भात की खाड़ी में तेल के लिये सर्वेक्षण	Survey for oil in Arabian Sea and Gulf of Cambay ...	—52
505	भारत द्वारा बंगला देश को विमानों की सप्लाई के बारे में करार	Agreement for supply of Aircrafts to Bangla Desh by India ...	—53
506	जापान से ऋण के संबंध में समझौते	Agreement for credit from Japan ...	—53
507.	ब्रिटेन से वित्तीय सहायता	Financial aid from Britain	—54
508	आयात/निर्यात बैंक की स्थापना	Setting up of Import/Export Bank ...	—54
509	गुजरात आने वाले विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists visiting Gujarat ...	—55
510.	भोपाल तथा रायपुर के बीच हवाई सम्बन्ध स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to link Bhopal with Raipur by Air ...	—55
511.	मैसर्स बोल्गा रेस्टोरेंट, दिल्ली से धनकर की वसूली	Recovery of Wealth Tax from M/s Volga Restaurant, Delhi ...	—56
512.	भारत में विदेशी पूंजी निवेश	Foreign Investment in India	—56
513	पूर्वी क्षेत्र में बैंक सम्बन्धी सुविधाएं	Banking Facilities in Eastern Region ...	—57
514.	गुजरात में तेल बन्दरगाह	Oil Port in Gujarat ...	—57
515.	युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों की देखभाल	Care of Dependents of Personnel killed in War ...	—58
516.	मद्रास में अवाड़ी कारखाने में हड़ताल	Strike in Avadi Factory in Madras ...	—59

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subjeci	पृष्ठ Pages
517.	युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं की स्थिति	Condition of War Windows	—59
518.	युद्ध के दौरान हुई जन धन की हानि का अनुमान	Assessment of Losses in Men and Material during War	—60
519.	तेल शोधनशाला में सहयोग के सम्बन्ध में भारत ईराक तकनीकी वार्ता	Indo Iraq Technical Talks for Collaboration in an Oil Refinery	—60
520.	मैंसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड	M/s Golcha Properties (Private) Limited	—61
521.	गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड से आय कर की वसूली	Recovery of Income Tax from Golcha Properties (Private) Limited	—61
522.	मैंसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा दी गई धनराशि	Amount advanced by M/s Golcha Properties (Private) Limited	—62
523.	स्थल सेनाध्यक्ष का विदेशों का दौरा	Visit by Chief of Army Staff Abroad	—63
524.	डुबई और कुवैत से सोने, चांदी की तस्करी	Smuggling of Gold and Silver from Dubai and Kuwait	—63
525	ऋण देने वाली संस्थाओं और जीवन बीमा निगम द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील इंडस्ट्रीज आदि में शेयर के रूप में धन लगाना	Money invested as Shares by Credit Institutions and LIC in Tata Iron and Steel Industries etc.	—64
526.	कोचीन तथा बम्बई के बीच सीधी हवाई उड़ान फिर से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Resume Direct Flight between Cochin and Bombay	—66
527.	राज्यों द्वारा निश्चित राशि से अधिक धन निकालना	Overrafts by States d	—66
528.	एयर इंडिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत	Complaints against Air India, New Delhi	—67
529.	एयर इंडिया द्वारा लागू किये गये भ्रमण किराये	Excursion Fares Introduc d by Air India	—68
530.	ताड़ेपल्लीगुडम के स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि कार्यों के लिये दिया गया ऋण	Advances given by S.B.I. Tadepalliguden for Agricultural Purposes	—68

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
531.	भारत में पाकिस्तानी युद्ध बन्दियों के भागने के मामले की जाँच	Enquiry into the escape of Pak. Prisoners of War in India ...	—69
532.	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अलकोहल की सप्लाई	Supply of Alcohol to Various States by Uttar Pradesh Government ...	—69
533.	इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कोच सेवा के लिये अतिरिक्त किराया लिया जाना	Additional fare for Coach Service Charged by Indian Airlines ...	—70
534.	सफदरजंग हवाई अड्डे के बारे में निर्णय	Decision on Safdarjang Airport ...	—70
535.	घायल और विक्लांग सैनिकों को उनकी सेवाओं के बारे में दिया गया आश्वासन	Assurances Given to Injured and Disabled Soldiers in respect of their Services ...	—70
736.	भारत और पाकिस्तान के सैनिक कमान्डरों के बीच होट लाइन टेलीफोन की व्यवस्था	Hot Line Telephone Connections between Military Commanders of India and Pakistan ...	—70
537.	पाक सेनाओं द्वारा जलालाबाद सेक्टर में युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	Violation of Cease fire by Pak Troops in Jalalbad Sector ...	—71
538.	भारत और पाकिस्तान के बीच घायल युद्ध बन्दियों की अदला बदली	Exchange of wounded POWs between India and Pakistan ...	—71
539.	उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन	Violation of cease fire Line by Pak Forces in Uri Sector ...	—72
540	भारत के लिये अमरीकी सहायता का बन्द किया जाना	Stoppage of US Aid to India ...	—72
541.	महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व में पड़े पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के अनिर्णीत मामले	Pending Pension and other cases with AGCR ...	—73
542.	भारत के विदेशी ऋणों, निर्यात तथा आयात पर डालर अवमूल्यन का प्रभाव	Impact of devaluation of dollar on India's foreign Debts, Exports and Imports ...	—73
543.	हलवाड़ा से सैन्य नक्शों की चोरी	Theft of Army Maps from Halwara ...	—74
544.	विश्व बैंक के अध्यक्ष की भारत की यात्रा	World Bank President's visit to India ...	—74

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
545.	पाकिस्तान वायु सेना द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण	Violation of Indian Air space by Pak Air Force ...	—75
546.	छोटे सिक्कों की कमी	Shortage of Small Coins	—75
547.	विदेशी दवाई फार्मों को हाथ में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over foreign drug firms ...	—76
548.	चीनी, गुड़ और खांडसारी के स्टाक पर दिये जाने वाले बैंक ऋण पर नियंत्रण	Control on Bank advances against Sugar, Gur and Khandsari ...	—76
549.	सफदरजंग हवाई अड्डे से विमान बसों/विमान/टैक्सियों को चलाने के सम्बन्ध में निर्णय	Decision to operate air buses air taxis from Safdarjang Airport	—78
550.	बीजक में गड़बड़ घोटाला से विदेशी मुद्रा की चोरी	Leakage of foreign Exchange through invoice manipulation ...	—78
551.	पेट्रोल व्यापारी संघ का ज्ञापन	Memorandum from Petrol Dealers Association ...	—78
552.	विदेशी तेलशोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Foreign Oil refineries ...	—79
553.	इंडियन एयरलाइन्स की केरल से उडानों की समय सूची	Time Schedule of Indian Airlines flights from Kerala ...	—79
554.	भारत नेपाल विमान परिवहन करार	Indo Nepal Air Transport Agreement ...	—79
555.	पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता	Financial assistance to West Bengal ...	—80
556.	गैर कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of non-commissioned Officers ...	—80
557.	भारतीय रुपये का अवमूल्यन	Devaluation of Indian Rupee	—81
558.	चिल्का लेक के पास नौ सेना प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिये प्रस्ताव	Proposal for Naval Training Centre Near Chilka Lake ...	—81
559.	मूल्यों को स्थिर रखने के लिये निगम की स्थापना	Setting up of Corporation to Stabilise prices ...	—81
560.	नाइजीरिया द्वारा कच्चा तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव	Offer by Nigeria for Supply of crude Oil to India —	—81
561.	तृतीय वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of report by third Pay Commission ...	—82

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Sabject	पृष्ठ Pages
562.	लेखा परीक्षा का काम कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में होना	Concentration of Audit Work in the Hands of a Few Big Firms ...	—82
563.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी करना	Reduction in Imports of Crude Oil by Foreign Oil Companies ...	—83
565.	बरौनी तेल शोधक कारखाने का त्रुटीपूर्ण डिजाइन	Faulty Design of Barauni Oil Refinery ...	—83
566.	भारत पाकिस्तान युद्ध (1971) में मार गिराये गये पाकिस्तान के विमानों की संख्या	Number of Pakistani Planes Shot Down in Indo-Pak War (1971) ...	—84
567.	काले धन का पता लगाना	Unearthing of Unaccounted Money ...	—84
568.	पटना, नालन्दा वैशाली तथा राजघिर पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up Tourist Centres at Patna, Nalanda, Vaishali and Rajghir ...	—84
569.	मद्रास से महाबलिपुरम तक हैलीकोप्टर सेवा चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to Start Helicopter Service from Madras to Mahabalipuram ...	—85
570.	हल्दिया बरौनी कानपुर पाइपलाइन पर पैट्रोलियम उत्पादों की चोरी	Pilferage of Petroleum Products on Haldia Barauni Kanpur Pipeline ...	—85
571.	राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालने संबंधी समिति	Committee on Overdrafts by States ...	—86
572.	भारत में पर्यटन के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मिशन का प्रतिवेदन	United Nations Development Programme Report on Tourism in India ...	—86
573.	घूस लेने के आरोप में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के विपणन उप-प्रबन्धक के विरुद्ध जांच	Enquiry against Deputy Marketing Manager of Fertilizer Corporation of India, Trombay for Accepting Bribe	—87
574.	भारतीय तेल निगम, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायत	Complaint against IOC Calcutta ...	—87
575.	देवनहाट और पण्डीबारी, कूच बिहार राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks at DEWANHAT and Pandibari Cooch Behar ...	—88
576.	शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकारी की नियुक्ति	Appointment of Educational Advisers in Ministry of Education	—88
577.	कूच बिहार फूलवाड़ी रंगपुर सड़क पर सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य किया जाना	Work by Border Roads Organisation on Cooch Behar Fulbari Rangpur Road ...	—88

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
578.	भारतीय नौ सेना को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव	Proposal for Strengthening Indian Navy ...	—89
579.	परमाणु बमों के निर्माण के लिये प्रस्ताव	Proposal to Manufacture Nuclear Bombs ...	—89
580.	युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं के दावों का निपटान	Settlement of Claims of War Widows	—89
581.	विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार	Agreements with Foreign Oil Companies ...	—90
582.	किसानों को बैंक ऋण	Bank Loans to Farmers	—90
583.	आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax	—91
584.	इण्डियन आयल कारपोरेशन के मामले को पाइप लाइन जाँच आयोग के समक्ष पेश करना	Presentation of IOC's Case before Pipeline Enquiry Commission ...	—92
585.	प्रमुख हवाई अड्डों के लिए स्वायत्त संगठन की नियुक्ति	Setting up of an autonomous organisation for Major Airports ...	—93
586.	नेशनल इरानियम आयल कम्पनी द्वारा डेरियस अशोधित तेल के मूल्य में कमी किया जाना	Reduction in price of Darius Crude by National Indian Oil Company ...	—93
587.	कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम	Son-et-Lumiere in Konark ...	—94
588.	गैर बैंककारी वित्तीय संस्थाओं, निगमों और चिट फंडों पर नियंत्रण	Control on non-banking Financial Institutions, Corporations and Chit Funds ...	—94
589.	आसाम और गुजरात में नये तेल शोधक क्षेत्रों का पता लगना	New Oil bearing areas found in Assam and Gujarat ...	—94
590.	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilisers	—95
591.	मैसर्स बोलगा रेस्टोरेंट, दिल्ली के भागीदारों द्वारा सम्पत्ति कर का ब्यौरा देना	Filling of Wealth tax returns by the Partners of M/s Volga Restaurant Delhi ...	—95
592.	कम्पनियों के असुरक्षित ऋणों की अधिकतम सीमा	Ceiling on the unsecured loans of Companies ...	—96
593.	भारत में परिवहन परियोजनाओं के लिये विश्व बैंक की सहायता	World Bank's aid for Transport projects in India ...	—97
594.	ब्रिटेन से वित्तीय सहायता	Financial Assistance from U.K. ...	—97

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
595.	भारत पाक युद्ध में भारतीय नौ सेना द्वारा किया गया कार्य	Performance of Indian Navy in Indo Pak. War ...	—97
596.	विदेश कर डिवीजन	Foreign Tax Division ...	—98
597.	शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता करने के लिये राष्ट्रीय बैंकों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं	Scheme operated by nationalised banks to help Educated/ Uneduated unemployed ...	—98
599.	फारस की खाड़ी के देशों और पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों के बीच समझौता	Agreement between Persian Gulf States and Western Oil Companies ...	—99
600.	रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की ऋण नीति	Credit policy of the Reserve Bank of India ...	—99
601.	आई०एन०एस० खुकरी के सम्बन्ध में जांच	Enquiry regarding INS Khukri ...	—100
602.	भारत पाक युद्ध में हताहतों की संख्या	Indian Casualties in the Indo Pak War ...	—100
603.	युद्ध की हानि को पूरा करना	Recoupment of War Losses	—101
604.	देशीय तथा अन्तर्देशीय विमान सेवाओं का विस्तार	Expansion of Internal and External Air Services ...	—101
605.	बेटला नेशनल पार्क, पालामऊ (बिहार) में एक पर्यटक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up a Tourist Centre Betla National Park, Palamau ...	—102
606.	बिहार में सैनिक स्कूल खोलना	Opening of Sainik Schools in Bihar ...	—102
607.	तेल के टैंकर खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण	Loan from International Development Association for Purchase of Oil Tankers ...	—102
608.	बेजोरिया जलाम ग्रुप के आधीन कार्य करने वाली कम्पनियाँ	Companies Functioning under Bajoria-Jalan Group ...	—103
609.	पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय के बारे में संयुक्त राष्ट्र अध्ययन दल के निष्कर्ष	Findings of U. N. Study Team regarding Foreign Exchange Earnings from Tourism ...	—104
610.	भारत में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ	Profits made by Foreign Drug Firms in India ...	—104
611.	मैसर्स वोल्गा रेस्टोरेंट एण्ड टी ग्रुप से आयकर की वसूली	Realisation of Income Tax from M/s Volga Restaurant and the Group ...	—105

अत: प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
612.	जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगपतियों को दिया गया ऋण	Loan given to Industrialists by LIC ...	—105
613	परम्परागत और आधुनिकतम शस्त्रों में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही	Steps to Attain Self Sufficiency In Conventional and Sophisticated Weapons ...	—106
614.	कानपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये अवास का नियमतीकरण	Regularisation of Accommodation for Defence Employees in Kanpur ...	—106
615.	प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध कैंटीन कर्मचारियों के लिए सुविधायें	Facilities for Canteen Employees Attached to Defence Installations ...	—106
616.	डाक द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं और समाचार पत्रों पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त करना	Withdrawal of Extra Levies on Postal article and Newspapers ...	—107
617.	होटल अकबर, नई दिल्ली	Hotel Akbar, New Delhi	—107
618.	सैनिक आवश्यकताओं में स्वावलम्बी होना	Self Reliance in Defence Requirements ...	—107
619.	एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स को हो रहे घाटे को कम करने के उपाय	Steps to reduce the deficit in Air India and Indian Airlines ...	—108
620.	मुद्रास्फीति रोकने के लिए अपनाए गए उपाय	Methods adopted to curb Inflation ...	—109
621.	राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना	Conducting of Economic Survey by NCAER ...	—109
622.	विश्व बैंक से सहायता	World Bank Aid ...	—109
623.	बिहार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Bihar	—110
624.	बिहार में पर्यटन केन्द्रों पर होटल बनाने का प्रस्वाव	Proposal to construct Hotels at Tourist Centres in Bihar ...	—111
625.	पटना हवाई अड्डे का विकास	Development of Patna Air Port ...	—111
626.	पैट्रोलियम उत्पादों का आयात	Import of Petroleum products	—112
627.	कलकत्ता सिलचर क्षेत्र में शटल विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Shuttle Air Service on Calcutta Silchar Sector ...	--112

अता. प्र. संख्या U. S. Q. No.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
628.	दूसरा उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए स्थान के बारे में निर्णय	Decision on Location of Second Fertiliser Factory	—112
629.	टैलको द्वारा ट्रक उत्पादन क्षमता का विस्तार	Expansion of Truck Production by TELCO	—113
630.	कालीकट हवाई अड्डे के लिए कढ़ीपुर में निर्माण कार्य ।	Construction work in Karipur for Calicut Airport	—113
631.	शा वालेस कम्पनी	Shaw Wallace Company	—114
632.	नागर विमानन के विकास हेतु बंगला देश को सहायता	Aid to Bangla Desh for Development of Civil Aviation	—114
633.	मैसूर राज्य के ओवरड्राफ्ट	Overdraft by Mysore	—114
634.	देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता को कम उपयोग में लाया जाना	Under utilization of Fertilizer production capacity in the country	—115
635.	खड़कवासला अकादमी में विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता	Financial assistance to students at Khadakvasala Academy	—117
636.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले ड्यूटी भत्ते को वेतन का अंग समझना	Duty Allowance to Central Government Employees Emptreated as part of pay	—117
637.	भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम द्वारा दिए गए ऋण	Loans given by Industrial Credit and Investment Corporation of India	—118
638.	लोक निधि का अपव्यय रोकने संबंधी उपाय	Steps to avoid wastage of public money	—119
639.	पाइप लाईन जाँच आयोग द्वारा की गई प्रगति	Progress of Pipe lines Enquiry commission	—120
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	—121-123
	सैगोन में भारत विरोधी प्रदर्शन का समाचार	Reported anti-Indiarally in Saigon	—121
	श्री आर० के० सिंहा	Shri R. K. Sinha	—121
	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surender Pal Singh	—121
	सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	—124
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति नवां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings Ninth Report	—124-129 —130

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	—130
प्रवर समिति का प्रतिवेदन किये जाने के समय में वृद्धि	Extention of time for presentation of Select Committee Report	—130
राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति	Committee on the Conduct of a Member during President's Address	—131
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने कीअवधि में वृद्धि	Extension of time for Presentation of Report	—131
रेलवे बजट, 1972-73--सामान्य चर्चा	Railway Budget. 1972-73 General Discussion	—131
श्री मोहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	—131
श्री नाथू राम अहिरवार	Shri Nathu Ram Ahirwar	—132
श्री स्वर्ण सिंह सौखी	Shri Swaran Singh Sokhi	—133
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	—134
श्री डी० बसुमतारी	Shri D. Basumatari	—136
श्री था किरुत्तिनन	Shri Tha Kiruttinan	—137
श्री श्रीकिशन मोदी	Shrl Shrikrishan Modi	—140
श्री फूल चन्द वर्मा	Shri Phool Chand Verma	—140
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	—141
पंजाब के सम्बन्ध में उद्घोषणा का रद्द किया जाना	Revocation of Proclamation in relation to Punjab	—141
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	
नवां प्रतिवेदन	Ninth Report	—141
पुर:स्थापित किये गए विधेयक	Bills Introduced—	
(1) संविधान (संशोधन) विधेयक (नये अनुच्छेद 63 का अन्त:स्थापन और अनुच्छेद 64 आदि का लोप) डा० महिपतराय मेहता द्वारा	Constitution (Amendment) Bill Insertion of new article 63A and Omission of article 64, etc., by Dr. Mahipatray Mehta	—142
(2) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक (धारा 2,5 आदि का संशोधन)—श्री आर० पी० उलगनम्बी द्वारा	Chartered Accounts (Amendment) Bill (Amendment of sections 2, 5 etc.) by Shri R. P. Ulaganambi	—142
(3) फैक्टरी (संशोधन) विधेयक (नयी धारा 9 क का अन्त:स्थापन)—श्री एस० सी० सामन्त द्वारा	Factories (Amendment) Bill Insertion of new section 9A) by Shri S. C. Samanta	—143
(4) चलचित्र उद्योग कर्मकार विधेयक—श्री एस० सी० सामन्त द्वारा	Film Industry Workers Bill, by Shri S. C. Samanta	—143

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
(5) भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक (धारा 68 और 69 का संशोधन)—श्री एस० सी० सामन्त द्वारा	Indian Post Office (Amendment) Bill (Amendment of section 68 and 69) by Shri S. C. Samanta ...	—144
(6) संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 59, 66 आदि का संशोधन)—श्री एस० सी० सामन्त द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 59, 66. etc.) by Shri S. C. Samanta ...	—144
(7) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा 153 क का प्रतिस्थापन)—श्रीमती सुभद्रा जोशी द्वारा	Indian Penal Code (Amendment) Bill (Substitution of Section 153 A) by Shrimati Subhadra Joshi ...	—144
स्वतंत्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक—श्री शिब्बन लाल सक्सेना द्वारा वापस ले लिया गया	Freedom Fighters (Appreciation of Services) Bill-withdrawn by Prof. S. L. Saksena ...	—145
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	—145
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal ...	—146
श्री अनन्त प्रसाद धूसिया	Shri Anant Prasad Dhusia ...	—146
डा० कैलास	Dr. Kailas ...	—147
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri ...	—147
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	—147
श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी	Shri Swami Brahmanandji ...	—147
डा० गोबिन्द दास रिछारिया	Dr. Govind Das Richhariya ...	—148
श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ...	—148
श्री धामनकर	Shri Dhamankar ...	—148
श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे	Shri Vasantrao Purushottam Sathe	
श्री कृष्ण चन्द्र	Shri K. C. Pant	—149
श्री शिब्बन लाल सक्सेना	Prof. S. L. Saksena ...	—154
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 141 का संशोधन और नये अनुच्छेद 143 क आदि का अन्तःस्थापन)—श्री सी० एम० स्टीफन द्वारा	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 141 and insertion of new article 143A. etc.) by Shri C. M. Stephen ...	—155
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider ...	—155
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen ...	—155

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 17 मार्च, 1972/27, फाल्गुन 1893 (शक)
Friday, March 17, 1972/Phalguna 27, 1893 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

Various Measures Contemplated For the Benefit of the Employees of Armed Forces

*61 +**Shri Phool Chand Verma :**
Shri S. C Samanta :

Will the Minister of Defence be pleased to state the various measures contemplated for the benefit of the employees, jawans and officers of the three wings of the armed forces ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : Premsumably the Hon'ble Members are referring to the pay allowances of the personnel of the Armed Forces. If so, the structure of emoluments, including benefits in cash and kind, and death-cum-retirement benefits of personnel belonging to the Armed Forces are already under examination by the Pay Commission.

Shri Phool Chand Verma : Mr. Speaker, Sir, I would like to know from the hon. Minister whether he will impress upon the Pay Commission to submit its report early atleast with regard to pay and allowances of the deffence personnel of all the three services ?

Shri Vidya Charan Shukla : I think there is no possibilityfor it. The Pay Commission is so much overburdened with the job that it is difficult for it to submit a separate report for defence personnel. The hon. Member is aware that interim relief has already been given to employees. The report of the Pay Commission is expected very shortly and the moment we receive it, we will take immediate decision on it. The difference of few days is not going to matter much.

Shri Phool Chand Verma: The family pension for Jawans is given for wife and children but whether the Government is considering any scheme to include the dependents such as old aged parents and brothers and sisters of the Jawans in the definition of family for the purpose of family pension ? Is there any such scheme under consideration of the Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : It has already been provided in the present scheme to include the dependents of the Jawans and I think it will continue.

श्री एस०सी० सामन्त : हम इन व्यक्तियों के कल्याण कार्य के लिए गए गये विभिन्न उपायों के बारे में जानना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि तीसरे वेतन आयोग की किन-किन सिफारिशों को पूर्ण रूप से, तथा किन-किन को आँशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था और किन किन सिफारिशों को बिलकुल स्वीकार नहीं किया गया तथा उन्हें स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : तीसरे वेतन आयोग की रिपोर्ट तो अभी सरकार को प्राप्त होनी है। अतः अभी तो इस बात का प्रश्न ही नहीं उठता कि उसकी कौन सी सिफारिशें स्वीकार या अस्वीकार कर ली गई है। यह प्रश्न तो तभी उठेगा जबकि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशें हमारे पास पहुँच जायेंगीं।

Shri Ramavatar Shastri : Mr. Speaker, Sir, I would like to know whether it is obligatory on the part of the Government to allot its fallow land in various States to Jawans ? If so, how much such land has been given to Jawans in the from of assistance ?

Shri Vidya Charan Shukla : The provision is that cultiviable land should be given to ex-servicemen as a help. It is not essential to give fallow land only but we wish to give them cultiviable land also. But at the moment I am not equipped with the figures of land allotted as such. If hon. Member gives a separate notice, complete information will we made available to him.

Alleged Killing of Indian P. O. Ws. by Pakistan

+

***62. Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) Whether Government have received reports to the effect that Indian soldiers captured by Pakistan during the last Indo-Pak war are not being treated in accordance with the Geneva Gonvention and that a number of wounded Indian soldiers in Pakistani custody have been killed; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Chnran Shukla) : (a) Reports in respect of alleged inhuman treatment to Indian Army personnel in the hands of Pakistan have been received.

(b) The matter has been taken up with the International Committee of Red Cross in India for investigation and intervention.

Shri Shiv Kumar Shastri : I Would like to know the source of this information ? Whether this inhuman treatment also covers the killing of seriously wounded and sick soldiers ? Whether, from the information received from seriously wounded soldiers recently repatriated, Government is satisfied that Pakistani behavionr and medical arrangements for Indian POWs was satisfactory ?

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the information of inhuman treatment is concerned. we have collected this infornation from our own sources and this information is correct and authentic and that is why we have forwarded this information to the International Red Cross. The seriously wounded soldiers who have recently been repatriated were genrally behaved in accordance with Geneva Convention.

Shri Shiv Kumar Shastri : During Indo-Pak war, Pakistan announced that Pakistan has captured a large number of Prisoners of war, so I would like to know whether the list of POWs which has been given to International Red Cross has been tallied with the figures announced over Radio Pakistan and whether this figure is correct ? So far as my knowledge goes, it was announced by Radio Pakistan that an Indian aircraft has been knocked down and its pilot arrested. But the name of that pilot does not appear in the list of POWs. May I also know the source of this information of the Government ?

Shri Vidya Charan Shukla : Hon. Member is fully aware of the fact that during war Radio Pakistan used to broadcast many news which were far from the truth. If now a comparisonis made between those broadcasts and the facts of to-day, almost every news broadcast by Pakistan Radio would prove to be a white lie, Therefore, I will request the hon. Member not to compare the war-time news bulletins of Pakistan with the facts of to-day. But it is not a matter of much surprise that the list of POWs given by Pakistan tallies with our list of missing persons.

Shri Atal Behari Vajpayee : I am surprised to hear from the hon. Minister that the list of POWs given by Pakistan tallied with that of aors to a greater extent. It appears that hon. Minister has failed to clear the pasitian. In this context I would like to quote that on 13th. December when our Grenadiers and Gorkha battation were advancing towards Shakargarh about 50 soldiers of each of our these battalions were captured by Pakistani forces. But the names of these Pows do not appear in the list given by Pakistan. The name of a prominent wrestler Champion Subedar Singh is also not there. May I know if any effort has been made by the hon. Minister to collect this information and whether he can assure the country that our Pows in Pakistan will be given good treatment ?

Shri Vidya Charan Shukla: Besides the incident of in-human treatment of our POWs, we have not received any complaint and I can assure that generally our POWs in Pakistan are being treated well. We have got solid proof about the incidence of in-human treatment to which I have taken exception. Hon. Member is aware af the fact that recently we have got two lists through international agency and there is possibility of getting more lists in future. We have not got complete lists. That is what I wanted to say to Shri Shastri while replying to his question. According to our information about 800 persons of Border Security Force, Armed Force and Air Force were captured by Pakistani Army. But Pakistan has supplied us a list of 500 persons and that tallies with the list of missing persons. That way the lists received so for tallies with our list and we will tally the next list in the same way.

Shri Atal Behari Vajpayee : Mr. Speaker, Sir, my question has not been replied to. I made it very clear that Pakistan has not given the names of persons of Grenadiers battalion in its liit.

Shri Vidya Charan Shukla : I do not know the particular Brigade or Battalion to which those lists relate. I am talking of the list as a whole.

श्री इण्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूँ कि बंगला देश के फरीदपुर-कुशतिया क्षेत्र में लड़ने वाली चौथी माउटेंन डिविजन ने अपने प्रतिवेदन में यह बात विशेष रूप से कही है कि हमारे जो जवान पाकिस्तानी सेना द्वारा पकड़े गए थे वह बाद में न केवल मरे हुए ही पाए गए अपितु

उनके शरीरों को बुरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया गया था, यदि हां, तो इस तथ्य की सूचना अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को देने के साथ क्या सरकार यह भी देखेगी कि पाकिस्तानी सेना के जो लोग इस घृणित कार्य के लिये उत्तरदायी हैं उन्हें सजा दी जाए और उन पर भी उसी प्रकार युद्ध बंदियों की तरह मुकदमा चलाया जाये जैसा कि उन लोगों पर चलाया जा रहा है जिन्होंने कि बंगला देश की सिविल जनता पर जुल्म ढाये थे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : कुशतिया क्षेत्र के इस प्रकार के एक दृष्टांत की सूचना तो अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को दी जा चुकी है। अन्तर्राष्ट्रीय रेड क्रास को इस तरह की सूचना देने का उद्देश्य यही था कि वह इसकी अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार जाँच करके इसका उत्तरदायित्व निश्चित कर सके। हमने भी इस घटना को बहुत गम्भीरतापूर्वक लिया है क्योंकि हम इस बात पर माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत है कि यह बहुत घृणित घटना थी।

कराधान सम्बन्धी वांचू समिति का प्रतिवेदन

***63. +श्री रामसहाय पांडेय :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कराधान सम्बन्धी वांचू समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): (क) से (ग) : जी, हां। प्रत्यक्ष-कर जाँच समिति ने 24 दिसम्बर 1971 को भारत सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा उस की सिफारिशों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट की प्रतियाँ माननीय सदस्यों को शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेंगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय यहाँ एक औचित्य का प्रश्न उठता है। अपने बजट भाषण में कल वित्त मंत्री ने वांचू कमेटी की रिपोर्ट का उल्लेख किया था किन्तु वह रिपोर्ट अभी तक सदस्यों को दी नहीं गई है।

Mr. Speaker : The report will be made avilable to you.

Shri Atal Behari Vajpayee : But when? The permanent practice should be observed.

Mr. Speaker : It is not necessary that the report should be made available to the members before any reference is made to it.

Shri Atal Behari Vajpayee : We have got the right to demand those reports which are quoted in the House.

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : कुछ बातें, जिनका मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था, इस बात की द्योतक है कि उनका बजट प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित

किया जाना असंभव था । वस्तुतः यह महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न है! बजट भाषण में भी कहा गया है कि यह रिपोर्ट सदस्यों को दे दी जाएगी ।

Shri Atal Behari Vajpayee : If you are satisfied with the reply given by the hon. Minister, I want to raise an important question which requires your ruling.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या सामान्य बजट पर चर्चा से पूर्व यह रिपोर्ट सदस्यों को दे दी जाएगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में रिपोर्ट का उल्लेख किया है, किन्तु हमें रिपोर्ट की प्रति नहीं दी गई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : केवल वाँचू कमेटी के कुछ सुझावों का उल्लेख किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में रिपोर्ट का उल्लेख किया गया था । सदस्यों को इस रिपोर्ट की प्रति बाद में दे दी जाएगी ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने भी अपने बजट भाषण में कहा था कि रिपोर्ट सदस्यों को दे दी जायेगी ।

एक माननीय सदस्य : कब ?

Shri Atal Behari Vajpayee : Was it not possible for the Government to make available the Wanchoo Commitee's report and budget speech of the Finance Minister simultaneously. After all where is the hitch ?

Mr. Speaker : It is difficult to say when the report will be made available.

Shri R. S. Pandey : The hon. Finance Minister in his budget speech said certain important things while refering to the Wanchoo Committee's recommendations. One was about black money which is estimated to be between 1400 to 3000 crore rupees in the country. It has imbalanced our social and economic cond'tions and is a big hinderance in the way of development. The report of Committee is of course going to be made available but before it is made available, can you tell what comprehensive measures you are going to introduce to eradicate this evil of black money and how this black mony is to be taken hold of so that we are able to proceed further with the development.

Shri S. M. Banerjee : The entire black money will vanish after one more election.

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा था । वांचू कमेटी की रिपोर्ट अभी विचाराधीन है। उन्होंने काला धन, कर अपवंचन तथा बकाया करों की वसूली सम्बन्धी समस्याओं के समाधान हेतु अनेक सुझाव दिए हैं । इन सुझावों का सम्बन्ध प्रशासनिक, वैधानिक उपायों में सुधार तथा कर वसूली करने वाले संगठनों को सुदृढ बनाने से है । समिति के कुछ सुझावों को बजट में शामिल कर लिया गया है तथा उन्हें विचार करने के बाद स्वीकार कर लिया जाएगा ।

माननीय सदस्य ने समिति की काले धन सम्बन्धी रिपोर्ट का उल्लेख किया है । वस्तुतः समिति ने स्वयं कहा है कि काले धन की मात्रा का पता लगाना अत्यन्त कठिन है । उन्होंने अनुमान लगाया है कि लगभग 470 करोड़ रुपये की राशि का कर अपवंचन हुआ है ।

Shri R. S. Pandey : The estimate of black money given in the Wanchoo Committee report is rather speculative. I want to know the basis on which the figures of Rs. 1400 to 3000 crores have been arrived at.

श्री के० आर० गणेश : वाँचू कमेटी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि काले धन की मात्रा का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। वह कुछ अध्ययनों के आधार पर यह अनुमान लगा पाए हैं। मेरे लिए उन आधारों के विस्तार में जाना संभव नहीं है जिनके आधार पर उन्होंने यह विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है।

श्री एल० आर० दामाणी : वांचू समिति ने निम्न आय वर्ग के लिए कुछ रियायतों की सिफारिश की है। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इन रियायतों को लागू करने में क्या कठिनाई है ?

श्री के० आर० गणेश : वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि कुछ सिफारिशें बजट प्रस्तावों में शामिल कर ली गई है तथा अन्य विचाराधीन हैं और जो कोई भी सिफारिश स्वीकार की जायेगी उसे विधेयक के रूप में पेश किया जाएगा।

Shri Jharkhande Rai : Will the hon. Minister be pleased to state whether it has also been mentioned in the Wanchoo Committee report that 75 big families of the country have evaded taxes worth 2000 crores of rupees in the last few years.

Mr. Speaker : How does this question arise ?

बम्बई और कोचीन के बीच यात्री आवागमन

***64. श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई और कोचीन के बीच उस समय प्रतिदिन औसतन कितने यात्री विमान से आते जाते थे जब इन दोनों हवाई अड्डों के बीच सीधी विमान सेवा थी तथा सीधी उड़ानों के स्थगत के बाद यात्रियों की औसत संख्या कितनी है;

(ख) कोचीन और बम्बई के बीच की उड़ान में सामान्यतः कितना समय लगता है और वर्तमान समय सारणी के अनुसार अब वास्तव में कितना सनय लगता है और यात्री, उड़ान के समय में ही अपनी यात्रा पूरी कर सकें इस संबंध में विमानों के उचित कनेक्शन न बनाये जाने के क्या कारण है; और

(ग) कोचीन से बम्बई जाने वाले यात्रियों के लिये कोचीन और बंगलौर में कितने स्थानों का आरक्षण किया जाता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). मैं सभा पटल पर एक विवरण रख रहा हूँ।

विवरण

(क) जिस समम सीधी उड़ानें परिचालित की जा रही थीं उस समय बम्बई और कोचीन के बीच प्रत्येक दिशा में यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या 90 थी। इनमें से लगभग 20

यात्री त्रिवेन्द्रम को अथवा त्रिवेन्द्रम से जाने वाले थे। ये आंकड़े 1970 के पूर्वार्ध के बारे में हैं और इनमें बम्बई और कोचीन के बीच रुकने वाली उड़ानों के यात्री भी सम्मिलित हैं।

वर्तमान समय सारणी में जनवरी, 1972 के दौरान बम्बई और कोचीन के बीच प्रत्येक दिशा में यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या प्रतिदिन 62 थी। त्रिवेन्द्रम के यात्री अब बोइंग विमान सेवा त्रिवेन्द्रम में ही पकड़ते हैं।

(ख) कोचीन और बम्बई के बीच सीधी उड़ान के परिचालन में एच० एस—748 विमान को सामान्यतया तीन घण्टे का उड़ान समय लगता है। वर्तमान समय सारणी में बम्बई से कोचीन की यात्रा करने वाले यात्रियों को जो बंगलौर तक जेट विमान से जाते हैं और आगे कोचीन को एच० एस—748 की संयोजक उड़ान द्वारा जाते हैं तीन घण्टे 15 मिनट का समय लगता है। कोचीन-बम्बई दिशा में चार घण्टे 40 मिनट का समय लगता है क्योंकि यात्रियों को आगे बम्बई जाने से पहले बंगलौर में जेट विमान के त्रिवेन्द्रम से बंगलौर लौटने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

विमान क्षेत्र विषयक परिसीमाओं के कारण कोचीन के लिये जेट-सेवा परिचालित कर सकना सम्भव नहीं है।

(ग) कोचीन, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम से बम्बई के लिए क्रमशः 65, 13 और 40 सीटों की व्यवस्था है। परन्तु, त्रिवेन्द्रम से बम्बई जाने वाले यात्रियों की संख्या प्रायः 25 से अधिक नहीं होती तथा अतिरिक्ति सीटें त्रिवेन्द्रम से मुक्त होने पर कोचीन अथवा बंगलौर से चलने वाले यात्रियों को उपलब्ध कराई जा सकती हैं। इस सीट विभाजन का समय-समय पर पुनरालोकन किया जाता है।

श्री सी० एम० स्टीफन : कोचीन सदैव ही एक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा रहा है। पहले बम्बई से कोचीन को प्रातःकाल तथा संध्या को तीन उड़ान होती थीं जिससे कोचीन अथवा बम्बई से यात्रा करने वाले यात्री उड़ानों के समय के दौरान ही अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच सकते थे और भारत में विभिन्न हवाई अड्डों की ऐसी ही स्थिति थी कम से कम समय में कोचीन में पहुंचा जा सकता था। अब वहां की समय सारणी में परिवर्तन कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें वक्तव्य न दें।

श्री सी० एम० स्टीफन : श्रीमन् मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं पिछले नौ महीनों में समय सारणी में परिवर्तन कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रस्तावना न दीजिये, प्रश्न पूछिये।

श्री सी० एम० स्टीफन : समय सारणी में परिवर्तन कर दिये जाने से त्रिवेन्द्रम अथवा कोचीन के यात्रियों को बम्बई के अतिरिक्त भारत के अन्य किसी नगर में पहुंचना कठिन हो गया है, उन्हें पूरा दिन या तो हवाई अड्डे पर अपना विमान में व्यतीत करना पड़ता है। केरल से आने वाले संसद सदस्य संयुक्त रूप से भी तथा व्यक्तिगत रूप से भी मंत्री महोदय को मामले की समस्त कठिनाइयों से अवगत करा रहे हैं। क्या मन्त्री महोदय इस बात से सन्तुष्ट हैं कि केरल की तथा वहां के संसद सदस्यों की शिकायतें ठीक हैं, और यदि वह सन्तुष्ट हैं, तो क्या वे कठिनाइयों को दूर करने के लिए तैयार हैं अर्थात भारत में किसी भी स्थान पर पहुँचने के लिए केरल के यात्रियों को यह कठिनाई होती है कि उन्हें पूरा दिन हवाई अड्डे पर बर्बाद करना पड़ता है।

डा० कर्ण सिंह : हम इस तथ्य से अवगत हैं कि केरल से बहुत विमान यात्री निकलते हैं और क्योंकि यह केन्द्र दिल्ली से काफी दूरी पर है अतः हमें इस केन्द्र को अच्छी से अच्छी संभव सेवा प्रदान करनी चाहिए । इसी कारण सदस्यों के अनुरोध पर हमने त्रिवेन्द्रम के लिए पहली बार बोइंग सेवा आरम्भ की है । बम्बई से गोवा के लिए तथा बम्बई से कोचीन के लिए विशेष सम्पर्क स्थापित किये हैं । बम्बई-बंगलौर मार्ग पर हमने जैट विमान सेवा प्रदान की हुई है । इसके तुरन्त पश्चात बंगलौर से कोचीन तक दो विमान चलते हैं इसी प्रकार की व्यवस्था बम्बई से त्रिवेन्द्रम तक उपलब्ध है । त्रिवेन्द्रम से भी सम्पर्क स्थापित किये गये हैं । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करा सकता हूँ कि नई समय सारणी के अन्तर्गत तथा अपनी विमान उपलब्धता के अन्तर्गत हम केरल के लिए प्रत्येक संभव सुधिवा प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे । जहां तक मैं समझता हूँ, हमने केरल के लिए बहुत कुछ किया भी है । यदि माननीय सदस्य असन्तुष्ट हैं, तो मुझे खेद है । वास्तविक रूप में कोई कठिनाई हो सकती है । मैं इस मामले को ध्यान में रखूंगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : विवरण में बताया गया है कि "विमानन क्षेत्र विषयक परिसीमाओं के कारण कोचीन के लिए जेट-सेवा चलाना सम्भव नहीं हैं । अब कोचीन एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां से इन्डियन एयरलाइन्स को अत्यधिक शुल्क प्राप्त होता है और यह क्षेत्र इन्डियन एयर लाइन्स का अत्यधिक यातायात वाला क्षेत्र है ।

क्या मन्त्री महोदय कोचीन के निकट एक अवाई अड्डा बनाने के प्रश्न पर विचार करेंगे । स्थान उन्हें ज्ञात है । इस बीच क्या वह केरल के संसद सदस्यों के साथ बैठकर उड़ान सारणी बनाने के लिए तैयार हैं जिससे कि कठिनाइयों को कम से कम किया जा सके तथा केरल और भारत के विभिन्न केन्द्रों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की समय की बचत हो सके ।

डा० कर्ण सिंह : केरल के सदस्यों के साथ बैठ कर समस्या का अध्ययन करने में मुझे सदैव ही आनन्द प्राप्त होता है ।

परन्तु जहां तक जैट-सेवा का सम्बन्ध है केरल के वर्तमान हवाइ अड्डों को देखते हुए इस का विस्तार करना सम्भव नहीं है । अन्यथा, इण्डियन एयर लाईन्स जैट-सेवा आरम्भ करने के लिए बहुत उत्सुक है । जैट-सेवा से बड़ी संख्या में यात्री यात्रा कर सकते है परन्तु व्यावहारिक परिसीमाओं, जैसे विमान क्षेत्रों का उपलब्ध होना, के कारण यह सम्भव नहीं है ।

जैट-सेवा के लिए वैकल्पिक स्थान छोड़कर हवाई अड्डे के विकास करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है । परन्तु भूमि और भवन आदि को आर्जित करने में बहुत लागत आती है इस लिए मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि यह कार्य निकट भविष्य में किया सकता है । मैं माननीय सदस्यों को गुमराह नहीं करना चाहता । यह बात निश्चित है कि मैं इस मामले को ध्यान में रखूंगा । मैं इस विचार से सहमत हूँ कि कोचीन के लिए जैट-सेवा के लिए उपतुक्त एक हवाई अड्डे की आवश्वयता है । यह हवाई अड्डा कब तक बन सकेगा इस प्रश्न पर मैं कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं हूँ ।

श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले : यदि राज्य सरकार कोई ऐसा प्रस्ताव करती हैं कि वे भूमि अर्जन का सम्पूर्ण व्यय वहन करेंगे तो क्या केन्द्र सरकार उस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और हवाई अड्डे का निर्माण कार्य प्रारम्भ करेगी ?

डा० कर्ण सिंह : जैसा कि मैंने बताया है चालू योजना के लिए हमारे मंत्रालय की नियत धनराशि पहले ही समाप्त हो चुकी है। केरल में कालीकट में एक नया हवाई अड्डा निर्माणधीन है जिस पर पूरा होने के समय कम से कम एक या डेढ़ करोड़ रुपये की लागत आयेगी। अतः केरल में दूसरा हवाई अड्डा बनाना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा। हां, यदि केरल सरकार हमें वहां भूमि प्रदान करना चाहती है तो हम उसे तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक कि हवाई अड्डे के निर्माण के लिए हमें धनराशि प्राप्त नहीं हो जाती......(व्यवधान)

बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन

***65. †श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री एम० एम जोजफ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों के ढांचे तथा उनकी सचालन पद्धतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जांच करने के नियुक्त किये गये बैंकिंग आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) प्रतिवेदन आज सभा पटल पर रखा जा रहा है। प्रतिवेदन के चौबीसवें अध्याय में आयोग की सिफारिशों का सारांश दिया गया है।

(ग) सरकार सिफारिशों पर विचार कर रही है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से एक बात जानना चाहता हूं। यद्यपि प्रतिवेदन सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है, मैंने इसे अन्यत्र कहीं देख लिया है।

आयोग ने बड़ी बड़ी 100 सिफारिशें की हैं। एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि उन्होंने एक मत में यह सुझाव दिया है कि देश में गत कई वर्षों के बैंककारी विकास को देखते हुए वित्तीय संस्थानों सहित देश के सभी बैंकिंग संस्थानों को इस प्रकार से एकरुपता लाई जाये जिससे भविष्य में और अतिछादन न हो और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में वित्तीय सहायता का औचित्य स्थापित किया जा सके। बैंकिंग आयोग ने एकमत होकर जो मुख्य सिफारिश की है क्या सरकार उन पर विचार करेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हान : आयोग ने इस सम्बन्ध में ही नहीं वरन् अन्य विषयों पर भी मुख्य सिफारिशें की हैं। सभी सिफारिशों पर बहुत सावधानी से विचार किया जायेगा।

श्री चिन्तामणि पणिग्रही : मैं मंत्री महोदय से इस विषय में जानना चाहता हूं कि क्या आयोग ने कहा है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के पश्चात भारत के बैंक रहित क्षेत्रों जैसे आसाम, बिहार, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल में गत दो वर्षों के दौरान आज भी नई शाखायें खोलने का कार्य उपेक्षित है। क्या सरकार सिफारिशों पर विचार करने की प्रतीक्षा के बजाय इस कठिनाई को तुरन्त दूर करने का प्रयत्न करेगी ?···(**व्यवधान**)

मेरी दूसरी बात यह है कि क्या आयोग ने यह भी कहा है कि वे बैंककारी-शाखाओं को प्रोत्साहन देने के पक्ष में नहीं है ग्रामों में केवल सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं के रूप में परिवर्तित किए जाने चाहियें। मेरे विचार से यदि इस सुझाव को ध्यान में रखा जाता है तो राज्य के बैंक रहित क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का मार्ग अवरुद्ध हो जायेगा।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य कुछ सिफारिशों से सहमत प्रतीत होते हैं तथा कुछ से असहमत। मेरा सुझाव है कि सिफारिशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाये। हमने प्रतिवेदन प्राप्त होने तक प्रतीक्षा नहीं की और पूर्वी क्षेत्र में बैंक की शाखायें खोलने का कार्य किया और इस क्षेत्र के बैंक रहित भाग को कम किया। इसके उपरान्त भी मुझे ज्ञात है कि बहुत से क्षेत्रों में असंतुलन की स्थिति है। मैं सदन को आश्वस्त करा सकता हूँ कि इस मामले पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और विभिन्न बैंकों, विशेषतया रिजर्व बैंक से धीरे धीरे इस असंतुलन को समाप्त करने के लिए कहा जा रहा है।

22 फरवरी 1972 को पश्चिमी जर्मनी के बोइंग-747 जम्बो जेट विमान का पालम हवाई अड्डे से उड़ान लेने के पश्चात अपहरण किया जाना

+

***67. श्री अमरनाथ चावला :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 फरवरी 1972 को पश्चिमी जर्मनी के बोइंग-747 जम्बो जेट विमान का पालम हवाई अड्डे से उड़ान लेने के पश्चात ही 'अरब कमान्डोज़' द्वारा अपहरण कर लिया गया था और यदि हां, तो क्या हवाई अड्डे में सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था के अभाव के कारण यह बात हुई; और

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (ख) जी, हां। अब तक की गई पूछताछ से पता चलता है कि पालम हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों की ओर से कोई चूक नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव था और यह इस विषय पर विस्तार से चर्चा हुई थी।

श्री अमरनाथ चावला : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या पालम हवाई अड्डे से पहले ही किसी स्थान पर विमान में विस्फोटक रख दिये गये थे।

डा० कर्णसिंह : ध्यानकर्षण प्रस्ताव की चर्चा के समय जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा था उससे स्पष्ट है कि विस्फोटक तथा हथियार पहले ही किसी हवाई अड्डे पर विमान में रख दिये गये थे। हम अपनी सुरक्षात्मक कार्यवाही से संतुष्ट हैं। परन्तु जब कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक पूर्णतया निश्चित विवरण मैं नहीं दे सकता।

श्री अमरनाथ चावला : यह बताया गया है कि यात्रियों के सामान की तलाशी ली गई थी । क्या यह तलाशी विमान से बाहर ली गई थी अथवा विमान के अन्दर । यदि अन्दर तथा बाहर दोनों ही जगह यात्रियों के सामन की तलाशी ली गई होती तो इसका पता चल जाता;

डा० कर्णसिंह : प्रक्रिया यह है कि विमान पर सवार होते समय सारे सामान की तलाशी नहीं ली जाती है । केवल हैंडबैग की तलाशी ली जाती है । यदि अपराधी इससे पूर्व ही विमान पर चढ़े हों तो उन्होंने अपना हैंडबैग विमान के अन्दर ही छोड़ दिया होगा । विमान में रखे हैंडबैग की तलाशी लेने की प्रक्रिया नहीं है केवल विमान पर चढ़ते समय हैंडबैग की तलाशी ली जाती है ।

Loans Given to Uttar Pradesh

*69. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** pleased to state :

(a) the amount of loan given to Uttar Pradesh by the Central Government which is outstanding at present; and

(b) the amout of interest outstanding on the loan.

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जनवरी, 1972 के अन्त में उत्तर प्रदेश के नाम केन्द्रीय ऋणों की 743.82 करोड़ रुपये की रकम बकाया थी ।

(ख) जनवरी, 1972 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार राज्य सरकार के नाम केन्द्रीय ऋणों के ब्याज की कोई रकम बकाया नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : What steps are you taking to recover the arrears and in what from are those States re-paying them ? In case the States do not re-pay the loans, have you instructed the banks not to allow the States to make over-drafts ?

Shri Y. B. Chavan : These are two separate things. Yesterday I had in my Budget speech explained the issue af over-drafting and stated that some States are not able to repay the old over-drafts in full. For this there is a provision of paying 15 per cent. There is an agreement between the State Governments and Centre regarding the payment of these loans and the recovery is made according to terms of the agreement.

Shri Hukam Chand Kachhwai : How much money has been borrowed and for what purposes has it been utilised ? Has this amount been really utilised honestly for the welfare of the backwards, Harijans or villages ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऋण किसी निश्चित उद्देश्य के लिए प्राप्त किए जाते हैं जिनकी सहायता से राज्यों में कुछ सम्पत्तियां भी अर्जित होती हैं । माननीय सदस्य यह समझ सकें कि क्यों और किस उद्देश्य के लिए ये ऋण खर्च किए जाते हैं । इस सम्बन्ध में मैं कुछ ब्यौरा दूंगा । आंकड़े इस प्रकार हैं :—

विकास कार्यों के लिए ऋण	127.76 करोड़ रुपये
राज्य के योजना कार्यक्रमों के लिए ब्लौक ऋण	128 करोड़ रुपये
प्राकृतिक विपदाओं के समय राहत के लिए	5.26 करोड़ रुपये
विस्थापितों के पुनर्वास के लिए	2.24 करोड़ रुपये
उर्वरकों की खरीद के अल्पावधि ऋण	5 करोड़ रुपये

इस पद के अन्तर्गत कभी कभी अन्य परियोजनाओं के लिए भी ऋण दिया जाता है। गत अनेक वर्षों से इस पद के अधीन लगभग 52 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मैं केवल यह स्पष्ट करने के लिए विभिन्न पदों का ब्यौरा दे रहा हूं कि ये ऋण किन्ही विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दिये जाते हैं, इनसे कुछ परिणाम निकलते हैं और साथ ही कुछ सम्पत्ति भी बन जाती है। उदाहरणार्थ सिचाई परियोजनायें तथा विद्युत परियोजनायें राज्य सरकारों की सम्पत्तिया हैं।

Shri Hukam Chand Kachhwai : I want to know whether the money has been properly utilised ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैंने विस्तार से बताया है। उपयोग हुआ है।

श्री सुरेन्द्र महंती : इन एकत्रित हुए ऋणों पर सेवा सम्बन्धी खर्च कितना हुआ और उत्तर प्रदेश को कितनी राशि के केन्द्रीय अनुदान मिले ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं ऋण सम्बन्धी खर्च का ब्यौरा दे सकता हूं क्योंकि भिन्न-भिन्न राज्यों सम्बधी खर्च भिन्न भिन्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न ऋणों से सम्बन्धित है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : इसका अर्थ है सेवा सम्बन्धी शर्तें भी।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : उदाहरणार्थ राज्यों की योजना के लिए ब्लोक ऋणों की अवधि 15 वर्ष है। इस पर ब्याज की दर $3\frac{3}{4}$ प्रतिशत वार्षिक है। मेरे पास उसी प्रकार का ब्यौरा है। वस्तुत: यही सेवा सम्बन्धी शर्तें हैं।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उत्तर प्रदेश सरकार को सेवा संबंधी खर्चो तथा वार्षिक केन्द्रीय अनुदानों के बीच क्या अन्तर है ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : जनवरी, 1971-72 तक केन्द्रीय ऋण बजट 102 करोड़ रुपये था। राज्य सरकार ने 45 करोड़ की अदायगी की तथा ब्याज की राशि लगभग 22 करोड़ रुपये थी, अत: माननीय सदस्य इससे शर्तों का अनुमान लगा सकते हैं।

राम सहाय पांडे : ओवर ड्राफ्ट की समस्या के लिए आपने सैल्फ जनरेटिंग इकानामी की बात कही है।

मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह स्वयं ऐसा धन जुटाने जा रहे हैं। वे स्वयं वह संसाधन क्या हैं जो कि वह राज्यों को प्रदान कर रहे हैं जिनके फलस्वरूप अपने निजी संसाधन पैदा कर लेंगे तथा ओवर ड्राफ्ट की समस्या भी हल हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न ओवर ड्राफ्ट से सम्बन्धित है। यह अनुपुरक प्रश्न वस्तुत: इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के अल्प विकसित क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता के कारण तथा अच्छी सेवा शर्तों तथा अच्छे वेतनों के लिए आंदोलन कर रहे अध्यापकों तथा कर्मचारियों को कुछ राहत देने के लिए विवशत: ओवर ड्राफ्ट करने पड़े; यदि हां, तो क्या प्रदेश को पिछड़े पन को देखते हुए और यह भी ध्यान

में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश न केवल शिक्षा की दृष्टि से बल्कि वस्तुतः उद्योगों तथा अन्य बातों में इस समय पिछड़े पन का कारण ये ऋण बड़े खाते में डाल दिये जायेंगे या उसे कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ऋणों को बट्टे-खाते में डालने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय पहले ही स्पष्ट उत्तर दे चुके हैं ।

श्री एम० एम० बनर्जी : वह ऋणों को यहां ही बट्टे-खाते में न डाले परन्तु कम से कम वह इस राज्य को सहायता तो दें । अन्यथा हमारी कोई भी योजना सफल नहीं होगी ।

कृषि तथा उपेक्षित क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की रुचि

***70. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कृषि, लघु उद्योगों तथा अब तक उपेक्षित रहे अन्य क्षेत्रों की ओर राष्ट्रीयकृत बैंकों की रुचि कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकरण के बाद के दूसरे वर्ष में इन क्षेत्रों को दिये जाने वाले अग्रिमों की वृद्धि की दर में कुछ कमी हो गई है। किन्तु इन क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के मामले में, बैंकों की रुचि में कोई कमी नहीं हुई है । यह कमी मुख्यतः, इन क्षेत्रों को वित्त देने के सम्बन्ध में बैंकों की क्षमता पर संगठनात्मक दबाव पढ़ने के कारण हुई । स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है और बैंकों को इस कार्य पर निरन्तर ध्यान देने के लिए कहा गया है ।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : यह गति कितनी धीमी हुई है तथा चालू वर्ष एवम् गत वर्ष के दौरान कृषि क्षेत्र को कितनी धन राशि उपलब्ध की गई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं यथासंभव जानकारी देने का प्रयास करूंगा परन्तु इससे पता नहीं माननीय सदस्य को कितना संतोष होगा । इस पर दृष्टिपात करने के दो मार्ग हैं : पहला तो लेखों की संख्या के अनुसार तथा दूसरा बकाया राशि के अनुसार इन दो तरीकों से स्थिति का अनुमान किया जा सकता है । पहले लेखों की संख्या के अनुसार लिजिये । जून 1969 के अन्त में 206, 777 लेखे थे । जून 1970 में इनकी संख्या 5,83,738 के करीब हुई। जून 1971 में बढ़कर 8,01,035 से कुछ अधिक हुई । पहले दो वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई । दिसम्बर, 1971 तक छः मास में यह संख्या 8 01,035 से बढ़कर लगभग 9,24,138 हो गई । इसका अर्थ है कि वृद्धि तो निश्चय से हुई पर वृद्धि-दर इतनी अधिक नहीं हुई जितनी पहले दो वर्षों में हुई । इसका मुख्य कारण यह था कि आरम्भ में, विशेषता उपेक्षित क्षेत्रों में कोई लेखे नहीं थे और इसीलिये लेखों की संख्या में इतनी वृद्धि हुई परन्तु यह वृद्धि इसी गति से नहीं चली । साथ साथ कुछ संगठन सम्बन्धी कठिनाइयां भी थीं जिनका मैंने जिक्र किया था क्योंकि शाखायें खोलना जरूरी था और

इस काम के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों का होना भी जरूरी था । अतः विकास दर में यह रुकावट थी । हम इस दिशा में और भी कार्यवाही कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम स्थिति में सुधार कर सकेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारी अथवा मध्यम दर्जे के उद्योगों को दिये गये बैंक के ऋणों में भी ऐसी ही कमी हुई है । क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि सगठन सम्बन्धी कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार ने यह देखने के लिये क्या कदम उठाये कि पहले और दूसरे वर्ष में किसानों में जाग्रत आशायें पूरी हों ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं नहीं समझता कि अन्य क्षेत्रों में भी कोई कमी हुई है । यह स्वभाविक है कि ऋण के लिए जब भी कोई राशि समूचे क्षेत्र के लिए उपलब्ध होती है. तो वितरण व्यवस्था कुछ उचित ही होनी चाहिए क्योंकि हम उपेक्षित क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने का प्रयत्न कर रहे हैं । हो सकता है कि अन्य क्षेत्रों की विकास दर इतनी न हो । वास्तव में यह प्रत्याशील था ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या कतिपय बैंकों को केवल कृषि क्षेत्र के लिए ही कोई निश्चित निर्देश जारी किए गए थे । क्या यह सच है कि केवल कृषि क्षेत्र के ही ऋणों को कम किया गया अथवा रोका गया है ?

श्री यशवंतराव चव्हाण : नहीं, बिल्कुल नहीं ।

Shri Bibhuti Misra : Of the bank money meant for allcoation to different sectors, agricultural sector and small industries get very small amount. I have written to the hon. Minister in two-three cases and he has helped also. Keeping in the view the interests of the farmers and the small scale industries, may I know whether the hon. Minister would instruct the banks to allot more money for agriculture and small scale industries so as to enable them to get money ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यही सरकार की नीति है, और हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं हालाकि इतने नही कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो सकें । वह जानते हैं कि हमने इन मामलों पर अनेक बार विचार विमर्श किया है फिर भी हम इस दिशा में प्रयास जारी रखे हुए हैं ।

श्री दिनेश चन्द गोस्वामी : क्या सरकार सम्बन्धित उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण देने तथा तत्संबंधी प्रक्रिया की जटिलता को कम करने हेतु सारी प्रक्रिया का पुनरीक्षण करने का विचार कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह बड़ा ही वैद्य प्रश्न है क्योंकि मैंने भी देखा है कि कुछ प्रक्रियायें तो निश्चिय ही बड़ी लम्बी हैं और ऋण देने में कई बार बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं । इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही की गई है । सब से महत्व पूर्ण बात तो यह है कि ऋण देने के मामले में कानून बड़ी बाधायें बनकर सामने आते हैं । अतः इन कानूनों में संशोधन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी और कुछ राज्यों ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही करना आरम्भ कर दिया हैं । शायद इस से समस्या हल हो जायेगी ।

जहाँ तक बैंकों की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वहाँ कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें हल किया जा रहा है ।

श्री समर गुह : क्या सरकार ने हमारे देश के उपेक्षित क्षेत्रों के लिए ब्याज की विमेदक दरों वाली प्रणाली आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय किया है और क्या यह सच नहीं हैं कि कुछ बैंकों के निदेशकों ने इसका विरोध किया है, यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : श्रीमन् क्या मुझे इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिये ?

अध्यक्ष महोदय: वह मुख्य प्रश्न से कुछ हट गये हैं परन्तु आप उचित समझे रूप में उत्तर दे सकते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कल अपने बजट भाषण में विमेदक दरों के बारे में जिक्र किया था जिसके विस्तृत ब्यौरे के बारे में मैं एक या दो सप्ताह में एक वक्तव्य दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कुछ क्षण पूर्व कहा है कि उपेक्षित क्षेत्रों को दिये जाने वाले ऋणों की वृद्धि हो रही है परन्तु उत्पादन की गति में कमी आई है। परन्तु आज प्रश्न संख्या 73 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण के आंकड़े बताते हैं कि जब कि दिसम्बर, 1970 को समाप्त होने वाले वर्ष में कृषि, लघु उद्योग, सड़क परिवहन कम्पनियों, परचून व्यापार तथा छोटे व्यापारियों, व्यावसायिक तथा स्वयं के काम लगे लोगों तथा शिक्षा आदि सभी वर्गों को कुल ऋणों का 23.84 प्रतिशत दिया था? अगले वर्ष अभीत दिसम्बर 1971 में यह प्रतिशतता घटकर 23 रह गई हैं, अतः यह बात नहीं है कि वृद्धि हो रही है बल्कि वृद्धि की दर कम हो रही है। उपेक्षित क्षेत्रों को ऋण की प्रतिशतत सम्बन्धी आकड़ों के अनुसार कुल ऋणों की प्रतिशतता के हिसाब से गिरावट आई है।

अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह चौंका देने वाली समस्या नहीं है क्योंकि इस से पता चलता है कि कुल ऋण राशि का 77 प्रतिशत अब भी बड़े व्यापारियों, थोक व्यापारियों तथा ऐसे ही अन्य लोगों के पास जा रहा है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए नीति के रूप में वह क्या करेंगे।

श्री यशवन्त राव चव्हाण: यदि आप वास्तविक प्रतिशतता की ओर देख रहे हैं तो इस से आप को स्थिति का कुछ भ्रामक चित्र दिखाई देगा क्यों कि गत 12 वर्षों में जमाराशि में भी बहुत वृद्धि हुई है। अतः यदि आप कुल उपलब्ध धन की प्रतिशतता पर ही ध्यान देंगे तो आप को सही चित्र नहीं मिलेगा। परन्तु यदि आप लेखों को वास्तविक संख्या तथा बकाया राशि की ओर देखेंगे तो सभी स्थिति का पता लगेगा। मैं आपको इन चीजों के बारे में बताना चाहूंगा। मैंने लेखों के बारे में जानकारी दी थी और अब बकाया राशि के सम्बन्ध में उदहारणार्थ, जून में यह राशि 235.58 करोड़ रुपये थी। दिसम्बर 1971 में यह राशि 596.46 करोड़ रुपए थी अतः कई बार इन क्षेत्रों में ऋण को खपाना भी बड़ा कठिन हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया है, इस सम्बन्ध में कुछ संगठनात्मक बाधायें भी उत्पन्न हो जाती हैं।

में इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इस रुख के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए।

Shri Nar Singh Narain Pandey : In view of the low rate of interest on loans being given to small scale industries and agriculture, I would like to say that hand-loom and power-loom industries in Uttar Pradesh are starving. They do not have any money. Their purchasing capacity is not increasing. I have written to the hon. Minister. Whether hon. Minister is taking any step to help these small scale industries ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही मैं इस मामले की जांच करूंगा। माननीय सदस्य ने मुझे पत्र लिखा है और मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के हथकरघा और शक्तिचालित करघा उद्योग के केन्द्रों में जाऊंगा। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि वहां शाखायें खोली जायें और उन पर इस बात की जिम्मेदारी डाली जाये कि वे बनारस, मऊ, फैजाबाद······(अन्तर्बाधाए)········· में जा कर वहां लोगों से सम्बन्ध स्थापित करं।

चीन द्वारा माध्यमिक दूरी को पार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना

*71. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन द्वारा माध्यमिक दूरी को मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1972 के 'इंडियन एक्सप्रैस' में प्रकाशित एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो इस खतरे का सामना करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या चीन माध्यमिक दूरी को मार करने वाले प्रक्षपणास्त्रों को हिन्द महा सागर में छोड़कर परीक्षण करने पर भी विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) जी हां। माध्यमिक दूरी की मार करने वाले प्रक्षेपणास्त्रों की स्थापना अथवा उनके परीक्षण के सम्बन्ध में कोई प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से इस विषय पर प्राप्त सूचना का समय समय पर जायजा लिया जाता है और अपनी सुरक्षा योजनायें बनाते समय इसे ध्यान में रखा जाता है।

श्री नवल किशोर शर्मा : यद्यपि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, पर उनकी जानकारी प्रमाणिक लगती है और इसलिए—मैं जानना चाहता हूँ कि खतरे को देखते हुए क्या कदम उठाये गये हैं, अथवा उठाने का विचार है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह एक सीधा सा सवाल है। यदि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई खतरा होता है तो हम निश्चय ही कोई कदम उठाते हैं और उन सब गुप्त बातों को सार्वजनिक रूप से बताना आवश्यक नहीं है।

श्री नवल किशोर शर्मा : मुझे मंत्री महोदय के उत्तर की जानकारी है। क्या वे इस सभा को एक आश्वासन दे सकते हैं कि खतरे की जब भी आशंका होगी, उसका प्रभावकारी ढ़ंग से सामना किया जायेगा ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : यह हमारा प्रयत्न है ?

श्री जी० विश्वनाथन : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि चीन स्वयं को अन्तर्महाद्वीपीय प्रक्षेपणास्त्रों और दूरमारक प्रक्षेपणास्त्रों से लैस कर रहा है तथा इस सभा में की गई इस मांग को

देखते हुए कि हमें भी परमाणु शस्त्र बनाने चाहिए, क्या सरकार ने अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया है अथवा वह परमाणु शस्त्रों सम्बन्धी अपनी नीति पर फिर से विचार कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी नहीं ।

बैंक ऋण में कमी

***73 श्री एस० आर० दामाणी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान किन-किन क्षेत्रों में बैंक ऋण में वृद्धि अथवा कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप अर्थ-व्यवस्था पर किस तरह का प्रतिकूल प्रभाव देखने में आया है और क्या औद्योगिक उत्पादन के धीमे विकास से उसका कोई सम्बन्ध है और यदि हां, तो किस प्रकार से; और

(ग) जिन क्षेत्रों में अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, उनमें कार्य सुधार के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंक ऋण के क्षेत्र-वार वितरण के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना कुछ समय के बाद ही उपलब्ध हो सकेगी । तो भी, सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा अब तक उपेक्षित क्षेत्रों को, 1969, 1970 और 1971 के वर्षों के अन्त तक, दिये गये अग्रिमों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) : ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह पता चले कि औद्योगिक उत्पादन की धीमी गति, बैंक ऋण की अपर्याप्तता के कारण हुई है । भारतीय रिजर्व बैंक स्वयं भी औद्योगिक क्षेत्र की घटनाओं से समीप का सम्बन्ध बनाये रखता है और जहां आवश्यक हो, उद्योगों को शीघ्रता से ऋण देने के लिए यथोचित उपाय करता है ।

विवरण

सरकारी क्षेत्र में बैंकों द्वारा कृषि और अब तक उपेक्षित अन्य क्षेत्रों को दिये गये अग्रिम
(निम्नलिखित महीनों के अन्त तक बकाया रकम)

(रकम-करोड़ रुपयों में)

	दिसम्बर 1969 जोड़-सरकारी क्षेत्र के बैंक	दिसम्बर 1970 जोड़-सरकारी क्षेत्र के बैंक	दिसम्बर 1971* जोड़-सरकारी क्षेत्र के बैंक
(1)	(2)	(3)	(4)
1. कृषि			
(क) प्रत्यक्ष वित्त			
(बागानों को छोड़कर)	90.93	201.83	218.17
	(3.03)	(5.42)	(5.23)

(1)	(2)	(3)	(4)
(ख) अप्रत्यक्ष वित्त	124.98	142.22	119.23
	(4.16)	(3.82)	(2.86)
2. लघु उद्योग	310.33	420.04	482.05
	(10.34)	(11.28)	(11.55)
3. सड़क परिवहन चालक	14.67	37.09	45.29
	(0.49)	(1.00)	(1.09)
4. खुदरा व्यापार और छोटा-मोटा कार-बार	39.50	74.45	80.37
	(1.32)	(2.00)	(1.92)
5. व्यवसायिक और आत्मनियोजित व्यक्ति	2.69	8.75	10.40
	(0.09)	(0.23)	(0.25)
6. शिक्षा	1.34	3.47	4.15
	(0.04)	(0.09)	(0.10)
जोड़ (1 से 6)	584.45	887.67	959.[illegible]6
	(19.47)	(23.84)	(23.00)
जोड़-इन बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम	3002.38	3723.08	4172.14

श्री एस० आर० दामाणी : यह बिलकुल स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान औद्योगिक प्रगति योजना के अनुसार नहीं हुई है तथा यह अपेक्षा से बहुत कम हुई है उद्योगों को दिया जाने वाला ऋण 40 प्रतिशत से घटा का 4.6 प्रतिशत कर दिया गया है। क्या ऋणों में इतनी बड़ी कमी करने से उनकी प्रगति पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, क्योंकि हमने थोक व्यापार और कल्पित उद्योगों से सम्बन्धित ऋणों पर कुछ नियन्त्रण रखना चाहा है इस कारण हो सकता है कि उद्योगों की प्रगति पर प्रभाव पड़ा हो। पर जहां तक उत्पादन प्रयत्नों का सम्बन्ध है उद्योगों को ऋणों की कमी नहीं रही हैं।

श्री एस० आर० दामाणी : मैं माननीय मंत्री का ध्यान ऋण सम्बन्धी नीति की एक कमी की ओर दिलाना चाहता हूं। चाहे किसी एक यूनिट का उत्पादन 2 करोड़ अथवा 10 करोड़ हो एक करोड़ से अधिक के ऋण के प्रार्थना पत्रों की जाच रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। क्या यह

---

*अनन्तिम

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े कुल अग्रिमों के प्रतिशत को सूचित करते हैं।

2. सम्भव है कि पूर्णाकन के कारण आंकड़ों के जोड़ का उपयुक्त जोड़ों से मिल बैठे।

नीति अधिक उत्पादन के आड़े आई है और यदि हां, तो क्या वे ऋणों को उत्पादन के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमने एक करोड़ से अधिक के ऋणों पर नियन्त्रण इसलिए रखा है जिससे प्रार्थना पत्रों की अच्छी तरह जाँच की जा सके। ऋण देने के ढांचे में यह एक बड़ी कमी थी। कुछ और बातें हैं जिन पर विचार करना होता है, पर ऋण की उपलब्धता की बात इसमें नहीं है।

श्री पी० वेंकटासुब्बया : शिक्षित बेरोजगारों, विशेषतः तकनीकी लोगों को वित्तीय सहायता देना उतना उत्साह वर्धक नहीं है जितना कि होना चाहिये उसे बहुत से तकनीकी लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों से अपने स्वयं के उद्योग चालू करने के लिए उचित बढ़ावा नहीं मिल रहा है। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि वे विवरण की क्रम संख्या 5 देखें तो उन्हें पता चलेगा कि 1969 में 2 69,00,000 रुपये बकाया थे तथा दिसम्बर 1971 के अन्त में वह राशि बढ़कर 10,40,00,000 रु० हो गई है। अतः कोई यह नहीं कह सकता कि कोई प्रगति नहीं हुई। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि निश्चय ही पर्याप्त प्रगति नहीं हुई। हमने एक समिति नियुक्त की है और उसने बहुत ही लाभदायक सिफारिशें की हैं। यदि वे समिति की रिपोर्ट को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि हमने बहुत सी योजनायें बनाई हैं। दुर्भाग्यवश प्रवृत्ति रोजगार मांगने की रही है न कि उद्यमशील प्रवृत्ति के द्वारा उत्पादन कार्य करने की। उसके लिए मार्ग निर्देशन किया जा रहा है और योजनाएं बनाई जा रही हैं।

श्री सी० टी० दन्डपाणि : क्या यह सच है कि सलाहकार समिति ने कृषि क्षेत्र को ऋण देने के सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कृषि क्षेत्र को ऋण देना बन्द कर दिया है। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण दे सकता हूं। पर मेरे पास समय नहीं है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करेगी। मंत्री महोदय ने खातों के बढ़ने की बात कही पर इनमें से 25 प्रतिशत जाली हैं। बहुत से लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते ऋण ले रहे हैं। दिल्ली ही में सिंडीकेट बैंक के कस्टोडियन के एक रिश्तेदार को जो खेती बाड़ी नहीं करता उसे बैंक से 6 लाख रु० का ऋण मिला है। क्या मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देंगे और इसकी जांच करेंगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य बहुत ही अस्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं। यदि वे कोई विशेष उदाहरण दें, तो मैं उसकी जांच करूंगा। सलाहकार समिति की सिफारिशों के संबंध में मैं नहीं जानता कि किस विशेष सिफारिश की ओर वे इशारा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सलाहकार समिति की कार्यवाही का जिक्र सभा में न करें। यह प्रथा है। उसका जिक्र किए बिना आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Ram Chandra Vikal : Mr. Speaker, Sir, I would like to say one thing that it is difficult to ask supplementary question simply by placing the statement on the table of the House.

I want to know whether the interest on agricultural loan is higher than the interest given for other purposes. Whether hon. Minister is considering to reduce the same ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : विचारणीय प्रश्नों में से यह भी एक है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
Written Answers to Questions

पर्यटकों के लिए मोटल और शिविर स्थल बनाने की योजना

***66 श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी और विदेशी पर्यटकों की तात्कालित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समूचे देश में मोटल और शिवर स्थल बनाने की कोई योजना सरकार के पास हैं ;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य में ऐसे पर्यटक केन्द्रों के बारे में पत्र प्राप्त हुआ है जहाँ मोटल और शिविर स्थल स्थापित किये जा सकते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जहां पर्यटक यातातात का घनत्व अधिक है उन सड़क मार्गों पर मोटल तथा शिविर-स्थल बनाने का प्रस्ताव है । योजना के ब्यौरे राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं ।

(ख) और (ग) : केरल सरकार ने तेलीचेरी, बाडगारा, तिरुबेंगूर कोट्टाकल तथा कानडोट्टी में मोटलों का निर्माण; तथा मालापुरम् शोरानूर,/गुरुवयड्यूर, चेंगानूर, अट्टिंगल तथा नेय्यलटिंकारा में शिविर-स्थलों का निर्माण करने का सुझाव दिया है । स्थानों का अन्तिम निर्णय पर्यटक यातायात के प्रवाह तथा निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर किया जायेगा ।

देश में औषधियों के मूल्यों में कमी लाने के उपाय

***68. श्री हरि किशोर सिंह :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन औषधियों के मूल्य नियत्रित करने सम्बन्धी सरकारी प्रयत्नों के बावजूद भारत में औषध निर्माता कम्पनियां औषधियों का अधिक मूल्य कमा रही है; और

(ख) यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध और देश में औषधियों के मूल्य कम करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत समस्त प्रपुंज औषधियों एवं

सूत्रयोगों के विक्रय मूल्य नियंत्रण किए गए हैं। यह अनुमान लगाया गया था कि इन नियंत्रित मूल्यों से जनता को प्रतिवर्ष लगभग 20 करोड़ रुपये का लाभ तथा लगभग 220 करोड़ रुपये की औषधियों की बिक्री होगी।

सरकार को औषधि निर्माण करने वाली कम्पनियों द्वारा अधिक दाम लेने के कुछ मामले ज्ञात हुए हैं। क्योंकि नियंत्रित मूल्य 15 जनवरी, 71 से लागू हुए, इन नियन्त्रित मूल्यों के परिणामस्वरूप ओषधि निर्माण करने वाली कम्पनियों के लाभ की सही स्थिति का केवल तभी पता लगेगा जब नियंत्रित मूल्यों के प्रवृत्त होने के एक साल बाद तुलन-पत्र उपलब्ध होंगे।

भारत में पनडुब्बियों का निर्माण

***72. श्री भोला माझी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पनडुब्बियों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) देश के अन्दर ही पनडुब्बियों के निर्माण की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है।

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं होगा।

जियारत के लिए मुसलमानों को विदेशी मुद्रा का आवंटन

***74. श्री डी० पी० जदेजा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईरान, ईराक, सऊदी अरब तथा अन्य देशों में स्थित धार्मिक स्थानों की जियारत करने के लिए मुसलमानों को विदेशी मुद्रा का आवंटन करने के लिए साधारणतया किन सिधान्तों को अपनाया जाता है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : माननीय सदस्य का अभिप्राय जियारत पर जाने वाले लोगों के लिए विदेशी मुद्रा दिए जाने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना प्रतीत होता है। स्थिति यह है कि इस सम्बन्ध में 1500 यात्रियों का वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है। जियारत करने वाले व्यक्तियों को 1575 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से विदेशी मुद्रा दी जाती है। 3 से 16 वर्ष के बीच के बच्चों को प्रति बच्चा 790 रुपये के बराबर की विदेशी मुद्रा दी जाती है और 1500 के कोटे का हिसाब लगाने के प्रयोजन से 2 बच्चों को वयस्क के बराबर मान लिया जाता है। यात्रियों का वास्तविक चुनाव केन्द्रीय हज समिति द्वारा किया जाता है।

भारत-पाक युद्ध में भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा जीते गए गाँव

***75. श्री रण बहादुर सिंह** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही के भारत-पाक युद्ध में पाकिस्तानी सेना ने कितने भारतीय गांवों पर कब्जा किया; और

(ख) भारतीय सेनाओं ने कितने पाकिस्तानी गांवों पर कब्जा किया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) भारत-पाक संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी सेना ने 55 गांवों पर कब्जा किया है।

(ख) भारतीय सेनाओं ने 1201 पाकिस्तानी गांवों पर कब्जा किया है।

पैराफीन और अन्य प्रकार के मोम का राज्यवार आवंटन

***76 मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराफीन मौम तथा अन्य प्रकार के मोम की सप्लाई के लिए सरकार 1967 से राज्यवार वार्षिक आवटन निर्धारित करती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्यवार आवंटन कितना है तथा उन्हें किस आधार पर निश्चित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इन आवंटनों को निश्चित करते समय पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान मौम का उपयोग करने वाले उद्योगों के चालू होने को ध्यान में रखा है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : पैराफीन मौम के राज्यवार वार्षिक आवंटन पिछली खपत तथा देश में उपलब्ध मात्रा को ध्यान में रखते हुए तदर्थ आधार पर 1-12-1971 से निश्चित किये गये हैं। एक विवरण पत्र, जिसमें राज्यवार आवंटन दर्शाया गया है, सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) प्रत्येक उद्योग को पैराफीन मोम के वितरण का कार्य राज्य सरकारें करती हैं।

विवरण

1-12-1971 से लागू आवंटन **(आंकड़े मीटरी टनों में)**

राज्य	**वर्तमान कोटा**
दिल्ली	2,555
उत्तर प्रदेश	2,832
पश्चिमी बंगाल	7,620
बिहार	1,484
महाराष्ट्र	6,500
गुजरात	704
हरियाणा	500
आँध्र प्रदेश	500
मध्य प्रदेश	500
राजस्थान	400
उड़ीसा	490

पंजाब	450
मैसूर	400
तमिलनाडू	5,000
केरल	9/4
गोआ, दमन तथा दिव और दादर एवं नगर हवेली	156
चन्डीगढ़	50
पान्डीचेरी	6
हिमाचल प्रदेश	50
असम	2,000
अरुणाचल	150
नागालैण्ड	600
मनिपुर	100
त्रिपुरा	175
मेघालय	500
जम्मू तथा काश्मीर	100
अन्डमान तथा निकोबार द्वीप	20
मिजोरम	—
लकादिव	8.4
	34,794.4

तेल की खोज के लिए बंगला देश के साथ संयुक्त उपक्रम

*77. **श्री एम० ए० भुरुयन्नतम : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा** करें कि :

(क) क्या तेल की खोज और इसके शोधन के लिए बंगला देश के साथ एक संयुक्त उपक्रम की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार के सामने कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० .ार० गोखले) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिट्टी के तेल की कमी

*78. **श्री एन० ई० होरो :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, उत्तरी बंगाल, आसाम, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में मिट्टी के तेल की सप्लाई की कमी है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

गुजरात स्थित धुवर्ण बिजली घर को अवशिष्ट ईंधन तेल की सप्लाई

***79. श्री प्रभुदास पटेल :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के राज्यपाल ने राज्य में धुवर्ण बिजली घर के लिये अवशिष्ट ईंधन तेल की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप का निवेदन किया है ?

(ख) क्या उनके मंत्रालय का अभी भी यह विचार है कि गुजरात विद्युत बोर्ड को भी अवशिष्ट ईंधन तेल की अतिरिक्त सप्लाई के लिए अन्य राज्यों के बराबर कीमत देनी चाहिए; और

(ग) इस समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले):(क) गुजरात राज्य के राज्यपाल ने प्रधान मंत्री तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री दोनों का इस विषय पर ध्यान आकृष्ट कराया है ।

(ख) और (ग) गुजरात विद्युत बोर्ड और भारतीय तेल निगम सहमत हुए हैं कि एल एस एच एस/आर एफ ओ के मूल्य के सम्बन्ध में उनके मतभेद के मामले को पंच फैसले के लिए भेजा जाएगा ।

युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों का पुनर्वास

80. श्री एच० एम० पटेल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में कितनी महिलाओं के पति वीरगति को प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसी विधवाओं का उचित रूप से पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने विधवाओं के लिए अनुग्रह पूर्वक अदायगी करने जैसे राहत कार्य जिन पर निर्णय कर लिया गया था पहले ही आरम्भ कर दिए हैं और यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब

के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पाकिस्तान के साथ हाल के युद्ध में वीरगति प्राप्त सशस्त्र सेना के 2151 अफसरों और सैनिकों की पत्नियां विधवा हुईं ।

(ख) तथा (ग): एक अन्तरिम सहायता के रूप में युद्ध में वीरगति प्राप्त सेना कार्मिकों के परिवारों के लिए सरकार ने दिसम्बर 1971 और जनवरी 1972 के माह का पूरा वेतन और भत्तों की अदायगी करना मंजूर किया है । इसके साथ साथ युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों और अशक्त सेना कार्मिकों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए एक योजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत उदार पेंशन लाभ देने और आवास, प्रशिक्षण, रोजगार सहायता, डाक्टरी सुविधायें तथा बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था जैसे कुछ अन्य लाभ दिए जाने की व्यवस्था सन्निहित है। उदार पेंशन लाभ मंजूर करते हुए सरकार ने 24 फरवरी 1972 को आवश्यक आदेश जारी किए हैं। पाकिस्तान के साथ हाल के संघर्ष में वीरगति प्राप्त सेना कार्मिकों के परिवारों को तथा अशक्त सैनिकों के पुनर्वास के लिए अपेक्षित विभिन्न उपायों को कार्यान्वित करने के काम के सम्बन्ध में योजना बनाने उनमें समुचित समन्वय बनाए रखने तथा उन पर पूरी निगरानी रखने के लिए एक विशेष संगठन बनाया गया है । इस सम्बन्ध में सरकारी आदेशों की एक प्रति संलग्न है । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल०टी० 1451/72]

युद्ध के कारण विधवा हुई महिलाओं की सहायता के लिए शुरु की गई योजनाओं के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

450. श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस आशय के अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि युद्ध के कारण विधवा हुई महिलाओं की सहायता के लिए उनके द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं के लिए उनको वित्तीय सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

बरौनी तेल शोधक कारखाने में स्लैक मोम का उत्पादन

451. श्री इसहाक सम्भली : क्या **पेट्रोलियम** और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेल शोधक कारखाने में 1969-70 और 71 में स्लैक मोम का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) प्रत्येक वर्ष में इस उत्पादन का किस प्रकार प्रयोग किया गया;

(ग) बरौनी तेल शोधक कारखाने में फैक्टरी स्थल पर स्टाक कब से पड़े हुए हैं; और

(घ) इस स्टाक का अब तक निपटान न किये जाने के क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ): 1969-70 और 1970-71 के वर्षों के दौरान बरौनी परिष्करणशाला में स्लैक मोम का कोई उत्पादन नहीं हुआ था। इसे ध्यान में रखते हुए इन दोनों वर्षों के दौरान किसी स्टाक के जमा होने का प्रश्न नहीं उठता। इस परिष्करणशाला में उत्पादन अक्तूबर, 1971 से ही शुरु हुआ था 2 अक्तूबर, 1971 से फरवरी, 1972 के बीच इस परिष्करणशाला में कुल 2 507 मीटरी टन स्लैक मोम का उत्पादन किया गयाहै। वहां कोई स्टाक जमा नहीं हुआ है और मोम का जितना भी उत्पादन होता है वह बाहर भेज दिया जाता है।

बरौनी स्लैक मोम के प्रयोग के लिए इन्डियन आयल कम्पनी द्वारा किये गये परीक्षण

452. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साधारण मोमबत्तियों के निर्माण में बरौनी स्लैक मोम के प्रयोग के लिए इण्डियन आयल कम्पनी ने कोई परीक्षण किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इन्डियन आयल कम्पनी ने कम से कम दिल्ली, कानपुर, कलकत्ता, बम्बाई और मद्रास जैसे अधिक खपत वाले केन्द्रों में मोमबत्ती निर्माताओं को बरौनी मोम की बिक्री के लिये पर्याप्त वितरण प्रबन्ध किये है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ,

(ख) दिग्बोई मोम के उपयुक्त मिश्रण से बरौनी स्लैक मोम, मोमबत्तियां बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

(ग) बरौनी परिष्करणशाला में स्लैक मोम की सप्लाई सभी वास्तविक उपभोक्ताओं को की जा रही है।

मोम की विभिन्न किस्मों के उत्पादन तथा मांग के अन्तर को कम करने के लिए कार्यवाही

453. **श्री इसहाक सम्भली** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी तेल शोधक कारखानों में कारखाना-वार निम्नलिखित प्रकार के मोम का इस समय उत्पादन कितना है :—

(1) पेराफीन मोम

(2) मैच मोम

(3) स्लैक मोम

(4) अन्य प्रकार का मोम;

(ख) उपर्युक्त प्रत्येक प्रकार के मोम की उद्योग में वार्षिक कितनी मांग है;

(ग) मांग और उत्पादन में अन्तर कब से विद्यमान है;

(घ) क्या गत दो से तीन वर्षों में यह अन्तर प्रति वर्ष बढ़ रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो मांग और उत्पादन के अन्तर को कम करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ङ): 1970 तक पैराफीन मोम, जिसमें मैच मोम भी सम्मिलित है, का उत्पादन तथा मांग आम तौर पर बराबर रहा। जब कभी भी छुट-पुट शिकायतें प्राप्त हुई उन पर विचार किया गया और आवश्यकता पड़ने पर निर्यात की मात्रा घटा कर देश में बिक्री के लिए मोम की उपलब्धता में सुधार किया गया। किन्तु 1971 के दौरान समूचे देश से कमियों की रिपोर्टें प्राप्त होने लगीं जिस का मुख्य कारण विस्थापितों के लिये तिरपालें बनाने के लिए मांग में वृद्धि हो जाना था। उपलब्धता तथा आवश्यकताओं के अन्तर को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाये गये थे :—

(क) दिग्बोई परिष्करणशाला, जो मोम की इन दो किस्मों का उत्पादन करने वाली केवल मात्र परिष्करणशाला है, में मैच मोम सहित पैराफीन मोम के उत्पादन को अधिकतम करने के लिए कदम उठाये गए थे। साथ साथ निर्यात बन्द कर दिया गया था।

(ख) मद्रास तथा बरौनी स्थित परिष्करणशालाओं में स्लैक मोम के उत्पादन के लिए प्रबन्ध किए गए थे। दिग्बोई को छोड़कर परिष्करणशालों में किसी दूसरी किस्म के मोम का उत्पादन नहीं होता है।

(ग) 1971 के अन्त तक, देश के विभिन्न भागों की वास्तविक खपत पर आधारित, मैच मोम सहित पैराफीन मोम के राज्यवार आवंटन निश्चित किये गए थे और आवंटनों को विभिन्न उपभोक्ताओं में बांटने का उत्तरदायित्व पूरी तरह से राज्य सरकारों को सौंपा गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एक आदेश, जो राज्य सरकार को पैराफीन मोम, जिसमें मैच मोम सम्मिलित है, के मूल्य, वितरण और विक्रय निर्यात करने की शक्तियां प्रदत्त करता है, भी जारी किया गया है। स्लैक मोम के वितरण तथा बिक्री पर कोई नियन्त्रण नही है।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने 1972 के दौरान मोम की सभी किस्मों की मांग का अनुमान 44656 मीटरी टन लगाया है। चालू वर्ष के दौरान वास्तविक उत्पादन का अनुमान निम्नलिखित है :—

(क) बरौनी परिष्करणशाला से
पैराफीन मोम जिस में मैच
मोम सम्मिलित है — — —43,000 मीटरी टन

(ख) बरौनी परिष्करणशाला से स्लैक मोम — —	—15,000 मीटरी टन
(ग) मद्रास परिष्करणशाला से स्लैक मोम — —	—3,000 मीटरी टन
कुल	61,000 मीटरी टन

Operation of U. S. Submarine in Indian Ocean During Indo-Pak War

454. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Indrajit Gupta :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in "the Statement" of the 30th December, 1971 under the heading "Fixation that made Nixon Pro-Pakistan";

(b) whether there is any truth in the newsthat one of the American submarine might have torpedoed and sunk our Indian ship "Khukri"; and

(c) if so, whether this question has been taken with up the Government of U. S. A. ?

The Minister of Defence (Shri Jag Jivan Ram) : (a). Yes, Sir.

(b) and (c). Government do not have any evidence that the ship was torpedoed by an American Submarine. In a press release on 30 December 1971, the U. S. A. categorically denied this report.

पैराफीन मोम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइलोन फिल्टरों का आयात

455. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैराफीन मोम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइलोन फिल्टरों के आयात के लिए सरकार को कोई आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पार्टियों द्वारा कितने फिल्टरों के लिए आवेदन:पत्र दिये गये हैं; आवेदन-पत्र किस तारीख को दिये गये तथा वे कितने मूल्य के हैं; और

(ग) यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क), (ख) और (ग) : देश में केवल मैसर्स असम आयल कम्पनी, दिग्बोई ही पैराफीन मोम का उत्पादन करते हैं। 2,54,520/-रुपये के लिए उनके 18—11—1971 के प्रार्थना-पत्र पर उन्हें जनवरी 1972 में 700 नायलोन फिल्टर बलैंकेट्स के आयात के लिए एक लाइसेंस दिया गया है।

Realisation of Taxes From Indian National Congress and Indian National Congress (O)

456. Shri Jagannathrao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the action taken to recover income-tax and other Central taxes from the Indian National Congress and the Indian National Congress (Organisationl) ; and

(b) the amount of each category of tax recovered from these parties, yearwise; during the last three year ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The Indian National Congress, 7, Jantar Mantar Road, New Delhi, (led by Shri Sadiq Ali) filed a return for the assessment year 1962-63 declaring Nil income. This return was filed in compliance to notice under Section 148. Return for the Assessment year 1971-72 was also filed under section 139 (2) declaring nil income. Both the assessments are pending.

The Indian National Congress, 5, Rajendra Prasad Road, New Delhi (led by Shri D. Sanjiviya) filed a return for 1971-72 under section 139 (2) declaring loss of Rs. 7,62,160/.This assessment is also pending. No proceedings under any of the other direct taxes are pending and no arrears of tax demand relating to any of the direct taxes are outstanding against these organisations. The question of taking any action for recovery of taxes, therefore, does note arise.

(b) Not applicable.

तेल और प्राकृतिक गैस पर गुजरात राज्य को रायल्टी

457. श्री खेमचंद सोलंकी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में गुजरात राज्य को तेल तथा प्राकृतिक गैस पर रायल्टी के रूप में कितना धन दिया गया; और

(ख) गुजरात राज्य में उपलब्ध तेल और प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों से रायल्टी में केन्द्रीय सरकार का कितना भाग है ?

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले):

(क)	1968—69	342.57 लाख रुपये
	1969—70	360.62 लाख रुपये
	1970—71	386.09 लाख रुपये

(ख) रायल्टी में केन्द्रीय सरकार का कोई भाग नहीं है ।

उत्तर प्रदेश से शराब का निर्यात

458. श्री निहार लास्कर : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर जोर दिया है कि वह विदेशों को और अधिक शराब का निर्यात करे;

(ख) पिछले तीन वर्षों में कितनी तथा कितने मूल्य की शराब का अन्य देशों को निर्यात किया गया तथा इन देशों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या शराब का निर्यात सीधे उत्तर प्रदेश सरकार ने किया अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा किसी एजेंसी द्वारा किया गया ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं । किंतु एल्कोहल वर्ष 1970-71 में निर्यात के लिए एल्कोहल की कुछ मात्रा प्रदान की गई थी क्योंकि प्रदाय स्थिति सन्तोषजनक थी ।

(ख) सूचना निम्न प्रकार है :—

1969—शून्य

1970—5,219 मीटरी टन	33.11 लाख रुपये	स्विटजरलैंड
1971— 2,034 मीटरी टन	12.36 लाख रुपये	यू० के०
7,198 मीटरी टन	45.07 लाख रुपये	जापान

(ग) भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के माध्यम से ।

बंगला देश से भारत को वस्तुओं की तस्करी

459. डा० रानेन सेन : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश की आजादी के पश्चात् वहाँ से बड़ी मात्रा में पटसन तथा सुपारी भारत आना शुरू हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो वस्तुओं की तस्करी के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और इसकी रोक थाम के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर गणेश) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता ।

भारत द्वारा परमाणु हथियारों का उत्पादन

460. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री हरि किशोर सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंस्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल स्टडीज, लन्दन द्वारा प्रकाशित 'मिलिट्री बैलेन्स 1971-72' पुस्तक देखी है जिसमें भारत को विश्व के उन छः देशों में दिखाया गया है जो परमाणु हथियार बना सकते हैं और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भारत को चौथे नम्बर पर रखा गया है; और

(ख) क्या सरकार ने परमाणु हथियार बनाने के प्रश्न पर पुनः विचार किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षामंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने इन्टरनेशनल इन्स्टीट्यूट फार स्ट्रेटेजिय

स्टडीज, लंदन द्वारा और न कि इन्स्टीट्यूट आफ इन्टरनेशनल सोशियल स्टडीज, लंदन द्वारा प्रकाशित 'दि मिलीट्री बैलेंस 1971-72' नामक प्रकाशन देखा है। लेकिन उसमें कहीं पर भी यह नहीं दिखाया गया है कि भारत विश्व के उन छः देशों में से एक है जो परमाणु शस्त्र बनाने की क्षमता रखते हैं अथवा सैनिक शक्ति की दृष्टि से वह चौथे स्थान पर है।

(ख) परमाणु शस्त्र बनाने के सम्बन्ध में सरकार की नीति संसद में कई बार स्पष्ट की जा चुकी है। इसे तो परमाणु शक्ति का प्रयोग केवल शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए ही करना है। इस संबंध में सरकार की नीति अपरिवर्तित है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

461. **श्री निहार लास्कर** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए एक नई पद्धति अपनाई है;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग): आवश्यक जिन्सों के मूल्यों में किसी प्रकार की अनुचित वृद्धि को रोकने के लिये सरकार राजस्व विषयक वित्तीय तथा प्रशासनिक उपाय करती रहती है। इन उपायों पर बराबर विचार किया जाता है और जब आवश्यक होता है इनमें अपेक्षित परिवर्तन किए जाते हैं। इस प्रयोजन से कोई अलग समिति गठित नहीं की गई है।

भारत को अमरीकी सहायता बन्द होना

462. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को अमरीकी सहायता बन्द होने से 150 करोड़ रुपये की कमी पड़ जायगी;

(ख) क्या इस कमी को अन्य देशों से अधिक सहायता लेकर पूरा किया

(ग) क्या इसी कमी से चौथी योजना पर पड़ने वाले प्रभावों का योजना आयोग ने अध्ययन किया है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने उन परियोजनाओं की कोई सूची बनाई है जिसमें परिवर्तन करने पड़ेंगे और नई प्राथमिकतायें निश्चित करनी पड़ेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : **(क) और (ख)** : अमरीकी सरकार द्वारा स्थगित की गयी सहायता की रकम लगभग 875 लाख डालर है। इस रकम का इस्तेमाल उर्वरकों औद्योगिक कच्चे माल, फालतू पुर्जों और संघटकों आदि जैसी वस्तुओं के आयात के लिए किया जाना था।

देश के अन्दर उत्पादन बढ़ा कर और निर्यात को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भता में वृद्धि करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जिन मामलों में आयात करना अनिवार्य हो, उनमें अन्य ऋणों के अधीन पूर्ति के वैकल्पिक स्त्रोतों और रुपया अदायगी क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है और जहां ऐसा करना सम्भव न हो, वहाँ यथासम्भव विदेशी मुद्रा का आवंटन कर दिया जाता है।

(ग) और (घ) : योजना आयोग, इस समय आत्मनिर्भता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कतिपय अध्ययन कर रहा है। हाथ में ली गयी परियोजनाओं के विषय में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा या नहीं, इस का फैसला इन अध्ययनों के पूरा होने पर ही किया जा सकेगा।

हिन्दी फिल्मों के अवैध निर्यात के कारण विदेशी मुद्रा में हानि

463. **श्री पी० के० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी फिल्मों का अवैध रूप से निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या हिन्दी फिल्मों के अवैध निर्यात के फलस्वरूप देश को मूल्यवान विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इस कारण अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की हानी होती है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा भारतीय फिल्मों के देश से चोरी छिपे बाहर ले जाने की कोशिश किये जाते समय उनके पकड़े जाने को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत से हिन्दी फिल्मों का दूसरे देशों को अवैध निर्यात होता है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी- मुद्रा की हानि होती है।

(ग) इस कारण से होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि का अनुमान लगाने का कोई सुविज्ञ साधन नहीं हैं।

(घ) भारतीय फिल्मों के अवैध निर्यात के समेत, माल कों चोरी छिपे ले जाने को रोकने के बारे में निम्नलिखित उपाय किये गये हें :- व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्कर आयात-निर्यात करने का सन्देह है उन पर तथा समुद्र-तट के साथ-साथ सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों पर नजर रखना। सीमाशुल्क के समाहर्ताओं, अपर समाहर्ताओं तथा सहायक समाहर्ताओं जैसे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को अन्य रूप से तस्कर आयात-निर्यात विरोधी कार्य की निगरानी के लिए सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है। देश से बाहर भेजे जाने वाले संदिग्ध असबाब एवं पार्सलों की जाँच करने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती गयी है।

भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल की गतिविधियों में विस्तार

464. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल को जम्मू और कश्मीर में अपनी गतिविधियाँ बढ़ाने की अनुमति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैनिक प्रेक्षक दल ने, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निदेश दिया गया है, अनुरोध किया है कि उसे उसके कार्य में तीसरे पक्ष की सहायता दिलाई जाये, और क्या भारत सरकार उनके अनुरोध को स्वीकार करने के बारे में विचार कर रही है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख): करांची समझौते के अन्तर्गत भारत तथा पाकिस्तान में अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक पयवेक्षक ग्रुप को जम्मू तथा कश्मीर में 1949 की युद्ध विराम रेखा पर पर्यवेक्षण का कार्य सौंपा गया था। इस ग्रुप को वर्तमान नियंत्रण रेखा के संबंध में कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गयी है। अतः जम्मू तथा कश्मीर में इस ग्रुप के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उक्त अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक पर्यवेक्षक ग्रुप ने अपने काम में किसी तीसरे देश की कोई सहायता मांगी हो।

सरकारी उपक्रमों में खपाये जाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों से विकल्प

465. **श्री शशि भूषण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गये सभी सरकारी अधिकारियों ने इस बारे में अपने विकल्प दे दिये हैं कि क्या वे सरकारी उपक्रमों में ही रहना चाहते हैं अथवा अपने मूल कार्यालयों में वापिस जाना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समय स्थिति क्या है ? और

(ग) क्या उन व्यक्तियों ने जिन्होंने अपने मूल कार्यालयों में वापस जाने का विकल्प दिया है उनको इस बीच वापिस भेज दिया गया है और यदि नहीं, तो उनके कब तक वापिस भेज दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : सरकार के आदेशों के अनुसार औद्योगिक प्रबन्ध निकाय को छोड़कर स्थायी असैनिक सेवा से और रक्षा उत्पादन उपक्रमों में काम कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर रक्षा सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मचारियों को यह विकल्प देना पड़ता है कि वे उस उद्यम में, जहाँ वे काम कर रहे हैं, स्थायी रूप से रहना चाहते हैं अथवा अपनी प्रतिनियुक्ति की तिथि से दो से तीन वर्षों की अवधि में अपने मूल कार्यालयों में वापिस जाना चाहते हैं। सरकार द्वारा दिये गये और आदेशों के अनुसार ऐसी कुछ श्रेणियों के प्रतिनियुक्ति अधिकारी जो इन आदेशों के समय सरकारी उद्यमों में काम कर रहे थे, 31 अगस्त 1971 तक अपना विकल्प दे सकते थे; अन्य अधिकारियों को नियत अवधि के अन्दर अपना विकल्प देना था इसलिए विकल्प देने की समयावधि अलग-अलग मामलों में अलग-अलग होगी और प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विकल्प देने की कोई एक तारीख नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार अभी तक जितने लोगों ने विकल्प दिये हैं, उनमें से अधिकांश ने स्थायी रूप से सरकारी उद्योगों में ही रहने का निर्णय किया है।

(ग) सरकार के आदेशों में यह अपेक्षा की गयी है कि जिन लोगों ने वापिस जाने का विकल्प दिया है, वे विकल्प के लिए नियत अवधि के पूरा होते ही मूल कार्यालयों में वापिस चले जाएंगे। इसका पालन किया जा रहा है।

सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों के कार्यालय के पुनर्विलोकन के लिए आयोग की स्थापना

466. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक एकाधिकार आयोग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो सरकारी क्षेत्र के कार्यकरण की इस दृष्टि से जांच करेगा कि नये कारखाने लगाने के लिए स्थल किस आधार पर चुने जाते हैं और सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के बीच आपसी सम्बन्ध कैसे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) आयोग के कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है और इसके निदेशपद क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : सम्भवतः माननीय सदस्य उस उच्चस्तरीय समिति का उल्लेख कर रहे हैं जो सरकारी क्षेत्र के वर्तमान उपक्रमों के कार्यचालन को सुधारने के लिए सिफारिश करने के उद्देश्य से इन उपक्रमों के कार्यचालन की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री एम० एस० पाठक की अध्यक्षता में हाल ही में स्थापित की गई है। कार्य समिति इन उपक्रमों के निम्नलिखित कार्यों में सुधार करने के लिए उपाय निर्धारित करेगी और विशेष रूप से निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करेगी अर्थात्—

(1) उत्पादन अधिक से अधिक करना;

(2) संचालन लागत को कम से कम करना;

(3) अच्छा निवारक अनुरक्षण;

(4) अच्छे कर्मचारी श्रमिक सम्बन्ध; और

(5) पर्याप्त अनुसंधान और विकास की गतिविधियां।

समिति सरकारी क्षेत्र के अधिकाँश उपक्रमों की जांच सम्भवतः जून, 1973 तक पूरी कर लेगी। सरकारी उद्यम कार्यालय कार्यसमिति के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

किन्तु नये एककों के लिए स्थान का चयन करने में अपनाये जाने वाले मानदण्डों और सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्यमों के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन विशेष रूप से करने के लिए अन्य आयोग की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। जहाँ तक स्थान के चयन का सम्बन्ध है सरकार ने, सम्भाव्यता रिपोर्ट तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट स्तर पर, औद्योगिक एककों के स्थान के संदर्भ में तकनीकी-आर्थिक बातों की ध्यानपूर्वक जांच के महत्व पर जोर दिया है।

राज्यों के ऋण भार के बारे में जांच

468. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राज्यों पर ऋण भार की समस्या की निष्पक्ष जांच करने के बारे में तमिलनाडु सरकार की मांग की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) : तमिलनाडु की सरकार राज्यों के ऋण-भार सम्बन्धी समस्या की जांच करने के लिये एक ऋण आयोग की स्थापना करने की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर पत्र व्यवहार करती रही है। किन्तु केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि ऐसे आयोग की स्थापना से कोई लाभ नहीं होगा।

भारत में साबुन बनाने के कारखाने

469. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार फैक्ट्री अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत अब तक भारत में साबुन के कितने कारखाने पंजीकृत किये गये हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में वर्षवार नहाने तथा कपड़े धोने का कितना तथा कितने मूल्य का साबुन तैयार किया गया;

(ग) उक्त अवधि में वर्षवार उनमें कितने मजदूर नियुक्त किये गये; और

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह उद्योग केन्द्रीय स्थान पर स्थित हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग) : सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। किन्तु उद्योग-वार वर्गीकृत कार्य कर रहे कारखानों में औसत दैनिक सेवा योजना के प्राक्कलन "इण्डियन लेबर स्टेटिस्टिक्स," में जो श्रम एवं रोजगार विभाग के श्रम ब्यूरो, शिमला द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, नियमित रूप से छापे जाते हैं। इस प्रकाशन के 1971 के अंक के अनुसार कार्य कर रहे साबुन कारखानों की संख्या तथा ऐसे कारखानों में औसत दैनिक सेवा योजना का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कार्य कर रहे साबुन कारखाने	कार्यकर्ताओं की दैनिक औसत संख्या
1967	94	8,000
1968	95	8,000
1969	107	8,000

(ख) तकनीकी विकास. महा निदेशालय के पास पूंजीकृत संगठित क्षेत्र में साबुन की 44 इकाइयों के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार है:—

मीटरी टनों में मात्रा
लाख रुपयों में मूल्य

क्रम संख्या	पदार्थ	उत्पादन तथा उत्पादन का मूल्य					
		1969		1970		1971	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1.	कपड़े धोने का साबुन (लाँड्री सोप)	192957	6753	188114	6584	220000 लगभग	7700
2.	श्रृंगार का साबुन (टाइल्ट सोप)	42043	1892	44286	1993	50000 लगभग	2250

(घ) तकनीकी विकास; महा निदेशालय के पास पंजीकृत 44 इकाइयों का वितरण इस प्रकार है:—

क्रम संख्या	**राज्य का नाम**	**साबुन इकाइयों की संख्या**
1.	पश्चिमी बंगाल	10
2.	महाराष्ट्र	10
3.	तामिल नाडू	3
4.	उत्तर प्रदेश	4
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	आन्ध्र प्रदेश	1
7.	बिहार	1
8.	केरल	3
9.	मैसूर	4
10.	दिल्ली	2
11.	गुजरात	4
		44

मजूरी का उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना

470. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों की मजूरी को उत्पदकता के साथ जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। अभी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

471. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता सूचकांक में वृद्धि के अनुरूप स्वतः बढ़ा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : तृतीय वेतन आयोग, जिसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की परिलब्धियों की संरचना तथा सेवा की शर्तों की जांच के लिए नियुक्त किया गया है, संभवतः मंहगाई भत्ते की मंजूरी के प्रश्न पर भी विचार करेगा। उनकी सिफारिशों की प्रतीक्षा की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों द्वारा 'निष्पादन बजट' बनाने की पद्धति का अपनाया जाना

472. श्री राजदेव सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसमें सरकारी उपक्रमों को 'निष्पादन बजट' बनाने की पद्धत्ति अपनाने का परामर्श दिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव के गुण दोष क्या-क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी उद्यम कार्यालय ने मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी कर दिए हैं ताकि सरकारी उद्यम बजट सम्बन्धी ऐसी प्रणाली तैयार कर सकें जो प्रत्येक उद्यम और उसके विभिन्न विभागों के निष्पन्न कार्य आयोजन तथा मूल्यांकन के लिए आधार बन सके।

(ख) आयोजन, कार्यान्वियन और मूल्यांकन की समग्र परिकल्पना ही निष्पादन बजट है। इस पद्धति में बजट के निर्धारित लक्ष्यों के मुकावले वास्तविक निष्पादन का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है तथा अन्तरों का निर्धारण किया जाता है; तत्पश्चात् इस प्रकार के अन्तरों के कारणों का पता लगाया जाता है और उनकी पुनरावृति से बचने के उपाय किये जाते हैं : प्रबन्धकों का ध्यान अन्तरों और अपवादों की ओर दिलाया जाता है ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू

किए जा सकें। यह उत्तरदायित्व और अधिकार की सीमा-रेखायें निश्चित करने तथा व्यक्तियों या व्यक्ति-समूहों अथवा विभागों या एककों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में भी सहायक होता है।

पाकिस्तानी सेना द्वारा आत्म-समर्पण के संदेश को अमरीकी अधिकारियों द्वारा भारत को भेजने में विलम्ब

473. श्री जनार्दनन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने ढाका में पाकिस्तानी कमान के आत्म-समर्पण सन्देश को भारत सरकार तक भेजने में लगभग 20 घंटे का विलम्ब किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जाँच की गई है; और

(ग) इम बारे में सरकार ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सरकार ने प्रेस विज्ञप्ति में इसे देखा है लेकिन इस सम्वन्ध में उसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर अधिकारियों द्वारा छापे

474. श्री हरि किशोर सिंह :
श्री के० मालन्ना ।

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों ने वर्ष 1971 के दौरान देश के विभिन्न भागों में कुछ व्यापार स्थानों एवं निवासों पर छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न भागों में कितने छापे मारे गए;

(ग) इन छापों के परिणामस्वरूप कितने धन तथा दस्तावेजों का पता लगा और दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(घ) प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई अथवा की जाने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : वर्ष 1971 में आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या 352 है। इनमें से बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश में ली गई तलाशियों की संख्या इस प्रकार है :

वम्बई : 113
दिल्ली : 69
कलकत्ता : 2
मद्रास : 100
आंध्र प्रदेश : 68

(ग) और (घ) : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित तलाशियों की संख्या को देखते हुए प्रत्येक मामले में निम्नलिखित का ब्यौरा देना संभव नहीं है :—

(i) धन;

(ii) कागजात;

(iii) अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के नाम; और

(iv) की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही।

फिर भी, यदि किसी विशिष्ट मामले के संबंध में सूचना अपेक्षित हो तो वह प्रस्तुत की जा सकती है। वर्ष 1971 में देश भर में जब्त किये गये परिसम्पदों का कुल मूल्स 246.69 लाख रुपया है।

भारत-पाक युद्ध के दौरान मारे गये, अपंग, घायल सैनिकों के परिवारों को सहायता देने हेतु बनाई गई योजना

475. श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री राम रतन शर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत भारत-पाक युद्ध में मारे गए अपंग घायल सैनिकों के परिवारों को सहायता देने हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) : योजना के अन्तर्गत उदार पेंशन लाभों की स्वीकृति देते हुए 24 फरवरी 1972 को जारी किए गए सरकारी आदेशों की एक प्रति संलग्न है ! [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 145[illegible]/72] भारत की समेकित निधि के अन्तर्गत न आने वाली विभिन्न परोपकारी निधियों से इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले अन्य लाभों की व्यवस्था के लिए रक्षा मंत्रालय में एक केन्द्रीय संगठन बनाया जा रहा है।

Preference to the Sons of War Victims for Higher Posts in Army

476. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether sons of those members of armed forces who were killed in the Indo-Pak War will be given preference in recruitment to high posts in the Armed Forces; and

(b) if so, an outline of the scheme drawn in this regard ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Pakistani POWs in Indian Custody

477. Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) the number of Pakistani soldiers taken as prisoners-of-war and the members of their families in our custody and whether their particulars have been conveyed to Pakistan;

(b) the arrangements made for their boarding and lodging and other facilities provided in accordance with the Geneva Convention; and

(c) the total expenditure incurred so far and the estimated expenditure likely to be incurred on them in future and whether Pakistan has been asked to bear the expenditure ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) 74615 which includes 671 members of their families. Particulars of a number of them have been conveyed through International Committee of Red Cross and particulars about the rest are being conveyed.

(b) They have been lodged in POW Camps and all arrangements have been made in accordance with the Geneva Convention.

(c) It is not possible at this stage to estimate the total expenditure incurred so far and the expenditure likely to be incurred in future. The question of Pakistan's liability for the expenditure has not yet been taken up.

New Taxes levied for meeting Expenditure on Refugees from Bangla Desh

478. Shri Shiv Kumar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount collected by Government as a result of the Emergency taxation measures undertaken to deal with the problems which arose due to the influx of Bangla Desh refugees ?

The Minister of state in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : Information in respect of collections during the financial year ending 31st March, 1972 will be collected from State Governments and other concerned Departments etc. After receipt of the information, a statement will be laid on the Table of the House.

पाकिस्तान में भारतीय युद्ध बन्दी

479. श्री राम सहाय पांडे :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान में कितने सिविल तथा सैनिक भारतीय कर्मचारी युद्धबन्दी हैं और क्या उनके नाम तथा विवरण पाकिस्तान द्वारा घोषित कर दिये गये हैं;

(ख) भारत सरकार द्वारा उनको रिहा कराने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं और उनके कब तक रिहा हो जाने की संभावना है; और

(ग) जेनेवा कन्वेंशन के अन्तर्गत उनको पाकिस्तान द्वारा तथा रेड क्रास अधिकरणों द्वारा क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) रेडक्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से प्राप्त सूचनानुसार पाकिस्तान में 620 युद्धबन्दी हैं उनके नाम तथा अन्य विवरण रेडक्रास से प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक सिविलियनों के सम्बन्ध में जिन्हें बन्दी बनाया गया हो पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) रेड क्रास की अन्तर्राष्ट्रीय समिति से प्राप्त सूचनानुसार गम्भीर रूप से बीमार और घायल भारतीय युद्धबन्दियों की संख्या 17 है जो यात्रा करने के योग्य हैं उन सभी को 25 फरवरी

1972 को भारत में प्रत्यावर्तित कर लिया गया था। दोनों ओर के युद्धबन्दियों के सामान्य प्रत्या-वर्तन का मामला पाकिस्तान को दिये गये द्विपक्षीय वार्ता के सुझाव की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है।

(ग) रेडक्रास ने सूचित किया है कि कैंपों में रखे गये भारतीय युद्धबन्दियों के साथ जेनेवा कन्वेंशन के अनुसार व्यवहार किया जा रहा है।

पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन

480. श्री रामसहाय पांडे :
श्री पी० एम० मेहता :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात पाकिस्तानी सेनाओं ने कितनी बार युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया है और यह किन सैक्टरों में हुआ है;

(ख) इसके परिणामस्वरूप सैक्टरवार, कितने जान माल की हानि हुई है; और

(ग) ऐसे उल्लंघनों का प्रभावी रूप से सामना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) 17 दिसम्बर 1971 को सांय 8 बजे से युद्ध विराम लागू हुआ था। युद्ध विराम के तुरन्त बाद वाले दिनों में युद्ध विराम के उल्लंघन की काफी घटनाएं हुई लेकिन फिर धीरे धीरे स्थिति अपसे आप ठीक होती चली गई। तथापि वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार से विशेषकर छुट पुट गोलाबारी अभी भी होती रहती है। इन घटनाओं का स्थानीय तौर पर समाधान किया जाता है।

इन दुर्घटनाओं में कुछ मामूली हताहत की घटनायें हुई हैं लेकिन कोई टैंक या वायुयान नष्ट नहीं किए गए हैं।

केरल में समुद्र तट और लक्कादीव द्वीप समूह के बीच तेल मिलने की सम्भावना

481. श्री सी० एम० स्टीफन :
श्री ए० के० गोपालन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि केरल के समुद्र तट और लक्कादीव द्वीपसमूहों के मध्य तेल के 'सेडीमेंट्री बेसिन' होने की आशाजनक संभावनाएं हैं;

(ख) क्या केरल की सरकार ने इस क्षेत्र में नियमित रूप से अन्वेषण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) अरब सागर के केरल अपतट में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत समय में किए गए प्रारंभिक भू-कंपीय पार्श्विका सर्वेक्षण कार्यों से केरल के साथ संलग्न समुद्र क्षेत्र में किसी स्थूल अवसादन का पता नहीं लगा है।

(ख) 4 मई 1971 को केरल सरकार के उद्योग मंत्री ने भूतपूर्व पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को पत्र लिखते हुए, केरल के समुद्री अपतट में तेल की खोज के उद्देश्य से और भूकम्पीय अन्वेषण का सुझाव दिया था।

(ग) अब तक किए गए भूकंपीय सर्वेक्षण के निरुत्साही परिणामों को ध्यान में रखते हुए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की इस समय इस क्षेत्र में और अन्वेषण करने की कोई योजना नहीं है।

केरल सरकार द्वारा कास्टिक क्लोरिन संयंत्र के लिए 'रेक्टीफायर' का आयात

482. **श्री सी० एम० स्टीफन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के त्रावन कोर-कोचीन केमिकल्स कारखाने के कास्टिक क्लोरिन संयंत्र की 7 करोड़ रु० लागत की विस्तार परियोजना के लिए एक 'रेक्टीफायर' का आयात करने के लिए केरल सरकार ने स्वीकृति मांगी है; और

(ग) यदि हां तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार रेक्टीफायर के आयात के लिए सहमत नहीं हुई है क्योंकि यह अपने देश में ही इसके निर्माताओं से प्राप्त किया जा सकता है।

Proposal to Open Tourist Centre in Balirajpur Near Jhanjharpur in Darbhanga District

483. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a Tourist Centre at the Fort of Raja Bali in Balirajpur Village near Jhanjharpur in Darbhanga District and constructa road to facilitate tourist traffic from Jhanjharpur to Balirajpur; and

(b) if not, whether they propose to give grants to the State Government for the purpose ?

The Minister of Tourism and Civil Avistion (Dr. Karan Singh) : (a) There is no such proposal.

(b) No, Sir

Aerodrome at Darbhanga in Bihar

484. **Shri Jagannath Mishra** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there is a big aerodrome at Darbhanga in Bihar;

(b) whether general public is not allowed to use this aerodrome; and

(c) if so, whether Goverment propose to constouct a civilian aerodrome there for the use of general public ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (c). The aerodrome at Darbhanga belongs to the Ministry of Defence. Civil flights can use Darbhanga aerodrome with prior permission of the Ministry of Defence, but Indian Airlines have at present no plan to operate air services to through Darbhanga.

विदेशों से आर्थिक सहायता का बंद होना

485. श्री चिंतामणि पाणिग्रही
श्री पी० वेंकटासुब्बया :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने हाल के पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान भारत को आर्थिक सहायता देनी बन्द कर दी थी; और

(ख) उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) हाल के भारत-पाकिस्तान संघर्ष के पश्चात केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के एक भाग को स्थगित किया है।

(ख) सरकार सहायता के एकतरफा स्थगन को अन्यायपूर्ण तथा अनुचित समझती हैं।

मद्रास में प्रतिरक्षा संस्थानों के लिए भवन का निर्माण

486. श्री के० पोपाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास शहर में इनलैंड ग्राउन्ड्स प्रतिरक्षा संस्थानों के लिए भवन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मोटी रूप रेखायें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) मद्रास शहर में आइलैंड ग्राउण्ड वाली 105 एकड़ भूमि में से 55 एकड़ भूमि पर ऐसी तीन परियोजनायें चालू करने का विचार है जिनमें मद्रास में स्थित सैनिक यूनिटों के लिए कार्यालय एव रिहायशी आवास की व्यवस्था हो सके।

विदेशों से आर्थिक सहायता

487. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल से दिसम्बर 1971 के बीच विदेशों से, देश-वार, कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) 1970 वर्ष की इसी अवधि में इन्हीं देशों से प्राप्त सहायता की तुलना में यह सहायता कितनी कम या अधिक है; और

(ग) वर्ष 1972 के दौरान कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

(ग) फिलहाल 1972 के वर्ष में प्राप्त होने वाली सहायता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

विवरण

अप्रैल, 1971 से दिसम्बर, 1971 तक के बीच तथा अप्रैल 1970 से दिसम्बर, 1970 तक के बीच विदेशों के साथ हस्ताक्षरित सहायता, करारों का देशवार ब्योरा :

(करोड़ रुपयों में)

क्रम संख्या	देश/स्रोत	अप्रैल 1971 से दिसम्बर 1971 तक परियोजना और परियोजना-भिन्न सहायता	अप्रैल, 1970 से दिसम्बर, 1970 तक परियोजना और परियोजना भिन्न सहायता
1.	आस्ट्रिया	0.66	1.50
2.	बेल्जियम	3.00	2.63
3.	कनाडा	39.15	26.97
4.	फ्रांस	24.00	20.63
5.	पश्चिमी जर्मनी	55.33	55.33
6.	जापान	45.48	24.50
7.	नीदरलैंड	10.88	8.81
8.	स्वीडन	3.75	—
9.	ब्रिटेन	76.50	52.38
10.	संयुक्त राज्य अमेरिका	48.55	163.65
11.	अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक	45.00	41.25
12.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	207.75	103.13
	जोड़	560.05	500.58
	अन्न सहायता		
1.	आस्ट्रेलिया	2.83	2.84
2.	कनाडा	28.00	31.20
3.	ब्रिटेन	1.44	0.90
4.	संयुक्त राज्य अमेरिका	118.70	—
	जोड़	150.97	34.94

युद्ध संबंधी भारतीय साज-सामान का भारत-पाक युद्ध में कार्य निष्पादन

488. **श्री चितामणि पाणिग्रही** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान युद्ध सम्बन्धी भारतीय साज-समान के कार्य निष्पादन का कोई मूल्याँकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) उपस्करों का कार्य निष्पादन अधिकांशतः सन्तोषजनक रहा है । जहां आवश्यक और सम्भव हो सकता है वहाँ उनमें और सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है ।

कालीकट में युवक होस्टल

489. **श्री एम० के० कृष्णन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिवेन्द्रम जिले में वेली में एक होस्टल बनाने के बारे में दी गई मंजूरी के अतिरिक्त कालीकट में एक अतिरिक्त युवक होस्टल स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कब निर्णय किये जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा प्रमुख मार्गों पर 'बोइंग 737' जैट विमानों की रात्रि सेवायें

490. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने अपने प्रमुख मार्गों पर सस्ते किरायों पर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास को मिलाती हुई 'बोइंग 737' जैट विमानों की रात्रि सेवाएं प्रारम्भ करने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मुख्य रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ओर (ख) कारपोरेशन ऐसे परिचालन प्रारम्भ करने की व्यवहार्यता पर विचार कर रही है ।

आयातित कच्चे तेल के अधिक मूल्य की मांग

491. **श्री मुहम्मद शरीफ** :
श्री इसहाक सम्भली :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीनों विदेशी तेल कम्पनियो द्वारा आयातित कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि के प्रश्न का निपटारा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या निर्णय हुए;

(ग) बढ़े हुए मूल्य का पेट्रोलियम और तेल उत्पादों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) क्या कच्चे तेल के संबंध में आत्मनिर्भया प्राप्त करने की दृष्टि से कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क), (ख) और (ग) : डालर के अवमूल्यन के पश्चात तत्काल ही, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ने तेल कम्पनियों को अवमूलन की सीमा तक कच्चे तेल के 'दर्ज शुदा' मूल्यों में वृद्धि करने को कहा था। दीर्घ कालिक वार्ता के पश्चात पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों और तेल कम्पनियों के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अन्तर्गत कच्चे तेल के 'दर्ज शुदा' मूल्यों में 8.49% की वृद्धि की गयी है। तेल कम्पनियों ने सूचित किया है कि 26 जनवरी, 1972 से उनके कच्चे तेल के प्रदायकों ने कच्चे तेल के मूल्यों में प्रति बैरल पर 11.6 सैण्ट्स से लेकर 11.7 सैण्ट्स तक वृद्धि की है; क्यों कि यह धनराशि तेल उत्पादन करने वाले देशों से वसूल किये जाने वाले कर में वास्तविक वृद्धि को दरर्शाती हैं। सरकार ने इस वृद्धि को स्वीकार नहीं किया है। अत: तीन तेल कम्पनियों द्वारा माँगे गये कच्चे तेल का बढ़ा हुआ मूल्य, उत्पाद मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा।

(घ) कच्चे तेल के नये संसाधनों का पता लगाने और पहले ही मालूम किये गये तेल क्षेत्रों से अनुकूलतम उत्पादन प्राप्त करने के विचार से, अन्वेषण एवं अन्य कार्यविधियों के सम्पन्न किये जाने को अधिकतम महत्व दिया जा रहा है। अन्वेषण कार्य, अधिक आशाजनक संरचना, (यद्यपि वह बम्बई हाई और त्रिपुरा जैसी कठिन अथवा अपेक्षाकृत अगम्य संरचना हो) के लिये भी बढ़ाया जा रहा है।

कृषि आय पर कर

492. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री एस० ए० मुरुगनंतम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि आय पर कर लगाने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कृषि सम्पत्ति और आय पर कर लगाने से सम्बन्धित विभिन्न मामलों का अध्ययन करेगी और अपनी सिफारिशें देगी।

इण्डियन एयरलाइंस के पुराने विमानों को बदलने की योजना

493. श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने पुराने अपने विमानों को बदलने का कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इसमें अनुमानतः कितना व्यय होगा; और यह योजना कब क्रियान्वित की जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : इण्डियन एयरलाइन्स पुराने विमानों को बदलने की तथा अंतर्देशीय जरूरतों के विस्तार को अपेक्षाओं की दृष्टि में रखते हुये अपनी विमान सम्बन्धी भावी आवश्यकताओं का विस्तृत अध्ययन कर रहा है।

एकाधिकार आयोग को औद्योगिक लाइसेंस के लिये दिये गये आवेदन पत्र

494. श्री हरि किशोर सिंह .
श्री के० मालन्ना :

क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) उनके मंत्रालय को 1971 में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे;

(ख) कितने आवेदन पत्रों का निपटारा किया गया है; और

(ग) एकाधिकार और निर्बन्धात्मक व्यापार प्रथा आयोग को कितने आवेदन-पत्र भेजे गये हैं और आयोग की टिप्पणियों के संदर्भ में सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) वर्ष 1971 में कम्पनी कार्य बिभाग ने टिप्पणी हेतु 3157 औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रार्थना पत्र प्राप्त किये।

(ख) समस्त मामलों में, सम्बन्धित मंत्रालयों को विभाग ने टिप्पणी भेज दी है।

(ग) एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 21 और 22 के अन्तर्गत गोण बढोतरी या नये उपक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए जिन उपबन्धों का प्रयोग किया जाता है उनसे सांबिधिक प्रार्थना पत्र भिन्न है। केन्द्रीय सरकार को 1971 में इस प्रकार के 129 सांविधिक प्रार्थना पत्र, उन आवेदन पत्रों को छोड़कर जो वापिस ले लिये गये हैं प्राप्त हुए हैं और इनमें 13 को एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग को पुनः कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग से पाँच मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये है और एक के सम्बन्ध में एकाधिकार एवं निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा आयोग से प्राप्त होने के बाद अन्तिम आदेश तैयार किये जा चुके है। शेष 4 प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

पाकिस्तान की हिरासत में मरे भारतीय युद्ध बंदी

495. श्री नागेश्वर राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्नान की हिरासत में कितने भारतीय युद्ध बन्दियों की मृत्यु हो चुकी है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) अन्तराष्ट्रीय रेडक्रास से प्राप्त सूचनानुसार एक युद्धबन्दी की हिरासत में मृत्यु हुई है ।

आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के पुनर्विन्यास हेतु पेनल का गठन

496. श्री हरिकिशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आर्थिक एवं औद्योगिक नीति के पुनर्विन्यास हेतु उच्च अधिकार प्राप्त 'पेनल' का गठन करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित की नहीं होता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल का पुनर्गठन

497. श्री नागेश्वर राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने का निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो नये निदेशक मंडल के कब तक पुनर्गठन किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रथम निदेशक मंडल, जिनका गठन 18 जुलाई 1970 को बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 की धारा 7 के अन्तर्गत किया गया था, कार्य कर रहे हैं। आशा हैं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खण्ड 3 के अनुसार निदेशक मण्डल शीघ्र ही गठित किये जाएंगे ।

भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम

498. श्री नंबलकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम के निदेशक कौन कौन हैं और वे निगम बोर्ड में कब से हैं;

(ख) क्या इन निदेशकों में से किसी के साथ सम्बद्ध कम्पनियों ने गत तीन वर्षों में निगम से रुपयें या विदेशी मुद्रा के रूप में ऋण लिये है; और

(ग) क्या निगम के बोर्ड में लघु उद्योग का भी कोई प्रतिनिधि है और यदि हां, तो उस का नाम क्या है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम गैर-सरकारी क्षेत्र का एक दीर्घावधिक वित्तीय संस्थान है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में निगमित किया गया था । सरकार द्वारा नामांकित एक निदेशक और एक ऋण पत्र निदेशक को छोड़ कर, निगम के शेष सभी निदेशक साधारण सभा की बैठक में बारी-बारी से चुने जाते हैं । इस सम्बन्ध में अपेक्षित जानीकारी संलग्न विवरण में दी गयी है ।

(ख) जीं, हाँ । पिछले तीन वर्षों में रुपया-मुद्रा के रूप में 2568 लाख रुपये और विदेशी मुद्रा के रूप में 6138 लाख रुपये के ऋण मंजूर किए गए । उन औद्योगिक प्रतिष्ठानों को, जिनका कोई एक या अन्य निदेशक भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम का भी निदेशक था, रुपया मुद्रा के रूप में 145 लाख रुपये और विदेशी मुद्रा के रूप में 696 लाख रुपये के ऋण दिये गये ।

(ग) ऐसा कोई प्रतिनिधि निगम के बोर्ड में नहीं है परन्तु निगम के सभी निदेशक लघु उद्यमकर्ताओं की परियोजनाओं का वित्तपोषण करने में सक्रिय रूप से रूचि लेते हैं, जिनके लिए निगम ने एक सरलीकृत योजना तैयार की है ।

विवरण

भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम का निदेशक मण्डल (बोर्ड)

निदेशकों का नाम	प्रथम नियुक्ति की तिथि
1. श्री एच० टी० पारिख, अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक	पहली जनवरी, 1968 (पहली जनवरी, 1972 को अध्यक्ष नियुक्त किए गए)
2. श्री कस्तूर भाई लालभाई	5 जनवरी, 1955 (संस्था की अन्तर्नियमावली में निदेशक के रूप में नामांकित)
3. श्री के० के० बिरला	25 फरवरी, 1959
4. श्री डी० पी० गोयनका	25 जून, 1959
5. श्री एन० ए० पालखीवाला	28 अक्तूबर 1959
6. श्री एल० जे० मुल्करन	14 जनवरी, 1963
7. श्री एन० एम० वाग्ले	22 सितम्बर, 1966
8. श्री भास्कर मित्र	24 जुलाई, 1968
9. श्री एम० वी० सोहनी, प्रबन्ध निदेशक (जीवन बीमा निगम)	26 दिसम्बर, 1969

10. श्री ए० डब्ल्यू० वी हैवार्ड	26 दिसम्बर, 1969
11. श्री के० पी० जे० प्रभु, कस्टोडियन, कनारा बैंक	21 जून, 1971
12 श्री बी० बी० लाल सचिव औद्योगिक विकास मंत्रालय,	8 सितम्बर, 1971
13. श्री जे० रसल,	10 दिसम्बर, 1971
14. श्री वी० एम० भिडे, सरकारी निदेशक	7 दिसम्बर, 1970
15. श्री एम० एल० ग्रीनवर्ग, श्री एल० जे० मुल्करन के स्थान पर निदेशक	14 जनवरी, 1971
16. श्री जी० डब्ल्यू० विल, श्री जे० रसल के स्थान पर निदेशक	10 दिसम्बर, 1971

Loans to Himachal Pradesh

499. **Shri Hukam Chand Kachwai:** will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to Himachal Pradesh by the Central Government during the financial year 1971-72; and

(b) the amount of interest outstanding on the loan ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : (a). Loans given by the Central Government to Himachal Pradesh during the current year up to January, 1972, amount to Rs. 3.55 crores.

(b) Interest payable by the State Government in the current year on the loans outstanding is estimated at Rs. 4.22 crores.

Opening of Branches of Nationalised Banks in Shadhol District, Madhya Pradesh

500. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the number of new Branches of nationalised banks opened in Shahdol District in Madhya Pradesh during the current year ?

The Minister of Finance (Shri Yeshwantrao Chavan) : During the year 1971, Central Bank opened an office at Shahdol. Permission has also been given by Reserve Bank to Central Bank of India for opening offices at three more centres in the district.

नये तेल शोधक कारखानों का खोला जाना

501. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी तीन वर्षों के दौरान सरकार का विचार कितने तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का है;

(ख) ये कारखाने किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे तथा उनकी तेल-शोधन क्षमता कितनी-कितनी होगी; और

(ग) क्या ऐसे कारखाने स्थापित करने के लिए सरकार पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी ?

विधि और न्याय तथा पेट्रौलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) : (I) पश्चिमी बंगाल में हल्दिया नामक स्थान पर प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन मीटरी टन की क्षमता की एक परिष्करणशाला का निर्माण हो रहा है । आशा है कि 1973 के मध्य तक इस में उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ।

(II) सरकार ने प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीटरी टन की क्षमता की एक परिष्करणशाला असम में बंगेगांव नामक स्थान पर स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है । आशा है कि यह 1976 के प्रारम्भ में चालू हो जायेगी ।

(III) देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में प्रतिवर्ष 6 मिलियन मीटरी टन की क्षमता की एक तेल परिष्करणशाला की स्थापना करने का भी सरकार विचार कर रही है । इसके स्थान के बारे में अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया हैं । इस प्रायोजना के पाँचवीं योजना अवधि में चालू हो जाने की आशा है ।

(ग) नई परिष्करणशालाओं के लिए स्थान अधिकाँशत: तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर निर्धारित करने होते हैं ।

छठे वित्त आयोग की स्थापना

502. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** :
श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठे वित्त आयोग की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन कौन होंगे एवं निर्देश पद क्या होंगे; और

(ग) आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक दी जाएगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) ग्रौर (ग) छठे वित्त आयोग के गठन और उसके विचारनीय विषयों के बारे में अभी विचार किया जा रहा है और जैसे ही इन मामलों पर निर्णय ले लिया जाएगा वैसे ही उनकी घोषणा कर दी जायेगी ।

मूल्यों में वृद्धि

503. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 वर्ष के दौरान मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की बात सरकार की जानकारी में आई है;

(ख) 1971-72 वर्ष के दौरान थोक एवं परचून मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई; और

(ग) मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) और (ख) अप्रैल 1971 से फरवरी 1972 तक की अवधि में थोक मूल्यों के सूचक अंक में (1961-62=100) पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। खुदरा मूल्यों का कोई सूचक अंक तैयार नहीं किया गया परन्तु अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960=100) में जनवरी 1971 से फरवरी 1972 की अवधि में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 3.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि हुई है।

(ग) सरकार की राजस्व विषयक मुद्रा सम्बन्धी और प्रशासनिक नीतियों का उद्देश्य मुद्रा स्फीति कारी दबावों को नियंत्रण में रखना है। इस सम्बन्ध में एक समुचित प्रतिबन्धात्मक ऋण नीति का अनुसरण किया जा रहा है और कई वस्तुओं के वायदे के सौदों पर प्रतिबन्ध लगा कर/समाप्त करके सट्टेबाजी पर भी रोक लगा दी गई है।

लोहे और इस्पात तथा वनस्पति जैसी कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में मूल्यों और उनके वितरण पर बराबर नियन्त्रण रखा जा रहा है, नियन्त्रित कपड़े के लिए ऊंचे मूल्य के सम्बन्ध में वस्त्र उद्योग की माँग ठुकरा दी गई है। कपास, तेलों और तेलहनों तथा कुछ प्रकार के इस्पात जैसी आवश्यक कच्ची वस्तुओं की कमी को आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

राशन/उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछा हुआ है। अनाज के वितरण को उदार बना दिया गया है और राज्य सरकारों को आदेश दे दिये गये हैं कि वे दूरस्थ क्षेत्रों में भी ऐसी दुकानें खोलें। हाल के महीनों में खाद्य निगम ने खुले बाजार में अनाज बेचना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जनवरी 1972 से चीनी के उत्पादन के 60 प्रतिशत भाग को राशन और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। सरकारी वितरण प्रणाली का और विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है जिससे अनाज और चीनी के अलावा दूसरी जिंसों को भी इस के अन्तर्गत लाया जा सके।

अरब सागर और खम्भात की खाड़ी में तेल के लिए सर्वेक्षण

504. श्री नवल किशोर सिंह :
श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अरब सागर और खम्भात की खाड़ी में ड्रिलिंग करने के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण प्रारम्भ किया है;

(ख) क्या ड्रिलिंग कार्य किसी विदेशी सहयोग के साथ किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां तो अब तक क्या प्रगति हुई है और सर्वेक्षण के क्या परिणाम प्राप्त होने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क), (ख) और (ग) फ्रैंच गवर्नमेंट क्रैडिट अस्सिटैंट (फ्रांस की सरकार की ऋण सहायता) के अन्तर्गत (ठेके पर सी जी जी), फ्रांसीसी कम्पनी की सेवाओं और एक भूकम्पीय जहाज के प्रयोग द्वारा हाल ही में खम्भात की खाड़ी के संलग्न अरब सागर में विस्तृत भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया था। फ्रांसीसी जहाज के बोर्ड पर उपयुक्त उद्यतन भूकम्पीय आगुंलिक उपकरण द्वारा एकत्र किये गये आंकड़ों को अब फ्रांस में सी जी जी के संगणक केन्द्र में तैयार किया जा रहा है। तैयार किये गये इन आंकड़ों से बम्बई हाई और संलग्न संरचनाओं पर अन्वेषी व्यधन के लिये स्थानों का ठीक ठीक पता लगाने हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता मिलने की आशा है। सैल्फ-प्रोपैल्ड (स्वयंचालित) जैक-अप प्लेटफार्म जिसका जापान में निर्माण हो रहा है तथा सितम्बर 72 के अन्त तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को जिसके प्राप्त होने की आशा है, का प्रयोग करते हुए इस वर्ष के अन्त तक व्यधन के प्रारम्भ होने की आशा है। अमरीकी फर्म आफ शोर इंटरनेशनल एस०ए०, जिसने जैक-अप प्लेटफार्म का डिजाइन भी तैयार किया है के अपतट व्यधन विशेषज्ञों को ठेके के आधार पर उपलब्ध सेवाओं का प्रयोग करते हुए प्रारम्भ में व्यधन परिचालनों को सम्पन्न किया जाएगा।

भारत द्वारा बंगला देश को विमानों की सप्लाई के बारे में करार

505. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश को विमानों की सप्लाई के लिए भारत तथा बंगला देश की सरकारों के बीच एक करार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में भी बंगला देश सरकार से पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) बंगला देश सरकार की प्रार्थना पर 200 श्रेणी के दो फोकर फ्रैंडशिप विमान मार्च के प्रथम सप्ताह में बंगला देश विमान को दिये गये थे। इन विमानों के संधारण के लिए अपेक्षित आवश्यक फालतू पुर्जे एवं सामग्री भी उन्हें प्रदान की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(ख) और (घ) विमान देने तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने से संबंधित शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

जापान से ऋण के सम्बन्ध में समझौते

506. **श्री नवल किशोर शर्मा** :
श्री सी० जनारदनन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत और जापान के बीच ऋण सम्बन्धी तीन समझौते हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन के अन्तर्गत भारत को कितनी राशि प्राप्त होने की संभावना है और इन ऋणों का किस प्रकार उपयोग किया जाना है; और

(ग) क्या ये समझौते हाल ही के भारत पाक युद्ध के पश्चात हुए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) हाल में. जापान के निर्यात आयात बैंक के साथ 73.26 करोड़ रुपए (31 अरब येन) के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसमें से 37.18 करोड़ रुपया (16 अरब येन) परियोजनाओं के लिए और 34.45 करोड़ रुपया (15 करोड़ येन) वस्तुओं के आयात के लिए हैं। ऋण का परियोजनागत भाग इन परियोजनाओं के लिये काम में लाया जायगा : (i) कोचीन जहाज निर्माण परियोजना (ii) तुत्तिकड़ि उर्वरक परियोजना (iii) कोटा उर्वरक (विस्तार) परियोजना, स्वीकृति प्राप्त अन्य परियोजनाएं और पूंजीगत माल के आयात के लिए ऋण के वस्तु आयात भाग का इस्तेमाल इस्पात, कच्चे माल, उद्योगों के लिए संघटकों और फालतू पुर्जों तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के मशीनों के लिए आयात के लिए किया जायगा।

(ग) जी, हां। ऋण करार पर पहली फरवरी 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे।

ब्रिटेन वित्तीय सहायता

507. **श्री भोला मांझी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में ब्रिटेन से कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई;

(ख) क्या इस सहायता का एक भाग भारत में ब्रिटिश स्वामित्व वाली फर्मों की आवश्यकताओं के लिए आरक्षित है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस हेतु कुल कितनी राशि आरक्षित है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) ब्रिटेन ने भारत को 1971-72 के वर्ष के लिए 5.45 करोड़ पौण्ड (98.1 करोड़ रुपए) की सहायता के जो वचन दिए थे, उनमें से, अब तक, कुल 4.25 करोड़ पौण्ड (76.5 करोड़ रुपए) की रकम के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) ब्रिटेन द्वारा दी गई सहायता का कोई भाग ब्रिटिश-स्वामित्व वाली फर्मों के लिए आरक्षित नहीं है। परन्तु, ब्रिटेन मूलक फर्मों की अर्थात उन फर्मों के लिए जो वित्तीय या तकनीकी रूप से ब्रिटेन से सम्बन्धित हैं या जो ब्रिटेन की परम्परागत खरीददार हैं, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 30 लाख पौण्ड (5.4 करोड़ रुपए) की रकम अलग रख दी गई है।

आयात/निर्यात बैंक की स्थापना

508. **श्री डी० पी० जडेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग आयोग ने देश में आयात और निर्यात बैंक की स्थापना का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री श्री (यशवंतराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं। आयोग का निष्कर्ष है कि इस समय निर्यात आयात बैंक की स्थापना का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) सरकार आयोग की सिफारिशों पर यथाशीघ्र विचार कर लेगी।

गुजरात आने वाले विदेशी पर्यटन

509. श्री डी० पी० जदेजा
श्री बेकारिया

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार, कितने विदेशी पर्यटक गुजरात राज्य में आये;

(ख) वे किन किन देशों से आये थे; और

(ग) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान गुजरात में और अधिक पर्यटक केन्द्रों का विकास करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटक आगमन के आंकड़े अखिल भारतीय आधार पर तैयार किए जाते हैं न कि राज्यवार आधार पर।

(ग) केन्द्रीय सरकार साबरमती आश्रम में एक 'ध्वनि एवं प्रकाश' प्रदर्शन की व्यवस्था कर रही है तथा गिर वन्य जीव शरणस्थान में एक विश्राम-गृह का निर्माण कर रही है।

भोपाल तथा रायपुर के बीच हवाई संबंध स्थापित करने का प्रस्ताव

510. श्री रणबहादुर सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल और मध्य प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों के बीच कोई हवाई सम्बन्ध नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का इस वर्ष के दौरान भोपाल तथा रायपुर के बीच हवाई सम्बन्ध स्थापित करने का विचार है और यदि हाँ, तो कब तक ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित दो विमान सेवाएं भोपाल से होकर जाती हैं :—

1. दिल्ली—ग्वालियर—भोपाल—इंदौर—बंबई।
2. कलकत्ता—जमशेदपुर—रांची—रूरकेला—रायपुर—भोपाल।

मैसर्स वोल्गा रेंस्टोरेंट, दिल्ली से धनकर की वसूली

511. श्री रेणुपद दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स वोल्गा रैस्टोरैंट तथा समूह, दिल्ली के साझेदारों से 31 दिसम्बर, 1971 तक कितना धनकर वसूल किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : वसूल किए गए धन-कर की राशि 10,908 रु० थी।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

512. श्री एस० ई० होरो : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में अब तक लगाये गये विदेशी धन की राशि, उद्योगवार एवं देश-वार कितनी है; और

(ख) ऐसे उद्योग कौन से हैं जिनमें निवेश के रूप में विदेशी हित प्रमुख हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें मार्च 1968 के अन्त की स्थिति की सूचना दी गयी है। अभी हाल की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार कार्य अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख उपक्रमों के रूप में पंजीकृत विदेशी बहुमत वाली कम्पनियों के विवरणों तथा अन्य उपलब्ध सूचनाओं से पता चलता है कि बागानों, पेट्रोलियम, सिग्रेट, दियासलाई, औषधियों और भेषजों, मोटर गाड़ियों के टायर-ट्यूबों और निम्नलिखित उत्पादों में काफी अधिक विदेशों पूंजी लगी हुई है :—

एल्यूमिनियम की पन्नियां और डिब्बे आदि बना के काम आने वाली चद्दरें
औद्योगिक वी पट्टियाँ और पंखों की पट्टियाँ
ग्रामोफोन के रिकार्ड तथा रिकार्ड चलाने के उपकरण
शुष्क सेल और बैटरियाँ
माल्टयुक्त दूध
क्राउन कार्क
इंधन अन्त: क्षेप्य उपकरण
चिंनगारी प्लग
लिफ्ट
टाइपराइटर

उक्त सूची विस्तृत नहीं है। इनमें से अधिकतर मामलों में, भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही, विदेशी पूँजी अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। यद्यपि इन वर्षों के दौरान विदेशी पूंजी में वृद्धि मुख्यतः धारित आय के माध्यम से हुई है परन्तु इससे सम्बद्ध भारतीय पूंजी निवेश में भी लगातार वृद्धि हुई है भले ही वह अभी तक अल्पमत में ही है।

विवरण

निगमित औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यम-देशवार तथा उद्योगवार बकाया दीर्घावधिक विदेशी गैर-सरकारी निवेश

(करोड़ रुपयों में)

				मार्च 1968 के अंत की स्थिति के अनुसार		
देश	बागान	खनन	पैट्रोलियम	विनिर्माण	सेवायें	जोड़
कनाडा	—	—	—	13.5	—	13.5
फ्रांस	—	1.2	1.5	14.6	29.1	46.4
जर्मनी (पश्चिमी)	—	—	—	32.4	38.8	71.2
इटली	—	—	15.0	24.9	0.2	40.1
जापान	—	—	2.1	45.3	34.4	81.8
स्विट्जरलैंड	1.1	—	—	25.5	2.0	28.6
स्वीडन	—	—	—	16.0	2.4	18.4
ब्रिटेन	121.0	6.3	106.0	278.5	113.7	625.5
अमेरिका	0.1	—	70.0	87.1	40.4	197.6
अन्य देश	0.3	0.8	1.8	43.4	13.1	59.4
जोड़	122.5	8.3	196.4	581.2	274.1	1182.5

पूर्वी क्षेत्र में बैंक सम्बंधी सुविधाएं

513. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वी भाग में अन्य भागों की तुलना में बैंक सुविधायें बहुत कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) जी, हाँ। देश के पूर्वी भाग में (असम, अरूणाचल, बिहार, मिजोराम, मणिपुर नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में) बैंक सुविधाएं अपेक्षाकृत कम हैं।

(ख) बैंकों को रिजर्व बैंक और सरकार दोनों ने यह कहा है कि वे इस भाग में बैंक सुविधाओं के विकास की गति तेज करने के लिए विशेष कदम उठाये।

गुजरात में तेल बंदरगाह

514. **श्री प्रभुदास पटेल** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का गुजरात के भड़ोंच जिले में दाहेज के पास नर्मदा के मुहाने के निकट तेल बन्दरगाह स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने सौराष्ट्र में ओखा और जामनगर के निकट सलाया स्थान पर बन्दरगाह स्थापित करने सम्बन्धी पहला प्रस्ताव त्याग दिया है;

(ग) यदि हां, तो स्थापना-स्थल के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा; और

(घ) उस पर कुल कितना खर्चा होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (घ) कोयाली परिष्करणशाला तथा देश के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में प्रस्तावित तेल परिष्करणशाला की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्चे तेल के आयात के लिए बन्दरगाह सुविधाओं के विकास हेतु किसी उपयुक्त स्थान को निश्चित करने के लिए सितम्बर, 1970 में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था। दल ने कच्छ की खाड़ी में टर्मिनल स्थल की सिफारिश की थी। विस्तृत जलग्राफ सर्वेक्षण तथा समुद्र तल परिस्थितियों के अन्वेषण के आधार पर वास्तविक स्थान का चयन किया जायेगा। इसने दाहेज को उपयुक्त नहीं समझा क्योंकि दाहेज से दूर तथा गमनमार्गों में उपलब्ध ड्राफ्ट अपर्याप्त हैं और बड़े आकार के टैंकर दाहेज तक नहीं जा सकते। विस्तृत जलग्राफी सर्वेक्षण तथा समुद्र तल परिस्थितियों के अन्वेषण के परिणाम ज्ञात हो जाने पर ही स्थान के बारे में निर्णय लिया जायेगा और इस प्रायोजना पर होने वाले कुल व्यय का अनुमान लगाया जायेगा।

युद्ध में मारे गये सैनिकों के आश्रितों की देखभाल

515. श्री प्रभुदास पटेल :
श्री पी गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में हुए भारत-पाक युद्ध में मारे गये भारतीय सैनिकों के आश्रितों का पूरा ध्यान रखने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसे आश्रितों की संख्या कितनी है और इस निर्णय को क्रियान्वित में कितना वित्तीय व्यय आएगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) हाल के भारत-पाक युद्ध के दौरान वीरगति प्राप्त सशस्त्र सेना-कार्मिकों के परिवारों को अथवा अशक्त हुए सैनिकों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए सरकार ने एक योजना तैयार की है, इस योजना के अन्तर्गत पेंशन की दरें बढ़ाई गई हैं और उनके दिए जाने की शर्तें उदार कर दी गई हैं। उदार पेंशन लाभ मंजूर करते हुए सरकारी आदेशों की एक प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1453/72] इस योजना में आवास, प्रशिक्षण, रोजगार, सहायता, डाक्टरी सुविधाएं और बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी सम्मिलित है। भारत की समेकित निधि के अंतर्गत न आने वाली अन्य परोपकारी

निधियों से इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अन्य लाभों को दिए जाने की व्यवस्था करने के लिए रक्षा मंत्रालय में एक केन्द्रीय संगठन बनाया जा रहा है ।

(ग) आश्रितों की संख्या के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ? उदार पेंशन योजना पर होने वाला गैर आवर्तक व्यय लगभग 1.5 करोड़ रुपये और आवर्तक व्यय 1.5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष होने का अनुमान है ।

मद्रास में अवाड़ी कारखाने में हड़ताल

516. **श्री एच०एम० पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मद्रास में अवाड़ी कारखाने के अहाते के अन्दर और बाहर प्रदर्शन और लाठी चार्ज की घटनायें हुई थीं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मद्रास सरकार और अवाड़ी कारखाने के प्रबंधकों से हड़ताल के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हैवी व्हीकल फैक्टरी अवाड़ी में 24-1-72 से 7-2-72 के मध्य हुई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान फैक्टरी के अहाते के बाहर प्रदर्शन और लाठी चार्ज की कुछ घटनाएं हुई थी । कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाने के कारण राज्य सरकार को लाठी चार्ज करना पड़ा था ।

हड़ताल की अवधि के दौरान प्रबन्धक वर्ग से प्राप्त रिपार्टों में बताया गया था कि हड़ताल गैर कानूनी थी क्योंकि इसके लिए कोई पूर्व नोटिस प्राप्त नहीं हुआ था और न ही समझौते के लिए कोई मामला बाकी था । लेकिन हड़ताल शुरू होने के पश्चात कर्मचारियों की ओर से मांगों की एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिस पर कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बात चीत की गई थी और 7-2-72 को हड़ताल समाप्त कर दी गई । राज्य सरकार से इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी ।

युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं की स्थिति

517. **श्री एच० एम० पटेल :**
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 दिसम्बर, 1971 के 'टाईम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवायें उपेक्षित और विस्मृत महसूस करती हैं शीर्षक के अन्तर्गत इस समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) यद्यपि युद्ध में वीरगति प्राप्त अफसरों और जवानों की पत्नियों के जीवन में आए हुए सूनेपन को भरना असम्भव है फिर भी सरकार ने उन्हें उन ी आर्थिक कठिनाइयों से उभारने

के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। उन्हें दिसम्बर 1971 और जनवरी 1972 के माह की पूरी वेतन दी गई है और विशेष पारिवारिक पेंशन काफी बढ़ी हुई दरों पर देने के लिए 24 फरवरी 1972 को आदेश जारी किए गए हैं। आश्रित-पेंशन तथा पारिवारिक उपदान आदि की दरें भी उदार कर कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त मृत्यु प्राप्त सेना कार्मिकों के बच्चे अब प्रथम डिग्री कोर्स तक निशुल्क शिक्षा पाने के हकदार हैं। आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1454/72] अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए एक नई योजना तैयार की गई है और यह निर्णय किया गया है कि युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिक अफसरों और सैनिकों की विधवाओं से संबन्धित सभी समस्याओं और योजनाओं पर विचार करने के लिए एक विशेष संगठन स्थापित किया जाय।

युद्ध के दौरान हुई जन-धन की हानि का अनुमान

518. श्री नागेश्वर राव : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई भारत को जन-धन की हानि का कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) :

(i) **जनहानि**

थल सेना	—3238
नौसेना	— 200
वायु सेना	— 33

(ii) **मालहानि**

टैंक	— 73
युद्ध पोत	— 1 (फ्रिगेट)
वायुयान	— 45

तेल शोधनशाला में सहयोग के संबंध में भारत-ईराक तकनीकी वार्ता

519. श्री रोबिन सेन :
श्री अर्जुन सेठी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बगदाद में हुई भारत ईराक तकनीकी वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) क्या ईराक सरकार ने भारत में एक तेल शोधन शाला में धन लगाना स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो समझौते की मुख्य शर्तें क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) : बगदाद में हुई भारत-ईराक तकनीकी वार्ता में किसी समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिया गया था। अभी भी बात चीत हो रही है। वार्ता में ईराकी कच्चे तेल पर आधारित एक तेल परिष्करणशाला में धन लगाने की ईराक की पेशकश का जिक्र हुआ था। तथापि, कच्चे तेल की सप्लाई की शर्तों के बारे में समझौता हो जाने पर ही इस विषय पर आगामी पैरवी की जा सकती है।

मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड

520. **श्री टी० एस० लक्ष्मणन :** क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राईवेट) लिमिटेड, जिसका दिवाला निकल गया है के सरकारी परिसमाप ने अब तक कुल कितना धन वसूल किया है;

(ख) क्या परिसमाप ने इस बीच उन सभी लेनदारों के दावों को जांच कर ली है जिसके पास 'हुंडिया' हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो लेनदारों के जांचे हुये दावों को पहली किश्त का वितरण कार्य कब आरम्भ होगा ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) 7 मार्च 1972 तक सरकारी समापक ने समापन में दो सिनेमाओं, एक दिल्ली और दूसरा बम्बई में चलाकर तथ: निश्चित जमा ब्याज और विविध कार्यवाही द्वारा रु० 57, 85, 909.73 संग्रहीत किया।

(ख) कम्पनी के जमाकर्ताओं द्वारा दाखिल दावों पर सरकारी समापक द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक 92, 79, 123.05 रु० के 2242 दावे या तो आंशिक या पूर्णरूप में स्वीकृत हुए हैं और 41 अस्वीकृत कर दिये गये हैं। कुछ दावों में चाही सूचना या जमाकर्ता द्वारा दिये जाने वाली सामग्री के कारण सत्यापन लम्बित है।

(ग) सरकारी समापक के प्रतिवेदन पर न्यायालय 1 ने जून 1972 से 30 नवम्बर, 1972 तक देय को तिथि निश्चित करते हुए मुख्य जमाकर्ताओं को 100 पैसा एक रुपया पर लाभांश तथा सामान्य जमाकर्त्ताओं को 20 पैसा एक रुपये पर लाभांश घोषित किया है।

गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड से आय-कर की वसूली

521. **श्री टी०एस० लक्ष्मणन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड जिसका दिवाला निकल गया है; के विरुद्ध आय-कर की कुल कितनी बकाया राशि है;

(ख) इस आय कर की कितनी बकाया राशि कम्पनी के दिवालिया होने से पूर्व की है और दिवालिया होने के बाद की अवधि की कितनी है;

(ग) कम्पनी के दिवालिया होने से पूर्व आय-कर की बकाय राशि वसूल न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या कम्पनी के दिवालिया होने के पश्चात की आय-कर की बकाया राशि कम्पनी के नाम पर विद्यमान सम्पत्ति को बेचने से प्राप्त आय से वसूल की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्रा०) लि०, की ओर जो अब परिसमापन में हैं 1-3-72 को आयकर की कुल देन-दारियां इस प्रकार है :—

कर-निर्धारण वर्ष	**रकम**
1960-61	1,12,583 रु०
1965-66	4,80,660 रु०
1965-66 (धारा 220 (2) के अधीन ब्याज)	50,353 रु०
1966-67	3,65,430 रु०
जोड़ :	10,09,026 रु०

(ख) 1,12,583 रु० की मांग कम्पनी के परिसमापन से पहले जारी की गई थी। 8,96,443 रु० की शेष मांग कम्पनी के परिसमापन के आदेश की तारीख के बाद जारी की गई थी।

(ग) आय-कर की बकाया रकम परिसमापन से पहले वसूल नहीं की गई, क्योंकि मांगें विवादग्रस्त थी।

(घ) चूंकि कम्पनी, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, परिसमापन में है, अतः इन बकाया करों की वसूली उन आदेशों के मुताबिक होगी, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय कम्पनी न्यायाधीश देंगे।

मैसर्स गोलचा प्रापर्टी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा दी गई धनराशि

522 श्री टी० एस० लक्ष्मणन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड ने दिवालिया होने से पूर्व अपनी सहायक कम्पनियों को कुल कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या लेनदारों को भुगतान करते समय इस प्रकार दिये गये धन पर भी विचार किया जायेगा;

(ग) सरकार ने सहायक कम्पनियों को दिये गये धन को वसूल करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रकार दिये गये धन को सहायक कम्पनियों को परिसम्पत्ति अथवा उसके निदेशकों से वसूल करने का है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) से (घ) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की

धारा 4 के उपबन्धों के अर्थों में मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड (समापन में) के पास कोई सहायक कम्पनी नहीं है। हालांकि इसी प्रबन्ध के अन्तर्गत कुछ कम्पनियां हैं या जिससे मैसर्स गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड (समापन में) के वो ही या समितस्थ निदेशक या अंशधारी है जिन्होंने इससे अग्रिम धन लिया।

सरकारी समापक द्वारा इस धन को इस प्रकार की सभी कम्पनियों से वापिस लेने के लिए सही कदम प्रारम्भ कर दिया गया है। कर्तव्यच्युत निदेशकों के विरुद्ध उपकरण कार्यवाही न्यायालय में लम्बित है। जो ऋण जो कुछ भी वास्तविक होगा, उसको जमाकर्त्ताओं में विभाजित किया जायेगा।

स्थल सेनाध्यक्ष का विदेशों का दौरा

523. श्री के० मालन्ना :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थल सेनाध्यक्ष ने फरवरी, 1972 में रूस तथा कतिपय अन्य देशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन-किन देशों का दौरा किया था; और

(ग) किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उनका क्या परिणाम निकला ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) सोवियत संघ और ब्रिटेन।

(ग) 23 फरवरी 1972 को सोवियत संघ के सशस्त्र सेना दिवस समारोह में भाग लेने के लिए सोवियत संघ के चीफ आफ जनरल स्टाफ के निमंत्रण पर हमारे चीफ आफ आर्मी स्टाफ मास्को गये। उनकी वहां से लन्दन यात्रा मुख्यतः ब्रिटेन स्थित सैनिक सलाहकार की सिब्बन्दी से सम्बन्धित थी। इन यात्राओं के दौरान आपसी हितों के मामलों पर विचार विनियम किया गया।

डुबई और कुवैत से सोने, चांदी की तस्करी

524. श्री के० मालन्ना :
श्री एन० शिवप्पा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि डुबई और कुवैत से भारत को सोने, चांदी तथा अन्य ऐश्वर्य की वस्तुओं की बहुत अधिक तस्करी होती है; और

(ख) यदि हां, तो 1971 के दौरान तस्करी द्वारा लाये गये सामान का अनुमानित मूल्य क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या निवारक कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार को पता है कि डुबई से भारत में सोने तथा विलासिता का माल भारी मात्रा में चोरी छिपे लाया जा रहा है, तथा चाँदी भारत से बाहर डुबई को चोरी छिपे ले जाई जा रही है। लेकिन, कुवैत के बारे में इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है।

(ख) 1971 में चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाये गये अथवा भारत में लाये गये माल के मूल्य का अनुमान लगाना व्यावहारिक नहीं है। तथापि, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा वर्ष, 1971 के दौरान 2083 लाख रु० के मूल्य की वस्तुयें पकड़ी गई थीं, जिनमें से अधिकांश संभवतया डुबई से लाई गई थीं।

तस्कर आयात-निर्यात को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये जा रहे उपाय निम्नानुसार है। व्यवस्थित ढंग से सूचना एकत्रित करना और उस पर अनुवर्ती कार्यवाही करना, जिन व्यक्तियों के बारे में तस्करी आयात-निर्यात करने का संदेह है उन पर निगरानी रखना, जिन जलयानों अथवा वायुयानों पर संदेह हो, उनकी तलाशी लेना, तथा समुद्रतट और स्थल सीमाओं के साथ-साथ सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों की जाँच करना। प्रभावी अन्तारोधन, निवारण आदि कार्यों के लिए समय-समय पर अतिरिक्त नौकाओं तथा वाहनों की व्यवस्था की जा रही है। सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में तस्कर विरोधी कार्य की अनन्य रूप से देखभाल करने के लिए सीमाशुल्क के समाहर्ता, अपर समाहर्ता तथा सहायक समाहर्ता जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती कर दी गई हैं। कुछ वस्तुओं के अवैध आयात-निर्यात को रोकने तथा उन वस्तुओं को रोके जाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के निमित्त विशेष उपाय करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 का संशोधन करके अतिरिक्त व्यवस्थायें की गई हैं। स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है।

ऋण देने वाली संस्थाओं और जीवन बीमा निगम द्वारा टाटा आइरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज आदि में शेयर के रूप में धन लगाना

525. श्री एन० शिवप्पा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की ऋण देने वाली संस्थाओं और जीवन बीमा निगम ने इस समय टाटा आयरन एण्ड स्टील इन्डस्ट्रीज टेलकों और इण्डियन आयरन इन्डस्ट्रीज में शेयर के रूप में कितना धन लगाया है; और

(ख) क्या सरकार का इन कम्पनियों के प्रबन्ध पर नियंत्रण है और यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड और इण्डियन आइरन स्टील कम्पनी लिमिटेड के सामान्य शेयर पूंजी में, सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों (जिसमें जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट और सामान्य जीवन बीमा कम्पनियाँ शामिल हैं) की शेयर धारिता का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) तीनों कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में सरकार का एक एक मनोनीत व्यक्ति है। इसके अलावा इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड के निर्वाचित सदस्यों में सरकारी क्षेत्र का प्रयिनिधित्व करने वाले 3 निदेशक हैं।

विवरण

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, टाटा इंजीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड तथा इण्डियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के सामान्य शेयरों में सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों (जिसमें जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा सामान्य जीवन बीमा कम्पनियां शामिल हैं) की शेयर धारिता।

(लाख रुपयों में)

वित्तीय संस्थान का नाम	टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी सामान्य शेयर (अंकित मूल्य)	टाटा इन्जीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड सामान्य शेयर (अंकित मूल्य)	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड सामान्य शेयर (अंकित मूल्य)
भारतीय यूनिट ट्रस्ट	347.09 (9.0)	42.78 (3.0)	114.20 (4.6)
जीवन बीमा निगम	685.71 (17.8)	108.04 (7.5)	779.30 (31.3)
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम	—	—	—
भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	—	7.60 (0.5)	—
राष्ट्रीयकृत बैंक	2.83 (0.1)	2.25 (0.2)	—
सामान्य बीमा कम्पनियां	194.62 (5.0)	79.39 (5.5)	45.52 (1.8)
भारतीय स्टेट बैंक	—	—	—
वित्तीय संस्थानों द्वारा कुल अभिदत्त पूंजी	1230.25 (31.9)	240.06 (16.7)	939.02 (37.)
कुल अभिदत्त पूंजी	3858.02 (100.0)	1434.93 (100.0)	2488.18 (100.0)

टिप्पणी:—कोष्ठकों में दिए गए आँकड़े प्रतिशतताओं के द्योतक हैं।

कोचीन तथा बम्बई के बीच सीधी हवाई उड़ान फिर से प्रारम्भ करने का प्रस्ताव

526. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कोचीन और बम्बई के बीच बहुत अधिक हवाई यातायात है;

(ख) क्या सरकार ने दोनों स्थानों, बम्बई और कोचीन, पर प्रतीक्षा सूची में रह जाने वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो उसके क्या परिव्यय निकले हैं; और

(ग) क्या सरकार का कोचीन से बम्बई की सीधी हवाई उड़ान फिर से प्रारम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सीटों की उपलब्धता की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स का निकट भविष्य में सीधी उड़ान फिर से चालू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों द्वारा निश्चित राशि से अधिक धन निकालना

527. **श्री के० सूर्यनारायण** :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1972 तक विभिन्न राज्यों ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से निश्चित राशि से कितना अधिक धन निकाला था;

(ख) निश्चित राशि से अधिक निकाले गये धन को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) राज्यों द्वारा बैंक से निश्चित राशि से अधिक धन अग्रेतर निकालने के बारे में सरकार ने क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त निश्चित किए हैं तथा उनका राज्यों पर क्या असर पड़ेगा।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) और (ग) हाल में ही उन राज्यों से विचार-विमर्श किया गया है जिन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से निश्चित राशि से अधिक धन निकाला है। सम्बद्ध राज्य सरकारें ऐसे उचित उपाय शुरु करने के लिए सहमत हो गयी है जिससे निश्चित राशि से अधिक धन निकाले जाने में कमी होगी। इन उपायों में आयोजना भिन्न व्यय में किफायत करना और अतिरिक्त साधन जुटाना

शामिल है। निश्चित राशि से अधिक धन निकाले जाने में और वृद्धि को रोकने के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई करनी पड़ेगी, उसके ब्यौरे को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

29 फरवरी, 1972 तक राज्यों द्वारा निश्चित राशि से अधिक निकाला गया धन

		(करोड़ रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	34.15
2.	असम	9.26
3.	बिहार	33.21
4.	हरियाणा	7.52
5.	केरल	49.76
6.	महाराष्ट्र	18.07
7.	मैसूर	73.55
8.	राजस्थान	72.18
9.	तमिल नाडु	7.069
10.	पश्चिम बंगाल	7.53
	जोड़	428.92

एयर इण्डिया, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायत

528. श्री के० सूर्यनारायण : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1972 के नई दिल्ली से प्रकाशित 'टाइम्स आफ इण्डिया' के पृष्ठ एक पर "महाराजा का अपनी प्रजा पर अत्याचार" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह): जी, हां। कुछ यात्रियों को जिनके पास लन्दन से जारी की गइ एयर इण्डिया चार्टरज लिमिटेड द्वारा परिचालित 19 फरवरी, 1972 की उड़ान पर दिल्ली से लन्दन के लिए आरक्षित टिकटें थी, उस उड़ान में स्थान नहीं दिया जा सका क्यों कि उड़ान पहले से ही पूरी तरह से बुक हो चुकी थी। इन यात्रियों ने एयर इण्डिया के दिल्ली कार्यालय से अपने आरक्षणों की जाँच नही करवायी थी और न ही उन से कोई सम्बन्ध स्थापित किया था, अपितु उड़ान के प्रस्थान के समय विमान क्षेत्र पर उपस्थित हो गये थे जब कि उड़ान में उन के लिए तब कोई स्थान उपलब्ध नहीं था।

ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एयर-इण्डिया के सभी स्टेशनों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वे एयर-इंडिया की चार्टर उड़ानों के समस्त यात्रियों को बता दिया करें कि उड़ान से काफी पहले वे एयर-इण्डिया के सम्बन्धित स्टेशन से अपने आरक्षों की पुष्टि करा लें।

एयर इण्डिया द्वारा लागू किए गए भ्रमण-किराये

529. **श्री के० सूर्यनारायण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया ने हाल में यूरोप, ब्रिटेन तथा अमेरिका में अनेक स्थानों के लिए कुछ भ्रमण किराये लागू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मार्गों के लिए;

(स) क्या इन किरायों में किसी भी दिशा में जाते हुए रास्ते में एक स्थान पर भी रुकने की अनुमति नहीं है;

(घ) क्या विदेशी एयर लाइनों द्वारा लागू किये गये घटाये हुए किरायों में आते-जाते किसी भी समय रुकने की अनुमति है; और

(ङ) यदि हां, तो एयर इण्डिया द्वारा वैसा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एयर इण्डिय ने भारत व यू० एस० ए० तथा यू० एम० ए० व भारत के बीच दोतरफा यात्रा (राउंड ट्रिप) के लिए सस्ते 'भ्रमण किरायों' की व्यवस्था की है। यद्यपि यूरोप के स्थानों के लिए कोई भ्रमण किराया (एक्सकर्शन फेयर) निश्चित नहीं किया गया है, एयर इण्डिया ने भारत व फ्रांस तथा फ्रांस व भारत के बीच "राउंड ट्रिप" के लिये सस्ता "युवक किराया" (यूथ फेयर) चालू किया है।

(ग) भारत व यू० एस० ए० तथा यू० एस० ए० व भारत के बीच के 'भ्रमण किराये' तथा फ्रांस—भारत "युवक किराये" किसी बीच के स्थान पर रुकने की अनुमति नही देते। तथापि, भारत—फ्रांस "राउंड ट्रिप" युवक किराये पर, प्रत्येक दिशा में बीच के एक स्थान पर रुकने की अनुमति दी गई है, परन्तु यात्रा उसी वाहक पर की जानी चाहिए।

(घ) इन मार्गों पर परिचालन करने वाली विदेशी एयर लाइनें इन किरायों के बराबर किराये ले सकती है बशर्ते कि वे निर्धारित शर्तों का अनुपालन करें।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता।

तोड़ेपल्लीगुडम के स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा कृषि कार्यों के लिए दिया गया ऋण

530. **श्री के० सूर्य नारायण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में स्टेट बैंक आफ इंडिया की ताड़ेपल्लीगुडम शाखा ने कृषि कार्यों के लिये कुल कितना ऋण दिया था तथा दिसम्बर, 1971 तक उसकी कितनी वसूली हुई ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Enquiry into the Escape of Pak Prisoners of War in India

531. Shri Mohan Swarup :
Shri R. P. Yadav:

Will the Minister of **Defence** be pleased to state:

(a) whether two batches of Pakistani prisoners of war escaped while in transit in India;

(b) the circumstances in which they escaped and the number of prisoners who have not so far been traced;

(c) whether any enquiry has been made into the causes of their escape and if so, the findings thereof; and

(d) the action taken or proposed to be taken to prevent such incidents in the future ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) Yes, Sir;

(b) One batch consisting of 7 POWs escaped while travelling in a bus on 9th February, 1972. Of these, 5 have been apprehended but 2 have not so far been traced. Another batch of 5 POWs escaped while travelling in a train on 8th/9th January, 1972, but all the 5 have been apprehended.

(c) Enquiry is in progress.

(d) Necessary action has been taken to tighten the security measures further.

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को अलकोहल की सप्लाई

532. श्री मोहन स्वरूप : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को, अन्य राज्यों को और अधिक अल्कोहल देने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष उत्तर प्रदेश में कितने अल्कोहल का उत्पादन हुआ था तथा अन्य राज्यों को कितना अल्कोहल सप्लाई किया गया है; और

(ग) देश भर में कुल कितने अल्कोहल का उत्पादन हुआ ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान अल्कोहल वर्ष में 26.2 मिलियन लीटर अल्कोहल के अनुमानित उत्पादन लेने की सूचना दी है। पिछले वर्ष के अवशेष स्टाक सहित उत्तर प्रदेश राज्य में अल्कोहल का कुल उपलब्धि का अनुमानित 103.0 मिलियन लीटर लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में अल्कोहल की 89.0 मिलियन लीटर अनुमानित मांग को ध्यान में रखते हुए, 14 मिलियन लीटर की अतिरिक्त मात्रा का पश्चिमी बंगाल, दिल्ली, पंजाब और जम्मू तथा काश्मीर जैसे कमी वाले राज्यों को आवंटन किया गया है।

(ग) अल्कोहल वर्ष 1970-71 के अन्तर्गत अल्कोहल का उत्पादन 240 मिलियन लीटर बतलाया गया है।

इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा कोच सेवा के लिए अतिरिक्त किराया लिया जाना

533. **डा० संकटा प्रसाद :**
श्री पम्पन गौडा :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स ने सिटी एयर बुकिंग एजेंसी से हवाई अड्डे तक कोच सेवा के लिए अतिरिक्त किराया लेने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) : इंडियन एयरलाइन्स ने यात्रियों द्वारा उनके कोचों का नगर टर्मिनलों तथा हवाई अड्डों और हवाई अड्डों तथा नगर टर्मिनलों के बीच प्रयोग करने पर एक समुचित किराया लगाने का निर्णय किया हैं। योजना के कार्यान्वियन की तिथि अभी निश्चित नहीं की गई है।

(ख) निःशुल्क भू-परिवहन की व्यवस्था की लागत निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा इंडियन एयरलाइन्स ने भी थोड़ा सा किराया लेने की विश्व व्यापक सामान्य पद्धति का अनुसरण करने का निर्णय किया है।

Decision on Safdarjung Airport

534. **Dr. Sankata Prasad :**
Shri Nanjibhai Ravjibhai Vekaria :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have decided not to close down Safdarjung Airport; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr.Karan Singh) : (a) & (b) : It isproposed to retain Safdarjung airport for the use of flying and gliding clubs, small aircraft, and aircraft with short landing and take off characteristics. The existence of such an airport within the metropolis will be of great value in the years to come.

Assurance Given to Injured and Disabled Soldiers in Respect of their Services

535. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether Government have given an assurance to soldiers injured and disabled in the recent Indo-Pak War to treat them as continuing in service for the whole of their life; and

(b) if so, an outline thereof ?

The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

भारत और पाकिस्तान के सैनिक कमाण्डरों के बीच 'हौट-लाइन' टेलीफोन की व्यवस्था

536 **श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा पाकिस्तानी सैनाओं ने रावलपिंडी तथा नई दिल्ली में अपने कमाण्डरों के बीच 'हौट लाइन' टेलीफोन कनॅक्शन स्थापित कर लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम):(क) तथा (ख): नई दिल्ली और रावलपिण्डी में कमाण्डरों के बीच टेलीफोन से सीधी बातचीत करने के लिए कोई 'हौट लाइन' टेलीफोन व्यवस्था नहीं की गई है। तथापि रावलपिण्डी के लिए एक लाइन सर्कट वाला एक्सचेंज विद्मान है ? आवश्यकता होने पर इस सर्कट पर काल बुक की जा सकती है।

पाक सेनाओं द्वारा जलालाबाद सेक्टर में युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

537. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री पी० गंगा देव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 4 जनवरी, 1972 को जलालाबाद सैक्टर में किलासाहू चौकी पर आक्रमण कर पाकिस्तानी सेना ने युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो युद्ध विराम के उल्लंघन का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति हताहत हुए ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) जी हाँ। 3/4 जनवरी की रात को पाकिस्तानी सेनाओं ने हमारी इस चौकी पर आक्रमण किया था। आक्रमण विफल कर दिया गया था। 12 पाकिस्तानियों को बन्दी बनाया गया था और 24 पाकिस्तानी मारे गए थे। हमारा एक अफसर और 2 अन्य रैंक वीरगति को प्राप्त हुए और 3 अन्य रैंक घायल हुए। हमने एक जीप मीडियम मशीन गनें, राईफलें, और काफी बड़ी तादाद में गोला-बारूद पकड़ा।

भारत और पाकिस्तान के बीच घायल युद्ध बदियों की अदला-बदली

538. श्री सी० पी० दण्डपाणि :
श्री पी० गँगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास ने घायल युद्ध बन्दियों की अदला-बदली के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच एक विमान उड़ाने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो पर उस सरकार की क्या प्रतिक्रिता है; और

(ग) रेडक्रास द्वारा कितने भारतीय युद्ध बन्दी विमान द्वारा भारत लाये गये ?

रक्षा मँत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हाँ, श्रीमन्।

(ख) सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था।

(ग) 17

उरी सेक्टर में पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा युद्ध विराम रेखा का उल्लंघन

539. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी सेनाओं ने 29 दिसम्बर, 1971 को उरी सैक्टर में युद्ध विराम रेखा का उलंघन किया था;

(ख) हमारे कितने सैनिक हताहत हुए; और

(ग) क्या पाकिस्तान उस सैक्टर में कुछ क्षेत्र वापिस लेने में सफल हुआ ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) हमारी ओर से कोई हताहत नहीं हुआ था ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत के लिए अमरीकी सहायता का बन्द किया जाना

540. श्री सी० टी० दण्डपाणि :
श्री पी० के० देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अमरीकी सहायता कार्यक्रम में भारत को सहायता देने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो हमारी विकास परियोजनाओं पर सहायता के बन्द होने का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ग) क्य भारत ने भी अमरीका से कोई सहायता न लेने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो अमरीकी सहायता बन्द होने से उत्पन्न होने वाली कमी को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या उपाय करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी सहायता विनियोग अधिनियम, 1972 में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राजस्व वर्ष जुलाई 1971-जून 1972 के सहायता संबंधी विनियोगों का देशवार ब्योरा नहीं दिया गया है । इस स्थिति में, यह बताना संभव नहीं है कि भारत को सहायता देने के लिए कोई व्यवस्था की गयी है या नहीं ।

(ख) इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का हर तरह से प्रयास किया जायगा कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा सहायता में कमी किये जाने/सहायता बंद किये जाने से विकास परियोजनाओं पर कोई प्रभाव न पड़े ।

(ग) और (घ) संयुक्त राज्य के अथवा किसी अन्य देश से प्राप्त होने वाली विदेशी सहायता के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति यह है कि उसे केवल ऐसी सहायता स्वीकार्य होगी

जिस पर कोई राजनीतिक प्रतिबन्ध न हो। इसके अलावा हमारी नीति यह है कि उत्तरोत्तर आत्मनिर्भर वनने की नीति का अनुपालन करके, देश में उत्पादन बढ़ाकर आयात प्रतिस्थापन के कार्थ को जोरदार बना कर तथा निर्यात में वृद्धि करके, विदेशी सहायता पर भारत की निर्भरता को कम किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में आयात करना अपरिहार्य हो, उन मामलों में अन्य ऋणों के अन्तर्गत तथा उन क्षेत्रों से वस्तुएं प्राप्त करने के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाया जा रहा है, जिनमें रुपयों में अदायगी की जा सकती हो।

महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व में पड़े पेंशन सम्बन्धी तथा अन्य प्रकार के अनिर्णीत मामले

541. **श्री मुहम्मद जमीलुरहमान** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में सेवा निवृत्त अधिकारियों की पेंशन के बहुत से मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में वेतन पत्र जारी करने में कई महीनों की देरी हुई है जिसके परिणामस्वरूप अधिकारियों और कर्मचारियों को कठिनाई हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कार्यालय के कार्यकरण को गति देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के०आर० गणेश): (क) दिनाँक 1 अप्रैल 1971 से अब तक महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व को पेंशन के 1746 मामले प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 71 मामले विचाराधीन हैं और इन 71 मामलों में 28 मामले ऐसे हैं जिनमें सेवा निवृति की तारीखें अभी नहीं आई हैं।

(ख) जिन मामलों में वेतन पर्ची जारी करने के लिए सगत पत्रादि महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व के कार्यालय में समय प्राप्त हो जाते हैं उन मामलों में वेतन-पर्ची जारी करने में साधारणतः कोई विलम्ब नही होता। जिन मामलों मैं विलम्ब होने की सम्भावना होती हैं, उनमें भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को कठिनाइयों से बचाने के लिये अन्तिम वेतन-पर्चियां जारी की जाती हैं। अराजपत्रित कर्मचारियों को वेतन-पर्चियां जारी नही की जाती, क्योंकि उनके वेतन तथा भत्तों का आहरण सम्बन्धित विभागीय प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(ग) ऊपर दिये गये (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

Impact of Devaluation of Dollar on India's Foreign Debts, Exports and Imports

542. **Shri R. R. Sharma :**
Shri Narendra Singh :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the impact of Dollar devaluation so far on India's Planning programme foreign debts, imports, expors and other aspects of economy; and

(b) the steps taken in this regard and the results achieved therefrom ?

The Minister of Finance (Shri Yeswantrao Chavan) : (a) and (b). In the context of the re-alignment of currencies of the ten industrialised countries (known as the "Group of Ten") which was agreed on December 17, 1971, the USA proposed, subject to approval by the U. S. Congress, to increase the price of one ounce of gold in terms of U. S. dollar from 35 to 38 i. e. by 8.57 persent. The increase in the price of gold in terms of the U. S. dollar has not become formal yet. Government of India reviewed the situation in the light of these developments and decided to mainatain the Rupee-Sterling rate which existed prior to the currency re-alignment. This will imply an appreciation of roughly 3 percent for the rupee vis-a-vis the U. S. dollar As the dollar devaluation has been accompanied by changes in the exchange rates of other major currencies, the overall impact of these changes on our economy cannot be judged with reference to the change in the rupee-dollar rate alone. It is too early to say precisely what the combined effect of all these changes will be on our economy. But it is felt that as a combined result of all the changes, our overall competitive position vis-a vis most industrialised countries will improve. Our decision in regard to the exchange rate of the rupee in the context of the dollar devaluation has been taken with refernce to our basic objective of increasing self-reliance by higher export earnnings and greater import substitution and also with a view to avoiding to the maximum extent possible any distrubance to our exporters and importers. The position in regard to individual commodities and markets is kept under review and steps to counter adverse effects, if any, will be taken as necessary.

हलवाड़ा से सैन्य नकशों की चोरी

543. श्री अमरनाथ चावला : क्या **रक्षा** मंत्री हलवाड़ा से सैन्य नकशों की चोरी के बारे में 26 नवम्बर, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1870 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मामले की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ओर उसके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) मामले की जांच पूर्ण कर ली गई है। उस पर विचार किया जा रहा है।

विश्व बैंक के अध्यक्ष की भारत की यात्रा

544. श्री वीरेन दत्त :
श्री पीलू मोदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या विश्व बैंक के अध्यक्ष श्री राबर्ट मैकनमारा की हाल की दिल्ली यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री और सरकार के अन्य प्रतिनिधियों ने उनसे बातचीत की थी;

(ख) यदि हाँ, तो बातचीत का साराश क्या है; और

(ग) इस बातचीत के क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग) विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ, देश की सामान्य आर्थिक स्थिति, चौथी आयोजना की प्रगति और भारत के आर्थिक विकास में सहायता

पहुंचाने के प्रयोजन से विश्व बैंक तथा इससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के योगदान के संबंध में विचार-विमर्श किया गया था। चूंकि किन्हीं विशेष प्रस्तावों पर बातचीत नहीं की गई थी, इसलिए कोई परिणाम निकलने का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता।

पाकिस्तान वायु सेना द्वारा भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण

545. **श्री० जी वाई० कृष्णन्** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् पाकिस्तानी वायु सेना के हवाई जहाज़ों ने भारतीय वायु सीमा का अतिक्रमण किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) हमारी सशस्त्र सेनाएं चौकस हैं और वायु सीमा के अतिक्रमण को रोकने के लिए सभी प्रकार की सावधानी तथा उपाय किए जा रहे हैं।

छोटे सिक्कों की कमी

546. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से देश में छोटे सिक्कों की कमी का पता लगाने के लिए कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निष्कर्ष निकले हैं और छोटे सिक्कों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जीं, नहीं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें, छोटे सिक्कों की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

1970 71 में, छोटे सिक्कों की जो भारी कमी महसूस की गयी थी, वह 1971-72 में काफी हद तक दूर हो गयी। सरकारी टकसालों द्वारा छोटे सिक्कों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि किये जाने तथा रिजर्व बैंक द्वारा थोड़े समय के नोटिस पर कमी वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सिक्के उपलब्ध किये जाने के कारण सिक्कों की उपलब्धि में लगातार वृद्धि करना संभव हो सका है। अक्टूबर/नवम्बर 1970 से अलीपुर और हैदराबाद की टकसालें, सप्ताह में 60 घण्टे काम करती रही हैं। बम्बई की टकसाल में जुलाई 1971 से रोज दो पारियों में, प्रति पारी 9 घण्टे के हिसाब से काम हो रहा है और जनवरी 1971 से सिक्का-ढलाई अनुभागों के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर इसी आधार पर अब भी काम हो रहा है। इन उपायों के परिणामस्वरूप इन टकसालों का औसत दैनिक उत्पादन जो अगस्त, 1970 में 12 लाख सिक्के था, दिसम्बर 1971 में बढ़कर लगभग 65 लाख सिक्के हो

गया। उत्पादन की इस गति को लगातार बनाये रखा जा रहा है। सिक्कों के पिघलाये जाने के खतरे से बचने के लिये, सिक्के ढालने की धातु में सुधार करने के भी उपाय किये गये हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—अक्टूबर 1971 से एल्यूमीनियम-कांसे के 10 पैसे के सिक्कों के स्थान पर एल्यूमीनियम-मैगनेशियम के 10 पैसे के सिक्के ढालना, शुद्ध निकल के 25 पैसे के सिक्कों के स्थान पर दिसम्बर 1971 से ताँबे-निकल के 25 पैसे के सिक्के फिर से ढालना एल्यूमीनियम-कांसे के 20 पैसे के उन सिक्कों की ढलाई बंद करना जो पिघलाये जाते थे और जनवरी 1972 से शुद्ध निकल के स्थान पर तांबे निकल के 50 पैसे के सिक्के ढालना। 11 दिसम्बर, 1971 को, छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम 1971 लागू किया गया, जिसमें, उन लोगों के विरुद्ध निवारण दण्डात्मक कारवाई करने की व्यवस्था है जो छोटे सिक्के पिघलाते हों या जो पिघलाने के उद्देश्य से छोटे सिक्कों की जमाखोरी करते हों।

विदेशी दवाई फर्मों को हाथ में लेने का प्रस्ताव

547. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी दवाई फर्मों को अपने निवेश कम करने के निदेश दिये हैं;

(ख) क्या इन फर्मों को अपने अधिकार में लेने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विदेशी औषधि फर्मों के निवेश कम करने के लिए विशेष रूप से कोई निदेश नहीं दिए गए हैं परन्तु विदेशी फर्मों (औषधि फर्मों को सम्मिलित करते हुए) के ऐसे मामलों, जिनमें और अधिक साम्य पूंजी विदेशी ऋण से लगाई जाती है, में अनावासिक शेयर सहभागिता में कमी करने के लिए सरकार द्वारा कुछ निर्देश-पथ तैयार किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चीनी गुड़ और खांडसारी के स्टाक पर दिये जाने वाले बैंक ऋण पर नियन्त्रण

548. **श्रीमती विभाघोष गोस्वामी** :
श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिर्जव बैंक चीनी, गुड़ और खांडसारी के स्टाक पर दिये जाने वाले बैंक ऋण पर नियन्त्रण को कड़ा करने में असफल रहा है;

(ख) क्या रिजर्व बैंक द्वारा समय पर कार्रवाई न करने के कारण चीनी के भाव बढ़ गये हैं; और

(ग) चीनी का मूल्य कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) जी नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ऋण नियंत्रण कार्य को नियमित करने के लिए समय समय पर उपयुक्त कदम उठाता है जिससे कि बैंक वित्त को वास्तविक उत्पादक और वितरण प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने व जमाखोरी और सट्टेबाजी की गतिविधियों पर निगरानी रखने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके।

चीनी के मूल्यों में वृद्धि ऋण पर प्रतिबन्ध के कारण नहीं है लेकिन इसका कारण कई अन्य बातें जैसे उत्पादन की ऊंची लागत, गन्ने की ऊंची कीमत और गन्ने के उत्पादन में कमी आदि कहा जा सकती हैं।

जहां तक भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण का सम्बन्ध है भारतीय रिजर्व बैंक ने चीनी के व्यापारियों के सम्बन्ध में न्यूनतम मार्जिन 27 दिसम्बर, 1971 को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया है। ब्याज की न्यूनतम दर भी 12 प्रतिशत निर्दिष्ट कर दी गयी है। बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे चीनी के व्यापारियों को लम्बी अवधियों के लिए ऋण सविधाएं न दें जिससे कि चीनी के भण्डार उचित गति से चलते रहे। जहां तक चीनी मिलों का सम्बन्ध है भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे भण्डारों पर जायज मार्जिन बनाये रखे। इस के अतिरिक्त बैंकों को यह कहना भी आवश्यक है कि वे चीनी के व्ययगत कोटे के बदले अग्रिमों पर 40 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन भी लें, ऐसा करने में वितरणार्थ अधिसूचित चीनी की 10 प्रतिशन मात्रा तक की कमी के लिये अनुमति दी जा सकती है। ऐसे चीनी भण्डारों के बदले जो कारखाने या मिल की इमारत से बाहर आ गये है और जिन पर उत्पादन शुल्क अदा किया जा चुका है, दिए गए अग्रिमों पर 35 प्रतिशत का न्यूनतम मार्जिन बनाये रखना पड़ता है; इन अग्रिमों पर 12 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज दर भी ली जायगी। रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह सलाह भी दी है कि वे ऐसे मामलों में जहां चीनी मिलों द्वारा दिए गए चीनी कोटा के व्ययगत होने का प्रमाण उपलब्ध हो चीनी मिलों को अग्रिमों के न्यूनतम मार्जिन में 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दें।

(ग) सरकार ने पूरे वर्ष चीनी के उचित वितरण की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए कई कदम उठाये हैं। हर महीने 3.25 लाख मैट्रिक टन चीनी मिलों से बाहर भेजी जाती है ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धि नियमित रूप से होती रहे। उस अवधि को भी 45 दिन से घटा कर 30 दिन कर दिया गया है जिसमें कारखाने से बाहर भेजी गयी चीनी बेची जा सकती है। व्यापारियों पर कुछ प्रतिबन्ध ऐसे भी लगाये गए हैं जिनके अनुसार उन्हें भेजी गयी चीनी का कम से कम 20 प्रतिशत प्रति सप्ताह बेचना पड़ता है। चीनी के मूल्यों में वृद्धि पर नियन्त्रण रखने के लिए चीनी के व्यापारियों द्वारा चीनी के भंडार रखने के मामले में मात्रा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगाये गए हैं उत्पादकों ने यह मान लिया है कि वे चीनी के मासिक कोटे का 60 प्रतिशत भाग उत्पादन शुल्क को छोड़कर 150 रुपये प्रति क्विटल के दर से उचित दर दुकानों के मार्फत बिक्री के लिए भेजेंगे। चीनी के लाइसेंसधारी व्यापारियों द्वारा चीनी का एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाना भी बन्द कर दिया गया है। खंडसारी और बूरा आदि की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाई पर भी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं।

सफदरजंग हवाई अड्डे से विमान-बसों/विमान टेक्सियों को चलाये के सम्बन्ध में निर्णय

549.श्री वेकारिया : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग हवांई अड्डे (नई दिल्ली) से विमान बसें तथा विमान टेक्सियां चलाने के सम्वन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय को कब तक कार्य रूप दिया जायेगा !

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बीजक में गड़बड़ घोटाले से विदेशी मुद्रा की चोरी

550. श्री शशि भूषण :
श्री निहार लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीजक में गड़बड़ घोटाले से विदेशी मुद्रा की चोरी सम्बन्धी अध्ययन दल द्वारा की गयी अनेक सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(ख) सिफारिशों को क्रियान्वित करने के मामले में अब तक कितनी प्रगति की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) बीजकों में हेरफेर के कारण होने वाली विदेशी मुद्रा की हानि के सम्बन्ध में अध्ययन दल द्वारा की गयी 220 सिफारिशों में से 168 पर निर्णय ले लिया गया है; इनमें से तीन स्वीकार नहीं की गई है, अन्य को या तो पूर्ण रूप से या सिद्धान्त रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है ।

ये सिफारिशें विभिन्न विधि सम्बन्धी, प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों से सम्बद्ध है और उन पर अनेक प्रकार की कार्यान्वियन सम्बन्धी कार्यवाही की आवश्यकता है। स्वीकृत सिफारिशों पर, सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके स्वरूप और विषय को देखते हुए, समुचित कार्यवाही की जा रही है।

पैट्रोल व्यापारी संघ का ज्ञापन

551. श्री शशि भूषण : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में पैंट्रोल व्यापारी संघ से एक ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो उसका सार क्या है; और

(ग) उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) जी हां ।

(ख) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल आयल के विक्रय पर बर्मा शेल कम्पनी द्वारा अपने व्यापारियों की उत्पाद क्षमता लाइसेंस फीस में की गई वृद्धियों के विरुद्ध उन्होंने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

(ग) कंपनियों द्वारा अपने व्यापारियों से ली गई लाइसेंस फीस का प्रश्न एक ऐसा विषय है जो दोनों पार्टियों द्वारा ही तय किया जाना है।

विदेशी तेल शोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण

552. **श्री विजय मोदक :**
श्री समर मुखर्जी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सरकार का विचार विदेशी तेल कंपनियों और तेल शोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) हालांकि विदेशी तेल कम्पनियों की परिष्करणशालाओं तथा अन्य परिचालनों के राष्ट्रीयकरण के कोई तात्कालिक प्रस्ताव नहीं है तो भी परिष्करणशाला सम्बन्धी करारों एवं अन्य सम्बद्ध ममालों के प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के लिए सरकार के पास जो भी विभिन्न विकल्प हैं उन पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन के पूरा होने पर इस मामले पर अंतिम रूप से विचार किया जायेगा।

इण्डियन एयरलाइन्स की केरल से उड़ानों की समय-सूची

553. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल के शहरों को बाहर से जोड़ने वाली इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों की **समय-सूची** के बारे में हाल में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) वर्तमान समय सारणियां सभी सम्बन्धित तत्वों को जिनमें विमानों की उपलब्धता तथा अधिकतम उपयोग भी सम्मिलित हैं, ध्यान में रखकर निश्चित की गई हैं। उनका सावधानी पूर्वक पुनर्विलोकन होता रहता है किंतु समय सारणियों को बहुत जल्दी जल्दी बदलना वांछनीय नहीं है क्योंकि उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है विशेषकर पर्यटकों को।

भारत-नेपाल विमान परिवहन करार

554. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच विमान परिवहन करार का पुनर्विलोकन करने के लिए दोनों देशों के बीच हाल में कोई नई बातचीत हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल को वित्तीय सहायता

555. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल अब एक गम्भीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और चालू वर्ष के लिए उसे 50 करोड़ रुपये का चल घाटा है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने सहायता के लिये केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गनेश):(क) से (ग) सरकार को पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति की पूरी जानकारी है। जहाँ तक राज्य के 1971-72 के बजट में साधनों के घाटे का सम्बन्ध है, वास्तविक स्थिति का ज्ञान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही होगा।

राज्य सरकार ने, समय-समय पर अपने बजट के घाटे को पूरा करने के लिये सहायता की प्रार्थना की है। किन्तु, यही कारण देना कि घाटा है इसलिए विशेष सहायता दी जाए ठीक नहीं है। चौथी आयोजना की अवधि में योजना आयोग द्वारा निर्धारित उन राज्यों को जिनके साधनों में अपरिहार्य अन्तर है, भारत सरकार (ऋणों के रूप में) विशेष सुविधा दे रही है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल भी एक है। राज्य सरकारों के अपरिहार्य आयोजना भिन्न वायदों, आयोजना-भिन्न व्यय में बचत की गुंजाइश, राजस्वों को बढ़ाने के प्रयास तथा कर वसूली और अन्य सामान्य बजट साधनों के संग्रह के सम्बन्ध में योजना आयोग के द्वारा किये गये मूल्यांकन और पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रख कर ही राज्य सरकार को प्रतिवर्ष दी जाने वाली सहायता की मात्रा निर्धारित की जाती है।

गैर-कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पदोन्नति

556. **श्री मनोरंजन हाजरा** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1969-70 और 1970-71 में सेना में कितने गैर-कमीशन प्राप्त कर्मचारियों को कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) :

1969-70	308
1970-71	283

भारतीय रुपये का अवमूल्यन

557. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 21 जनवरी 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार 'एकानोमिस्ट सीज एनदर डीवेटयूएशन कमिंग की' ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) सरकार को समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार की जानकारी है। किसी अर्थशास्त्री विशेष का मत या उनका निर्णय कुछ भी हो सरकार का अवमूल्यन करने का कोई इरादा नहीं है।

चिलका लेक के पास नौसेना प्रशिक्षण केन्द्र बनाने के लिए प्रस्ताव

558. **श्री डी० के० पंडा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नौसेना प्रशिक्षण स्कूल के लिये चिलका लेक को एक नये स्थान के रूप में चुना गया है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां, श्रीमन्।

मूल्यों को स्थिर रखने के लिए निगम की स्थापना

559. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री वी० मायावन :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्यों को स्थिर रखने के लिए एक स्वायत्त निगम की स्थापना करने के बारे में सरकार के सामने एक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) निगम की स्थापना कब तक की जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार अनुचित मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए सतत प्रयास करती रहती है। मुख्य खाद्यान्नों तथा चीनी के वितरण के लिए पहले से ही उचित मूल्य/राशन की दुकानों की व्यवस्था की गई है। सरकारी वितरण-व्यवस्था के विस्तार के प्रश्न तथा इस सम्बन्ध में समुचित कार्यचालन सम्बन्धी व्यवस्था का निर्माण करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

नाइजीरिया द्वारा कच्चा तेल सप्लाई करने का प्रस्ताव

560. **श्री डी० के० पण्डा :**
श्री बनमाली पटनायक :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाइजीरिया ने भारत को कच्चा तेल बेचने का प्रस्ताव रखा है और क्या इस सम्बन्ध में हाल ही में नाइजीरिया का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या शर्तें रखी गयी थीं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) नाइजीरिया के चार सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल ने फरवरी, 1972 में भारत का दौरा किया था और आपसी हितों के विषयों, जिनमें नाइजीरिया से कच्चे तेल के आयात की संभावना सम्मिलित है, पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया था। किन्तु प्रतिनिधि मंडल ने नाइजीरिया से कच्चे तेल के आयात के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं दिया था।

तृतीय वेतन आयोग द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

561. डा० रानेन सेन :
श्री डी० पी० जदेजा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय केन्द्रीय वेतन आयोग के कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) आयोग अपने अन्तिम प्रतिवेदन को अनुमानतः कब तक प्रस्तुत कर देगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वेतन आयोग को बहुत से ज्ञापन विचार करने के लिए प्राप्त हुए थे जिनमें केवल सरकारी कर्मचारियों के महासंघों/संघों से ही प्राप्त 2500 ज्ञापन शामिल हैं। आयोग द्वारा जारी की गई प्रश्नावली के सिलसिले में भी सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों के संघों/संस्थाओं एवं सरकारी विभागों के उत्तर भी प्राप्त हुए हैं। आयोग ने दिसम्बर 1971 के अन्त तक सरकारी कर्मचारियों के 400 से भी अधिक संघों/संस्थओं/महासंघों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार विमर्श किया है। अब वे सरकारी गवाहों के साथ विचार विमर्श करने में लगे हुए हैं, जिनमें भारत सरकार के सचिव, विभागाध्यक्ष आदि शामिल हैं। उसके बाद, आयोग का विचार राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श करने का है। अपनी सिफारिशों को तैयार करने से पहले आयोग को सारी विपुल सामग्री के अध्ययन को अन्तिम रूप देने में भी कुछ समय लगेगा।

आयोग अपना काम यथासम्भव शीघ्र पूरा करने के लिए सभी प्रयत्न कर रहा है।

लेखा-परीक्षा का काम कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में होना

5 2. डा० रानेन सेन : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्रों का लेखा-परीक्षा का काम कुछ बड़ी फर्मों के हाथ में ही है;

(ख) क्या सरकार का विचार लेखा-परीक्षा कार्य के कुछ बड़ी फर्मों तक सीमित होने को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) सरकार की सूचना में यह लाया गया है कि शास-प्राप्त लेखापालों को थोड़ी संख्या की फर्मों में निगमित सेक्टर की लेखा-परीक्षा का अधिक कार्य ले लिया है।

(ख) तथा (ग) विषय विचाराधीन है।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कच्चे तेल के आयात में कमी करना

563. **डा० रानेन सेन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियों ने अपने स्रोतों से कच्चे तेल के आयात में कमी करने का निर्णय किया है;

(ख) उसके लिये उन्होंने क्या कारण दिये हैं; और

(ग) इसका भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन पर क्या असर पड़ेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच. आर. गोखले) : (क) और (ख) कच्चे तेल का मूल्य डालर के रूप में दर्ज किया जाता है। डालर के अवमूल्यन के पश्चात तत्काल ही, पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ने तेल कम्पनियों को अवमूल्यन की सीमा तक कच्चे तेल के 'दर्ज-शुदा' मूल्यों में वृद्धि करने को कहा है। दीर्घकालिक वार्ता के पश्चात पेट्रोलियम का निर्यात करने वाले देशों और तेल कम्पनियों के बीच एक समझौता हुआ जिसके अन्तर्गत कच्चे तेल के 'दर्जशुदा' मूल्यों में 8.49 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तेल कम्पनियों ने सूचित किया है कि उनके कच्चे तेल के प्रदायकों ने 26 जनवरी, 1971 से कच्चे तेल के मूल्यों में प्रति बैरल पर 11.6 सैन्ट्स से लेकर 11.7 सैण्टस तक वृद्धि की है; क्योंकि यह धनराशि तेल उत्पादन करने वाले देशों से वसूल किये जाने वाले कर में वास्तविक वृद्धि को दर्शाती है। सरकार ने इस वृद्धि को स्वीकार नहीं किया है तथा वह तीन तेल कम्पनियों को पूर्व निर्धारित मूल्य के आधार पर विदेशी मुद्रा प्रदान कर रही है। किन्तु तेल कम्पनियां अधिक मूल्य लेकर कच्चे तेल की कम मात्रा आयात कर रही है।

(ग) इसके परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में कमी होगी जिसे आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है।

बरौनी तेल शोधक कारखाने का त्रुटिपूर्ण डिजाइन

565. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी तेल शोधक कारखाने का आधार अथवा कुर्सी इतनी नीची है कि पिछले वर्ष कारखाने में बाढ का पानी प्रविष्ट हो गया था जिसके कारण उत्पादन रुक गया था;

(ख) क्या यह फैक्ट्री के डिजाइन के त्रुटिपूर्ण होने के कारण हुआ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी नहीं,

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-पाकिस्तान युद्ध (1971) में मार गिराये गये पाकिस्तान के विमानों की संख्या

566. **श्री राजेंद्र प्रसाद यादव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत युद्ध में पाकिस्तान के किस-किस प्रकार के कितने-कितने विमान मार गिराये गये; और

(ख) उन विमानों के कितने चालकों को युद्ध-बन्दी बनाया गया ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पिछले युद्ध में पाकिस्तानी वायुसेना के 49 वायुयानों को मार गिराया गया था। इसके अतिरिक्त 45 पाकिस्तानी वायुयानों को जमीन पर नष्ट किया गया था। चूंकि इनमें से अधिकतर वायुयान पाकिस्तानी क्षेत्र में गिराये गये थे, अतः वे किस-किस प्रकार के वायुयान थे, इसका पूर्ण ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

(ख) चार।

काले धन का पता लगाना

567. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म अभिनेताओं, उद्योग-पतियों और व्यापारियों के काले धन को जब्त करने के लिए सरकार ने कोई नया कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) काले धन की समस्या की तरफ सरकार लगातार ध्यान देती रही है। इस प्रश्न की जाँच करने के लिए प्रत्यक्ष-कर जाँच समिति नियुक्त की गई थी। समिति की रिपोर्ट दिसम्बर 1971 में प्राप्त हुई और सरकार उस पर विचार कर रही है। उस पर विचार कर लिए जाने तक यह कहना सम्भव नहीं है कि क्या कार्यवाही की जायगी।

पटना, नालन्दा, वैशाली तथा राजगिर में पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव

568. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना, नालन्दा, वैशाली और राजगिर में नये पर्यटन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्यरूप में परिणित होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) से (ग) : पटना में एक पर्यटन स्वागत केन्द्र तथा राजगिर और नालन्दा में कैफेटीरिया का निर्माण करने का प्रस्ताव है। इनके लिए चयन किये गये स्थानों का राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरण किये जाने के तुरन्त बाद इन पर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

मद्रास से महाबलिपुरम तक हैलीकोप्टर सेवा चालू करने का प्रस्ताव

569. श्री सी० चित्तिबाबू : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों के लाभ के लिए बरास्ता थिरूक्कालुगुकुनरम मद्रास से महाबलिपुरम तक एक हैलीकोप्टर सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब चालू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (**डा० कर्ण सिंह**) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन पर पैट्रोलियम उत्पादों की चोरी

570. श्री सी० चित्ति बाबू :
श्री अमर नाथ चावला :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया-बरौनी-कानपुर पाइप लाइन तथा झाझा और मधुपुर के बीच 40 किलो मीटर की दूरी में पिछले तीन वर्षों में पेट्रोलियम के उत्पादों की चोरी के कितने मामले हुए;

(ख) अनुमानतः इससे कितने रुपयों की हानि हुई तथा अपराधियों द्वारा तोड़ी गई पाइप लाइन की मरम्मत पर कितनी धन राशि व्यय हुई;

(ग) मरम्मत के लिए कुल कितने दिनों तक पूरी पाइपलाइन बन्द रही; और

(घ) पाइपलाइन की सुरक्षा तथा अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (**श्री एच० आर० गोखले**) : (क) कुल मिलाकर 10 मामलों की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 8 मामले झाझा मधुपुर खंड से संबंधित हैं।

(ख) उत्पादों के गुम हो जाने के कारण हुई अनुमानित हानि	37,080 रु०
मरम्मतों पर लागत	30,000 रु० (लगभग)

(ग) पाइपलाइन का हल्दिया-बारौनी खंड आवश्यक मरम्मतों के लिए कुल लगभग 13 दिनों के लिए बन्द किया गया था।

(घ) स्थानीय पुलिस तथा राज्य सरकार को इस मामले की रिपोर्ट दे दी गई है। क्षेत्र में गश्त व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालने सम्बन्धी समिति

571. श्री बनमाली पटनायक :
श्री रणबहादुर सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों द्वारा जमा राशि से अधिक धन निकालने की जांच करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन है और उसके निदेश-पद क्या हैं; और

(ग) यह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सम्भवत: योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के उस अध्ययन दल का उल्लेख किया गया है जिसका गठन हाल में ही किया गया है। यह अध्ययन दल अनौपचारिक आधार पर बनाया गया है। इसका कार्य राज्य सरकारों के साथ उनके अर्थोपायों के विषय में बराबर सम्बन्ध रखना और जैसे तथा जब आवश्यक हो, उन्हें ऐसे समुचित उपायों के सुझाव देना है जिनसे वे ओवर ड्राफ्ट की राशि लेने से बच सकें।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारत में पर्यटन के बारे में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मिशन का प्रतिवेदन

572. श्री बनमाली पटनायक : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मिशन के वर्तमान पर्यटन विभाग तथा भारत पर्यटन विकास निगम को मिला कर एक भारतीय पर्यटक आयोग की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) उक्त मिशन द्वारा दिए गए प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कौन सी सिफारिशें स्वीकार की गयी हैं और क्रियान्वित करने के बारे में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य मुख्य मुख्य सिफारिशें एक राष्ट्रीय पर्यटन योजना बनाने, पर्यटन के प्रति दृष्टिकोणों, संगठनात्मक प्रबन्धों, धन विनियोग नीतियों, परिवहन सरलीकरण, आवास, यात्रा परिचालनों, मनोरंजन, पर्यटन से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का क्षरण, विपणन, अनुसंधान तथा

आंकड़ों, प्रशिक्षण, विशेष परियोजनाओं, क्षेत्रीय सहयोग, रैस्टोरेंटों तथा भोजन, वन्य जीव पर्यटन आदि विषयों से सम्बन्धित हैं ।

(ग) पर्यटन योजनाओं को बनाते तथा कार्यान्वित करते समय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल की रिर्पोट का यथोचित ध्यान रखा जा रहा है ।

घूस लेने के आरोप में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के विपणन उप-प्रबन्धक के विरुद्ध जांच

573. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री घूस लेने के आरोप में ट्राम्बे स्थित भारतीय उर्वरक निगम के विपणन उप-प्रबन्धक के विरुद्ध जांच के बारे में 23 नवम्बर 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1827 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ।

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हाँ ।

(ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि जांच पूरी हो जाने पर ट्राम्बे स्थित भारतीय तेल निगम के भूतपूर्व विपणन उप-प्रबन्धक श्री पी० वी० माने को 3-6-1971 को बम्बई में विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्रित किया गया है । ओरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 161 आई पी सी तथा धारा 5(2) एवं 5(1) (डी) के अन्तर्गत लगाये गये हैं । इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जानी है ।

भारतीय तेल निगम, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायत

574. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 3 अक्तूबर, 1970 को भारतीय तेल निगम, कलकत्ता के विरुद्ध कोई शिकायत मिली थी;

(ख) यदि हां, तो शिकायत किस प्रकार की थी; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है ।

विधि और न्याय तथा पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) शिकायत भारतीय तेल निगम के कार्यों में कुछ अभिकथित अनियमितताओं से सम्बन्धित थी । सरकार ने भारतीय तेल निगम के चेयरमैन के परामर्श से इस मामले की जाँच की है और शिकायत करने वाले को समुचित ढंग से स्थिति के बारे में बता दिया गया है ।

देवनहार और पण्डीवारी, कूच बिहार में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

575. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या वित्त मंत्री 9 जुलाई, 1971 के अन्तराकित प्रश्न संख्या 4427 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में देवनहार और पण्डीवारी में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें खोलने का कोई निर्णय ले लिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो बैंक का नाम क्या है और शाखायें कितनी शीघ्रता से खुल जायेंगी।

वित्त मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) नये बैंक कार्यालय खोलने के उद्देश्य से विकास केन्द्र निश्चित करने के लिए कूच बिहार जिले का सर्वेक्षण करने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। किन्तु माननीय सदस्य ने जिन केन्द्रों का उल्लेख किया है वहां कार्यालय खोलने के विषय में जाँच करने के लिए सर्वेक्षण का काम हाथ में ले लिया गया है।

शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा सलाहकारों की नियुक्ति

567. श्री बी० के० दास चौधरी : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने कुछ शिक्षा सलाहकारों की नियुक्ति के लिए उनके मंत्रालय को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां तो इन पदों पर वेतन तथा अन्य मतों के रूप में लगभग कितना व्यय होगा; और

(ग) अर्थव्यवस्था की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए यह व्यय करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत राव चव्हाण) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष।

(ग) अब तक कोई व्यय नहीं किया गया है क्योंकि शिक्षा मंत्रालय का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है।

कूच बिहार फूलबाड़ी रंगपुर सड़क पर सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्य किया जाना

577. श्री बी के दास चौधरी : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल के जिला कूचबिहार फूलबाड़ी रंगपुर सड़क की अत्यन्त बुरी स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या उक्त सड़क को पक्का करने और अन्य सुधार करने का कार्य सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जायेगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का ध्यान 26 जुलाई 1971 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5903 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव

578. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री राजदेव सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसेना को सुदृढ़ बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) सूचना का ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा ।

परमाणु बमों के निर्माण के लिए प्रस्ताव

579. श्री फतहसिंहराव गायकवाड़ : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ हुये हाल के युद्ध से भारत के लिये अधिक आधुनिक हथियारों को रखने की आवश्यकता पैदा हुई है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार परमाणु बमों का निर्माण आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) सेना को आधुनिक हथियारों से लेस करना एक सतत प्रक्रिया है । हाल की सक्रियाओं में प्राप्त किये गये अनुभव का सेना के हथियारों और उपस्करों को आधुनिक बनाते समय उपयोग किया जायेगा ।

(ख) और (ग) परमाणु हथियारों के उत्पादन से संबन्धित सरकारी नीति से सदन को कई अवसरों पर अवगत किया जा चुका है । यह केवल शांति कार्यो के लिये ही परमाणु शक्ति का प्रयोग करने की है । सरकार का विश्वास है कि परम्परागत हथियारों के आधार पर काफी सैनिक तैयारी से हमारी सीमाओं की रक्षा भली प्रकार से की जा सकती है । उनके विचार से परमाणु हथियारों का होना ऐसी सैनिक तैयारियों का प्रतिस्थापन नहीं है ।

युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं के दावों का निपटान

580. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ :
डा० कर्णी सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं द्वारा कुल कितने दावे प्रस्तुत किए गये;

(ख) उनमें से कितने इस बीच निपटाये गये हैं; और

(ग) शेष दावों के शीघ्र निपटान के लिए क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) अन्तरिम उपाय के रूप में सरकार ने दिसम्बर 1971 और जनवरी 1972 के माह के वेतन और भत्तों की पूरी राशि लड़ाई में मारे गये सैनिकों के परिवारों को देने की मंजूरी दी है। युद्ध के परिणामस्वरूप हुई विधवाओं और युद्ध में अशक्त हुए सैनिकों को योजना के अंतर्गत उदार पेंशन लाभ संस्वीकृत किये जाने के सरकारी आदेश 24-2-72 को जारी कर दिये गए थे। सम्बन्धित प्राधिकारी इन आदेशों के अनुसार वितरण करने का प्रबन्ध कर रहे हैं। शीघ्र पेंशन मंजूर करने के लिए उन्हें कहा गया है। युद्ध में हुई विधवाओं द्वारा प्रेषित किए गए दावे तथा अब तक निपटाये गए मामलों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

विदेशी तेल कम्पनियों के साथ करार

581. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :
श्री बरके जार्ज .

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फारस की खाड़ी के क्षेत्र के कच्चे तेल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए क्या सरकार विदेश तेल कम्पनियों के साथ हुए वर्तमान करारों, विशेषकर उनके अपने तेल शोधक कारखानों के लिए कच्चे तेल का आयात करने के अधिकार सम्बन्धी खण्ड का पुनःरीक्षण करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) परिष्करणशाला सम्बन्धी करारों एवं अन्य सम्बन्धित मामलों के प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के लिए सरकार के पास जो भी विकल्प हैं उन पर विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन सभी सम्भव बातों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जब यह अध्ययन पूरा हो जायेगा तो अन्तिम रूप में विचार किया जा रहा है। इस समय किन्हीं ब्योरों का बताना जनहित में नहीं होगा।

किसानो को बैंक ऋण

582. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में किसानों और व्यवसायिकों को दिये जाने वाले बैंक ऋणों में आशा के अनुसार प्रगति नहीं हुई है;

(ख) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले तथा स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यसवन्तराव चव्हाण) : (क) जी नहीं । नीचे दी गई सारणी से पता चलेगा कि जून 1969 और नवम्बर 1971 (जब तक के आंकड़े उपलब्ध हैं) के दौरान किसानों, व्यवसायिकों और आत्मनियोजित व्यक्तियों को वाणिज्यिक बैंकों से दिये गए सीधे ऋणों की बकाया रकम में बराबर वृद्धि होती रही है ।

(लाख रुपयों में)

	बकाया ऋणों की स्थिति			
	जून 1969 में	जून 1970 में	जून 1971 में	नवम्बर 1971 में
किसानों को प्रत्यक्ष ऋण	33,59 0	1,83,98.0	2,36,35.0	2,58,19.0
व्यवसायिकों तथा आत्म नियोजित व्यक्तियों को प्रत्यक्ष ऋण	33.1	6,74.9	8,58.0	9,26 0 (सितम्बर 1971 तक)

(ख) तथा (ग) यद्यपि जांच करवाने की ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं की गई है फिर भी कृषि व्यबसायिकों और आत्मनियोजित व्यक्तियों जैसे अब तक उपेक्षित रहे वर्गों को दिए गए ऋणों की स्थिति की समय समय पर जाँच की जाती है और बैंकों से कहा गया है कि वे इन वर्गों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण दें ।

आयकर की बकाया राशि

583. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च 1970 तक बकाया आयकर की कुल राशि क्या थी और इस राशि में वर्ष 1965-66 से पूर्व तक कि कितनी राशि सन्निहित थी;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी बकाया राशि निकाली गई;

(ग) वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69 और 1969-70 की पृथक-पृथक अनुमानित राशियां क्या हैं; और

(घ) इस समय अग्रिम कर की, यदि कोई राशि बकाया है तो वह कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) आयकर की शुद्ध बकाया रकम 31 मार्च 1970 को 507.91 करोड़ रुपया थी -

आयकर से सम्बन्धित आंकड़े चूँकि वित्तीय वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं न कि कर निर्धारण वर्षों के आधार पर, इसलिए 1965-66 से पूर्व के कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित बकाया

के अपेक्षित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1965-66 से पूर्व जारी की गई मांग जो वसूल होनी बाकी है और इस रकम में शामिल है इससे सम्बन्धित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ख) 31 मार्च 1971 को समाप्त वित्तीय वर्ष में जारी की गई आयकर की मांग 780.65 करोड़ रुपया थी।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में जैसा उल्लेख किया गया है, आँकड़े कर निर्धारण वर्षों के अनुसार नहीं रखे जाते और इसलिए कर निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1969-70 के वर्षों के वर्ष-वार आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वित्तीय वर्ष 1966-67 से 1969-70 में जारी की गई माँग इस प्रकार है :—

वित्तीय वर्ष	**जारी की गई माँग** (करोड़ रुपयों में)
1966-67	522.49
1967-68	581.86
1968-69	677.60
1969-70	713.53

(घ) अग्रिम कर की बकाया रकम 31-3-1971 को 63.86 करोड़ रुपया थी।

इंडियन आयल कारपोरेशन के मामले को पाइप लाइन जांच आयोग के समक्ष पेश करना

584. श्री सरजू पांडे : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जस्टिस जे० एम० टंडन ने इंडियन आयल कारपोरेशन को पाइप-लाइन जांच आयोग के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए अपना नया प्रतिनिधि नियुक्त करने को कहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) राष्ट्रीय समिति, जिसका पाइप लाइन जांच आयोग की सहायता के लिए गठन किया गया था, के परामर्शदाता द्वारा 15 जनवरी, 1972 को उक्त आयोग के समक्ष उठाई आपत्ति पर, इस आयोग ने, आपत्ति को अस्वीकार करते हुए, यह अवलोकन किया कि या तो भारतीय तेल निगम के बोर्ड को अपने प्रबन्ध निदेशक को उक्त जांच से सम्बन्धित सभी ऐसे मामलों को निपटाने की अनुमति होनी चाहिए जैसा कि उन्हें कानून द्वारा अनुमति दी गयी थी। अथवा यदि कुछ कारणों से बोर्ड, अपने प्रबन्ध निदेशक में उनके द्वारा आयोग के समक्ष अपने कर्तव्यों को निभाने में, पूर्ण विश्वास करने में असमर्थ था, तो उसे इस संबंध में कुछ अन्य व्यवस्था करनी चाहिए, इसके पश्चात् भारतीय तेल निगम के बोर्ड ने 22-1-1972 को एक संकल्प पारित किया था जिसके

अन्तर्गत आयोग के समक्ष समस्त मामलों को निपटाने तथा किसी शपथ-पत्र, प्रलेखों आदि पर हस्ताक्षर करने एवं उन्हें प्रस्तुत करने के लिए भारतीय तेल निगम (शोधनशाला एवं पाइलाइन प्रभाग) के प्रबन्ध निदेशक को पूर्ण अधिकार सौंपे गये।

प्रमुख हवाई अड्डों के लिए स्वायत्त संगठन की नियुक्ति

585. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रमुख हवाई अड्डों के कार्य संचालन के लिए सरकार ने एक स्वायत संगठन नियुक्त किया है;

(ख) संगठन के कार्य क्या हैं; और

(ग) यात्रियों को उपलब्ध वर्तमान यातायात सुविधाओं में यह संगठन किस प्रकार सुधार करेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) भावी विमानों की स्थान-क्षमता और रफ्तार दोनों ही पहलुओं से नागर विमानन के क्षेत्र में तीव्रगति से हो रहे विकास को दृष्टि में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाये जिस का दृष्टिकोण वाणिज्य प्रधान हो और जिसको अपने कार्यकलाप में पर्याप्त स्वायत्तता एवं लचीलापन प्राप्त हो ताकि वह हमारे अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के विकास एवं प्रबंध के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान कर सके। तदनुसार, 1-2-1972 से 'अंतर्राष्ट्रीय विमानपतन प्राधिकारी अधिनियम 1971 के अधीन 'भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकारी' नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) और (घ) यह प्राधिकरण बम्बई, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास स्थित चारों अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के प्रबंध, परिचालनों एवं विकास के लिए उत्तरदायी होगा और वह विमान क्षेत्रों पर ऐसी सेवाओं एवं सुविधाओं की व्यवस्था करेगा जो विमान परिवहन सेवाओं के सुचारू परिचालनों के लिए आवश्यक होंगी।

नेशनल इरानियन आयल कम्पनी द्वारा डेरियस अशोधित तेल के मूल्य में कमी किया जाना

586. **श्री बक्शी नायक** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इरानियन आयल कम्पनी, मद्रास आयल रिफाइनरी को सप्लाई किए जा रहे डेरियस अशोधित तेल के मूल्य में कमी करने पर सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य में कितनी कमी हुई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितना लाभ होगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) से (ग) बातचीत के दौरान कम्पनी, मद्रास परिष्करणी को सप्लाई किये जाने वाले अशोधित तेल के प्रति बैरल पर लगभग 6 सैंट से लेकर 17 सैंट के बीच कमी करने (डिस्काउण्ट) के लिए सहमत हो गयी है। इस कारण 1972 के अन्त तक 4.34 मिलियन डालर की बचत होने की सम्भावना है।

कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम

587. श्री सी० पी० के देव : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोणार्क में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) यह कार्य कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग की कोणार्क में 'ध्वनि एवं प्रकाश' प्रदर्शन की कोई योजना नहीं है। किन्तु स्मारक पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा पुंज-प्रकाश व्यवस्था की जा रही है जिसके कि अगले वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है।

गैर-बैंककारी बित्तीय संस्थाओं, निगम और चिट फंडों पर नियंत्रण

588. श्री राजदेव सिंह :
श्री एस० एम० बनर्जी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रभावी मुद्रा नियंत्रण सुनिनिश्चत करने हेतु गैर-बैंककारी वित्तीय संस्थाओं, निगमों और चिट फंडो पर नियन्त्रण रखने के लिए कोई उपाय करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी रूपरेखा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) और (ख) बैंकिंग आयोग ने, अपनी हाल ही में पेश की गई रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में सरकार के विचारार्थ कुछ उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है। बैंकिंग आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जा रही है।

आसाम और गुजरात में नये तेल शोधक क्षेत्रों का पता लगाना

589. श्री राजदेव सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो अन्य तेल क्षेत्रों का एक आसाम में और दूसरा गुजरात में पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उनका वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग करने की क्या सम्भावनायें हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) चालू वर्ष में 1971 72 में आयल इण्डिया लिमिटेड और तेल एवं प्राकृतिल गैस आयोग को क्रमश: (असम में) जोरजन और अमगुरी नामक स्थानों पर तेल मिला है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को गुजरात में दक्का नामक संरचना में भी तेल मिला था।

(ख) कुछ और कुओं के व्यधन तथा उनके विस्तृत परीक्षण के पश्चात् ही वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग की सम्भावनाओं का पता लगेगा।

उर्वरकों का उत्पादन

590. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों का उत्पादन अभी तक माँग को पूरा नहीं कर रहा है! और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां।

(ख) उर्वरकों की मांग और देशीय उत्पादन के बीच अन्तराल के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) पर्याप्त संख्या में प्रायोजनाओं को तैयार करने तथा मांग को पूरा करने हेतु अपेक्षित सीमा तक अतिरिक्त क्षमताओं के सृजन के लिए प्रायोजनाओं के कार्यान्वयन में असफलता।

(2) तकनीकी तथा अन्य कठिनाइयों के कारण कुछ वर्तमान संयंत्रों में क्षमता का का उपयोग।

मैसर्स बोलगा रेस्टोरैन्ट, दिल्ली के भागीदारों द्वारा सम्पत्ति कर का ब्यौरा देना

591. **श्री दिनेश जोरदार** .

श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बोलगा रेस्टोरैन्ट दिल्ली के भागीदारों द्वारा सम्पत्ति करके कितने वर्षों के ब्यौरे दिये जाने बाकी हैं; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) मैंसर्स वोलगा रेस्टोरेंन्ट, दिल्लों के भागीदारों से जो धन-कर विवरणियाँ प्राप्त होनी हैं, वे निम्नानुसार है :—

भागीदार का नाम	कर-निर्धारण वर्ष
(i) श्रीमती कम्पी लाम्बा	1969-70
	1970-71
	1971-72
(ii) श्रीमती अनन्ती देवी	1961-62 (फिर से चालू किया गया मामला)
	1970-71
	1971-72
(iii) श्रीमती विद्यावन्ती लाम्बा	1971-72
(iv) श्री मदन लाम्बा	1961-62 (फिर से चालू किया गया मामला)
	1969-70
	1970-71
	1971-72

(ख) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 18 (1) (क) के अधीन दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है :

कम्पनियों के असुरक्षित ऋणों की अधिकतम सीमा

592. डा० सरदीश राव : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने हाल ही में असुरक्षित ऋणों पर अधिकतम सीमा निर्धारित की है; और ।

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी किये गये आदेशों की रूपरेखा क्या है ।

वित्तमन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : जी, हां । रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग कम्पनियों द्वारा जमा के लिए रकमें स्वीकार किए जाने से सम्बन्धित वर्तमान निदेशों में संशोधित करते हुए दिसम्बर 1971 में कुछ निदेश जारी किये थे । संशोधन में जो पहली जनवरी 1972 से लागू हुआ है, विहित है कि निदेशकों, प्रबन्ध अधिकर्ताओं या सचिवों या कोषाध्यक्षों द्वारा गारण्टीशुदा सभी अप्रतिभूत ऋणों (इसके निदेशकों से प्राप्त ऐसे ऋणों को छोड़कर) के सम्बन्ध में बकाया रकम की कुल राशि, किसी भी समय समग्र चुकता पूंजी और कम्पनी की शुद्ध अवाध प्रारक्षित तिथि के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए । यह अधिकतम सीमा, जमा रकमों के सम्बन्ध में लागू इसी प्रकार की अधिकतम सीमा के अलावा है । जिन कम्पनियों ने 1-1-72 को अधिकतम सीमा से अधिक अप्रतिभूत ऋणों को स्वीकार कर लिया है उन्हे इस अतिरिक्त रकम का विभिन्न दौरों में समायोजन करने के लिए 31 मार्च 1975 तक का समय दिया गया है ।

भारत में परिवहन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक की सहायता

593. श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक भारत में परिवहन परियोजनाओं के लिए सहायता देने पर सहमत हो गया है ।

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक किन-किन परियोजना के लिए सहायता देगा, और ।

(ग) सहायता की शर्त क्या है ।

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) भारत सरकार ने रेल विभाग की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं के एक भाग के रिक्त पोषण के लिए 24 जनवरी 1972 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ, जो विश्व बैंक से संबद्ध संस्था है, 750 लाख अमरीकी डालर के एक ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये थे । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के कार्यकारी निदेशक मण्डल ने हाल में रकमों की उपलब्धि के अनुसार तेल के चार तेलवाहक जहाजों और शोषित तेल के 2 तेलवाहक जहाजों की प्राप्ति के लिए 830 लाख डालर अमरीकी डालर के ऋण प्रस्ताव की स्वीकृति दी है ।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता लेकिन 1/4 प्रतिशत वार्षिक की दर से सेवा प्रसार देना पड़ता है । ये ऋण 58 वर्षों की अवधि में वापस करने होते हैं, जिसमें 10 वर्षों की रियायती अवधि शामिल है ।

ब्रिटेन से वित्तीय सहायता

594. श्री सी0 के0 चन्द्राप्पन : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने भारत को वर्ष 1971-72 में अधिकतम विदेशी सहायता दी है;

(ख) वर्ष 1971-72 में हमें विभिन्न देशों से कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई है; और ।

(ग) क्या हम भविष्य में भी इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

वित्तमन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) ब्रिटेन ने, 1971-72 के लिए 545 लाख पोंड (98.1 करोड़ रुपये) की सहायता का जो वचन दिया था, वह ब्रिटेन की सरकार द्वारा अब तक भारत को दी गयी सहायता की राशि में से सबसे अधिक हैं ।

(ख) 1971-72 में, अब तक हस्ताक्षरित ऋण-करारों का कुल मूल्य 9723.7 लाख डालर (707.8 करोड़ रुपये) है; और ।

(ग) भारत के अनुसरण और विकास सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए तथा स्वीकार करने योग्य शर्तों पर प्राप्त होने वाली सहायता, भविष्य में भी सुलभ हो सकेगी ।

भारत पाक में युद्ध में भारतीय नौ सेना द्वारा किया गया कार्य

595. श्री सी0 के0 चन्द्रप्पन : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौ सेना द्वारा किये गये कार्य का सरकार ने मूल्यांकन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

रक्षामन्त्री (श्री जगजीवन राम): (क) पिछले भारत-पाक युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा किये गए कार्य का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेश कर डिवीजन

596. श्री दशरथ देव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी सहयोग कर्ताओं, विदेशों में भारतीय सहयोगकर्त्ताओं, दोहरे कराधान पर समझौतों तथा सम्बद्ध मामलों में कराधान के विभिन्न पहलुओं के साथ निपटने के लिए एक विदेश कर डिवीजन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह डिवीजन कब तक स्थापित किया जायेगा; और

(ग) इस डिवीजन को स्थापित करने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

विदेशी कर के क्षेत्र से सम्बन्धित सभी कार्यों को देखने के लिए 17 दिसम्बर 1971 से केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड में एक विदेश-कर प्रभाग स्थापित किया गया है। ये कार्य उदाहरणार्थ इस प्रकार है:—

अनिवासियों तथा उनकी सहयोगी भारतीय कम्पनियों का आयकर निर्धारण जिसमें भारत में विदेशी सहयोग और विदेशों में भारतीय सहयोग के मामले भी शामिल हैं, आय को दोहरे कराधान से बचाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण तथा इस प्रयोजन के लिए अन्य देशों के साथ करारों पर बीतचीत, कर-अपवंचन तथा कर-परिहार के विरुद्ध उपयुक्त उपाय करना तथा क्षेत्रीय संगठनों आदि की आवश्यक देख रेख।

(ग) विदेश-कर की परिधि के अन्तर्गत आने वाला कार्य अत्यधिक विशिष्ट तथा महत्वपूर्ण स्वरूप का है। इसके पूर्व, इस कार्य की विभिन्न मदें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के विभिन्न अनुभागों में फैली पड़ी थी। इसका इतमीनान करने के लिए कि कार्य की इन मदों पर विधिवत ध्यान दिया जाए तथा उन्हें शीघ्रातिशीघ्र और दक्षता पूर्वक निपटाया जाए, एक अलग प्रभाग की स्थापना करना आवश्यक समझा गया था।

शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं

597 श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की सहायता करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए वास्तव में राशि दी जा चुकी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) शिक्षित ग्रौर अशिक्षित दोनों प्रकार के बेरोजगार युवकों की सहायता करने लिए अलग ग्रलग बैंक अपनी अपनी योजनाएं तैयार करते हैं जिनके अन्तर्गत छोटे किसानों, छोटे पैमाने के उद्योगपतियों, छोटे पैमाने के एकक स्थापित करने में रुचि रखने वाले प्रविधिज्ञों (टैक्नोक्रैट्स), छोटे व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं, परिवहन चालकों, व्यावसायिकों और अन्य बहुत सी ग्रात्मनियोजित श्रेणियों के लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं ।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अतर्गत राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिमों की कुल बकाया रकम दिसम्बर, 1971 के अन्त में 5,21,15.6 लाख रुपये थी ।

फारस की खाड़ी के देशों और पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों के बीच समझौता

599. श्री बालतन्डायुतम : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फारस की खाड़ी के 6 देशों और पश्चिमी देशों की तेल कम्पनियों के बीच समझौता हुआ है जिसके परिणाम-स्वरूप अशोधित तेल के डालर मूल्य में 8.49 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी; और

(ख) इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) जी हां ।

(ख) इस बारे में आयातित कच्चे तेल पर आधारित तीन विदेशी तेल परिष्करणशालाओं के लिए प्रतिवर्ष लगभग 66.1 लाख डालरों ग्रथवा 4.81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के व्यय होने की आशा है । सरकार ने मूल्यों में वृद्धि स्वीकार नहीं की है और विदेशी मुद्रा पहले मूल्यों के आधार पर दे रही है । तथापि, तेल कम्पनियां अधिक दाम देकर कच्चे तेल की कम मात्रा आयात कर रही हैं । सरकार ने इस स्थिति का मुकाबला उत्पादों के आयात द्वारा करने का निर्णय किया है ।

रिर्जव बैंक आफ इण्डिया की ऋण नीति

600. श्री झारखन्डे राय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की वर्तमान ऋण नीति का आधार क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : रिजर्व बैंक ग्राफ इण्डिया ऋण के नियन्त्रित विस्तार की नीति का पालन करता है जिसका उद्देश्य उत्पादन प्रयोजनों के लिए ऋण की सभी सच्ची आवश्यकताओं को पूरा करना और इस प्रकार मूल्यों की उचित स्थिरता

बनाए रखना है । देश की मुद्रा तथा मूल्य सम्बन्धी स्थिति में होने वाले परिवर्तनों और ऋण नियन्त्रण में उचित समायोजन की दृष्टि से ऋण नीति की सतत समीक्षा की जाती है ।

आई० एन० एस० 'खुकरी' के सम्बन्ध में जांच

601. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत युद्ध में पाकिस्तानी सेना द्वारा आई० एन० एस० 'खुकरी' डुबाये जाने से सम्बन्धित परिस्थितियों की कोई जाँच की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) क्या नौसेना के बेड़े की सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं जिससे भविष्य में ऐसी घटनायें न हों ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) तथा (ख) चूंकि आई० एन० एस० खुकरी इस युद्ध में नष्ट हो गई थी अतः उसके सम्बन्ध में कोई जांच बोर्ड बैठाने की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) टारपीडो से होने वाले आक्रमणों के विरुद्ध नौसेना आवश्यक साज समान से पूरी तरह सज्जित है । तथापि उसकी इन सुरक्षा व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा रहा है ।

भारत-पाक युद्ध में हताहतों की संख्या

602. **श्री एस० एन० मिश्र :**
श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले भारत-पाक युद्ध के दौरान सशस्त्र सेनाओं के तीनों अंगों के कितने-कितने अधिकारी तथा अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के मारे जाने अथवा लापता होने की घोषणा की गई;

(ख) क्या पाकिस्तान ने अपनी हिरासत के भारतीय युद्ध बन्दियों के सही विवरण की घोषणा नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम): (क)

	अफसर	**जे० सी० ओ०/ओ० आर०/ एन० सी० (ई)**	**कुल**
(1) थल सेना			
(क) मृतक	175	3063	3238
(ख) लापता	10	294	304
(2) नौसेना			
(क) मृतक	20	180	200
(ख) लापता	2	1	3
(3) वायु सेना			
(क) मृतक	26	7	33
(ख) लापता	17	1	18
कुल	250	3536	3796

(ख) पाकिस्तान ने अभी तक भारतीय सशस्त्र सेनाओ के केवल 541 भारतीय युद्ध बन्दियों के विवरण दिये हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में हैं।

(ग) रेडक्रास को अन्तर्राष्ट्रीय समिति के माध्यम से शेष लापता व्यक्तियों से विवरण मालूम करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

युद्ध की हानि को पूरा करना

603. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सशस्त्र सेनाओं के सभी अंगों की युद्ध में हुई क्षति को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस कार्य पर कितना व्यय होगा ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) युद्ध में रक्षा सेनाओं को हुई क्षति को देश के अन्दर ही उत्पादन करके पूरा किया जा रहा है और जहां आवश्यक हो वहाँ विदेशों से निर्यात करके पूरा किया जा रहा हैं।

(ख) इन ब्योरों को देना लोकहित में नहीं होगा।

देशीय तथा अन्तर्देशीय विमान सेवाओं का विस्तार

604. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देशीय तथा अन्तर्देशीय विमान सेवाओं में आगे और विस्तार करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ख) इस उद्देश्य के लिए कितने विमान अर्जित किये जा रहे हैं तथा उनकी लागत क्या है; और

(ग) गत भारत-पाकिस्तान युद्ध के परिणामस्वरूप एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को कितनी-कितनी हानि उठानी पड़ी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) एयर इण्डिया अपनी सेवाओं के विस्तार की सम्भावना का मूल्यांकन लगातार कर रहा है। तथापि तुरन्त कोई नए मार्ग खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

एयर इण्डिया ने पहले ही दो बोइंग 747 विमान प्राप्त कर लिए हैं तथा दो और, जो कि क्रय आदेश पर हैं, शीघ्र ही मिल जायेंगे। इन चारों विमानों की कुल लागत लगभग 97.58 करोड़ रुपये है।

इण्डियन एयरलाइन्स ने 10 और एच० एस०-748 विमानों का आदेश दिया है जिनकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपये प्रति विमान है, और उसका प्रमुख ट्रंक और पर्यटक मार्गों पर अपनी धारिता बढ़ाने का प्रस्ताव है।

दोनों कारपोरेशनें विमानों की अपनी लम्बी अवधि की आवश्यकताओं के मूल्यांकन का कार्य कर रही है।

(ग) एयर इण्डिया तथा इण्डियन एयरलाइन्स को क्रमशः 17 लाख रुपये और 201 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

बेटला नेशनल पार्क, पालामऊ (बिहार) में एक पर्यटक केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव

605. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या बेटला नेशनल पार्क, पालामऊ (बिहार) में एक पर्यटक केन्द्र की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में सैनिक स्कूल खोलना

606. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बिहार में सैनिक स्कूलों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1971-72 के दौरान कितने सैनिक स्कूल खोले गये हैं अथवा खोलने का विचार है; और

(ग) इन स्कूलों में सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को सरकार ने कौन-कौन सी विशेष सुविधायें प्रदान की हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक स्कूल बिहार में हजारीबाग जिले में तिलैया नामक स्थान पर विद्यमान है।

(ख) अक्तूबर 1971 में एक सैनिक स्कूल इम्फाल (मणिपुर राज्य) में खोला गया था। किसी अन्य राज्य में सैनिक स्कूल खोलने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए है।

(ग) सेवारत सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को सैनिक स्कूलों में प्रतिवर्ष कुल भर्ती किए जाने वाले बच्चों का 33 प्रतिशत तक दाखिला दिया जाता है। जो बच्चे प्रवेश परीक्षा में उतीर्ण हो जाते हैं और स्कूल में भर्ती कर लिये जाते हैं उन्हें रक्षा मंत्रालय उनकी योग्यता और उपलब्ध साधनों के अनुसार छात्र वृति प्रदान करता है।

तेल के टेंकर खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण

607 **भोश्री गेन्द्र झा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तेल के 6 टैंकर खरीदने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोशिएशन से 5 करोड़ डालर का ऋण प्राप्त करने के लिए शर्तें तय करने हेतु एक प्रतिनिधि मण्डल वाशिंगटन भेजा था;

(ख) क्या सरकार ने किसी अन्य साधन से भी यह ऋण प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया है; और

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से मांगे गये ऋणों के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क), (ख) और (ग) भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा 4 अपरिष्कृत तेल टैंकरों तथा 2 परिष्कृत उत्पाद टैंकरों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से 830 लाख डालर का ऋण लेने के लिए बातचीत की गई है। संघ के कार्यकारी निदेशकों ने ऋण प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है बशर्ते—कि संघ के पास रकम उपलब्ध हो। ऋण करारों पर अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं।

संघ के ऋण ब्याजयुक्त होते हैं किन्तु इन पर 3/4 प्रतिशत का सेवा प्रभार लगता है और 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित इन्हें 50 वर्षों में वापस करना होता है।

तेल टैंकरों की प्राप्ति के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण की शर्तों के अनुरूप शर्तों पर अन्य किसी स्रोत से ऋण उपलब्ध नहीं है। सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण को रकम जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से भारतीय जहाजरानी निगम को पुनः उधार दे देगी, जिस पर $8\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा और यह रकम 16 वर्ष की अवधि में चुकानी होगी। भारतीय तेल निगम अपरिष्कृत तेल टैंकरों को हल्दिया और बेरौनी तेल शोधक कारखानों का तेल ढोने के लिए किराये पर लेगा। परिष्कृत उत्पाद टैंकरों का उपयोग उत्पादों को तटवर्ती स्थानों पर लाने ले जाने के लिए किया जाएगा।

बजोरिया-जलामग्रुप के अधीन कार्य करने वाली कम्पनियां

608. **श्री ज्यतिर्मय बसु** : क्या **कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजोरिया-जलाम ग्रुप, कलकत्ता के नियंत्रक में कार्य करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक कम्पनी में कुल कितनी-कितनी पूंजी लगी है;

(ख) क्या जून, 1971 में किसी दिन केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने इस ग्रुप द्वारा नियंत्रित कम्पनियों के कार्यालयों पर छापे मारे थे और अभिशंसी दस्तावेज पकड़े थे;

(ग) क्या इस ग्रुप पर कई करोड़ रुपये की राशि के धोखाधड़ी के सौदों का आरोप लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये हैं ?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) बजोरिया-जलाम समूह को संदर्भित करते हुए सम्भवतः सदस्य महोदय के मन में, सूरजमल नागरमल समूह, जो औद्योगिक लाइसेंसिंग जांच समिति के परिशिष्ट के भाग 2 में बड़े उद्योग के रूप में सूचिवद्ध किया गया है का है। सूरजमल,

नागरमल समूह से सम्बन्धित 110 कम्पनियों के नाम प्रदत्त पूंजी सहित उक्त प्रकाशन के पृष्ठ 34 से 38 पर दिये गये हैं।

(ख) मैसर्स ब्रिटोनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायत की जाँच के कारण, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जून 1971 में बहुत सी खोजें की और सामग्री को पकड़ा।

(ग) ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध मामले में, यह संशय किया जाता है कि 40 लाख से ऊपर रुपयों का गलत प्रतिनिधित्व और लेन देन किया गया है। किन्तु सही धन का उल्लेख नहीं किया जा सकता है जब कि मामला विचाराधीन है।

(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 120ख के अन्तर्गत षड्यन्त्र करने के मामले विचाराधीन है।

पर्यटन से विदेशी मुद्रा की आय के बारे में संयुक्त राष्ट्र अध्ययन दल के निष्कर्ष

609. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री नरेन्द्र सिंह :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र अध्ययन दल के निष्कर्षों के अनुसार पर्यटन से होने वाली देश की विदेशी मुद्रा की आय की एक तिहाई से अधिक राशि अवैध रूप से प्राप्त होती है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है और यदि हाँ, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) ऐसा अनुमान संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दल द्वारा लगाया गया था।

(ख) पर्यटन से अर्जित होने वाली विदेशी मुद्रा का क्षरण होटलों, रेस्टोरेंटों, यात्रा अभिकरणों, परिवहन परिचालकों, दुकानों आदि जैसी विभिन्न सरणियों के माध्यम से होता है।

(ग) इन अनाचारों को रोकने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से सतर्कता को बनाए रखा जा रहा है, तथा अन्य उपायों पर भी सक्रिय विचार किया जा रहा है।

भारत में विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ

610. श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कार्य करने वाली प्रत्येक विदेशी औषध कम्पनी को गत तीन वर्षों में, वर्षवार संकलित लाभ और शुद्ध लाभ कितना-कितना हुआ; और

(ख) उपर्युक्त अवधि में इनमें से प्रत्येक को, वर्षवार, कितना लाभ हुआ ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

मैसर्स वोल्गा रैस्टोरेंट एण्ड टी ग्रुप से आयकर की वसूली

611. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 से 1971-72 तक प्रत्येक वर्ष में मैसर्स वोल्गा रैस्टोरैंट एण्ड टी ग्रुप (दिल्ली) से आय-कर की कितनी राशि वसूल की गई है;

(ख) क्या निश्चित तारीखों पर कर का भुगतान किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है :—

वित्तीय वर्ष	नियमित मांग	अग्रिम कर	जोड़
1968-69	3,21,998	3,18,296	6,40,294
1969-70	4,17,796	2,96,971	7,14,767
1970-71	2,95,946	2,98,410	5,94,356
1971-72 (9-3-72 तक)	4,84,298	76,603	5,60,901

(ख) नियमित कर समय-समय पर आय-कर विभाग द्वारा स्वीकृत किस्तों में अदा किया गया था। अग्रिम कर सम्बन्धी मांगें नियत तिथियों पर अदा कर दी गयी है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कर या तो नियत तिथियों को अथवा किस्तों में अदायगी के लिए स्वीकृत समय के अनुसार अदा कर दिया गया था।

जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगपतियों को दिया गया ऋण

612. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971 में जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगपतियों को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा एकाधिकारी उद्योगपतियों को कुल कितनी राशि का ऋण दिया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) वर्ष 1971 में जीवन बीमा निगम ने औद्योगिक संस्थानों को ऋणों के रूप में कुल 194 लाख रुपये की रकम दी और इसमें से 144 लाख रुपये एकाधिकार समूहों से सम्बन्धित कम्पनियों को दिये गये थे।

परम्परागत और आधुनिकतम शस्त्रों में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही

613. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परम्परागत और आधुनिकतम शस्त्रों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या आगामी कार्यवाही की गई है; और

(ख) क्या आयुद्ध कारखानों की पूर्ण क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) **में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुल्क)** : (क) परम्परागत और आधुनिक सशस्त्रों के क्षेत्र में आत्म निभरता प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं वे शस्त्रास्त्रों के विकास क्रम की सतत् प्रक्रिया के एक अंग के रूप में हैं और इस दिशा में होने वाली प्रगति पर सरकार बराबर ध्यान दे रही है। इस सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा देना जनहित में न होगा ।

(ख) पुरानी आर्डनेंस फैक्टरियों की उत्पादन क्षमता का अधिकांशत: सैनिक आवश्यकताओं के अनुकूल यथा सम्भव रूप से उपयोग किया जा रहा है। जहां तक नई फैक्टरियों का सम्बन्ध है उनकी पूरी उत्पादन क्षमता का उपयोग तभी सम्भव हो पाएगा जब कि संयत्र और मशीनें पूरी तरह काम करना आरम्भ कर देंगी ।

कानपुर में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए आवास का नियमतीकरण

614. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में औद्योगिक आवास योजना के अधीन निर्मित विभिन्न श्रमिक बस्तियों में रहने वाले प्रतिरक्षा कर्मचारियो के कब्जे को नियमित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में नियमों में परिवर्नन करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार इस सारे प्रकरण पर विचार कर रही है और आशा है कि शीघ्र ही कोई निर्णय लिया जायगा ।

(ख) जुलाई 1969 में राज्य सरकार ने इस योजना का दायरा बढ़ाने का सुझाव दिया था ताकि रक्षा कर्मचारी भी उसके अन्तर्गत आ सकें। लेकिन निर्माण तथा आवास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को अभी तक मंजूर नहीं किया है ।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध कैंटीन कर्मचारियों के लिये सुविधायें

615. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक परिषद् ने वर्ष 1971 में अरूवनकडु में हुई अपनी बैठक में आयुद्ध कारखानों सहित विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों से सम्बन्ध कैंटीन कर्मचारियों को कुछ सुविधाएं देने

का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय को क्रियान्वित किया गया है ?

रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) सितम्बर 1971 में अरूवनकड़ में हुई औद्योगिक परिषद् की बैठक में यह विचार प्रकट किया गया था कि आर्डनेन्स कारखानों के कैंटीन कर्मचारियों को वही वेतन दिये जाने चाहिए जो कि इन कारखानों में काम करने वाले समकक्ष वर्गों के कर्मचारियों को दिये जाते हैं जिसमें मंहगाई भत्ता आदि शामिल हो। इसके अतिरिक्त उन्हें भविष्य निधि, वर्दी (जहां दी जाती हो) जैसी सांवधिक सुविधाएं भी दी जाएं।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है।

डाक द्वारा भेजी जाने वाली वस्तुओं और समाचार-पत्रों पर अतिरिक्त शुल्क समाप्त करना

616. श्री निहार लास्कर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पाँच पैसे की अतिरिक्त डाक शुल्क और समाचार-पत्र तथा पत्रिकाओं पर लगाये गये दो पैसे के शुल्क को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) : वर्तमान संकेतों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1972-73 में इन करों के जारी रहने की संभावना है।

Hotel Akbar, New Delhi

617. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether construction of Hotel Akber, New Delhi has been commpleted;

(b) if so, the total amount spent and time taken for its construction; and

(c) the estimated income from and expenditure on the hotel annually ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh): The hotal building was constructed by the New Delhi Municipal Committee as one of its commercial projects. In December 1970, it was taken on lease by the India Tourism Development Corporation and named the Akbar Hotel. The building required a number of modifications and alterations and had to be furnished and decorated. The India Tourism Development Corporation has so far spent approximately Rs. 62 lakhs on this work. The hotel was commissiond on the 27th January 1972.

(c) The estimated income and expenditure for 1972-73 is as follows :—

Income	:	Rs. 80.81 lakhs
Expenditure	:	Rs. 77.84 lakhs

The profit margin is expected to grow in the years ahead.

Self-Reliance In Defence Requirements

618. Shri M. C. Daga :— Will the Minister of **Defence** be pleased to State :—

(a) Whether Government are making efforts to achieve self-reliance in the matter of Defence requirements; and

(b) if so, the time by which the country will be self-reliant in this regard ?

The Minister of State (Defence Production) in the Ministry of Defence (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) No time limit can be fixed for achieving selfreliance in defence production, since the requirements of the Services keep on changing with the rapid advances in defence technology.

एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाईन्स को हो रहे घाटे को कम करने के उपाय

619. श्री पी० वेंकटसुब्बया : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स को उनके राष्ट्रीयकरण के बाद सबसे अधिक घाटा होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें इस वर्ष अनुमानतः कितना घाटा होगा और उसे कम करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने वाले हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इसके मुख्य कारण ये हैं :—

- (i) वेतन समझौतों के फलस्वरूप वेतनों में काफी वृद्धि होना।
- (ii) पाकिस्तानी आक्रमण के कारण विमान सेवाओं का विछिन्न होना।
- (iii) यूरोप और अमरीका से पर्यटकों के आगमन पर, वहां के मुद्रा-संकट के कारण, प्रतिकूल प्रभाव पड़ना।
- (iv) विमानों के बलात अपहरण के जोखिमों के प्रति बीमा दरों में वृद्धि होना।
- (v) ईंधन तथा अन्य परिचालन लागतों के मूल्य में वृद्धि होना।
- (vi) विदेश-यात्रा-कर के फलस्वरूप विदेश यात्रा पर निरोधात्मक प्रभाव पड़ना।
- (vii) पाकिस्तानी सीमा पर से उड़ान से बचने के लिये अधिक लम्बे चक्कर लगाने पर आने वाला अतिरिक्त व्यय।

(ग) अनुमान है कि एयर इण्डियन को 4.38 करोड़ रुपये और इण्डियन एयरलाइन्स को 5.20 करोड़ रुपये की हानि होगी।

दोनों विमान कम्पनियाँ खर्च में मितव्ययिता, विमान बेड़े के अधिकतम उपयोग और यातायात की अभिवृद्धि के लिए जोरदार प्रयत्न कर रही हैं। एयर-इण्डिया ने सस्ते चार्टर

परिचालनों के लिए एक चार्टर कम्पनी की स्थापना भी की है ।

मुद्रास्फीति रोकने के लिए अपनाये गये उपाय

620 **श्री वी० मयावन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 फरवरी, 1972 को उनके द्वारा बड़ौदा में दिए गए वक्तव्य से यह प्रकट होता है कि सरकार का यह अनुभव है कि नियंत्रण मुद्रास्फीति को रोकने में सफल सिद्ध नहीं हुए हैं और इसके लिए दूसरे उपाय सोचने होंगे; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्य कौन से उपाए अपनाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तनाव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) मुद्रास्फीतिकारी दबावों को रोकने के लिए राजस्व विषयक, मुद्रा सम्बन्धी और प्रशासनिक नियन्त्रणों को पहले से ही प्रयोग में लाया जा रहा है । इसके अलावा पिछले वर्ष से सट्टेबाजी पर रोक लगाने का काम तेज कर दिया गया है और वायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम की कुछ त्रुटियों को भी दूर किया जा रहा है । सरकारी वितरण प्रणाली के प्रभाव क्षेत्र को, जो इस समय केवल मुख्य अनाजों और चीनी तक ही सीमित है, व्यापक बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किया जाना

621. **श्री वी० मयावन** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकारों की ओर से देश में सर्वेक्षण कार्य करने के लिए राष्ट्रीय व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद उन से शुल्क लेती है, जबकि उसे केन्द्रीय सरकार से अनुदान मिलता रहा है ।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद को जिसे आर्थिक और औद्योगिक समस्याओं और इस से सम्बन्ध मामलों में अनुसंधान करने और इस कार्य को बढ़ावा देने के लिए समिति पंजीयन अधिनियम के अधीन एक समिति के रूप में 1956 में एक स्वतन्त्र अनुसधान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, सरकार से 2,00,000 रुपये वार्षिक का एक आवर्तक अनुदान मिलता है । इसे इस समय किसी अन्य संगठन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है बल्कि यह परियोजनाओं के प्रवर्तकों से जिनमें राज्य सरकारें सरकारी और गैर सरकारी उपक्रमों आदि शामिल हैं, परियोजना शुल्क वसूल करती है

विश्व बैंक से सहायता

622. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सामाजिक न्याय के प्रोत्साहन में सहायता देने हेतु विश्व बैंक के प्रेसीडेंट ने जब वह भारत के दौरे पर आए थे, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए एक नयी पद्धति अपनाने की सिफारिश की थी;

(ख) क्या इस पद्धति के अन्तर्गत छोटे किसान तथा नगरीय विकास परियोजनाओं को ऋण सुविधायें प्रदान करना भी सम्मिहित है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के साथ हुई उनकी बातचीत का सारांश क्या है; और

(घ) सरकार ने क्या कार्यक्रम बनाया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : विश्व बैंक के अध्यक्ष ने अपने हाल ही के नई दिल्ली प्रवास के दौरान, सामाजिक न्याय के साथ साथ विकास सम्बन्धी भारत के कार्यक्रमों जैसे नगर विकास, ग्रामीण निर्माण कार्यों और छोटे तथा सीमान्तिक किसानों को ऋण-सुविधाएं देने की योजनाओं में सहायता पहुँचाने की विश्व बैंक समूह की इच्छा का संकेत दिया था।

(ग) और (घ) : विश्व बैंक के अध्यक्ष के साथ देश की मान्यता, आर्थिक स्थिति चौथी आयोजना के कार्य की प्रगति तथा भारत के आर्थिक विचार में सहायता पहुँचाने की दिशा में विश्व बैंक और उसके सम्बद्ध संगठनों की भूमिका के सम्बन्ध में बातचीत हुई थी। कृषि ऋण, परिवार नियोजन, कृषि विश्व विद्यालय, उर्वरक कारखानों आदि की परियोजनाओं के लिए भारत के प्रस्तावों के बारे में विश्व बैंक के साथ विभिन्न स्तरों पर बातचीत चल रही है।

बिहार को वित्तीय सहायता

623. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त अर्थ व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्या बिहार सरकार ने राज्य के विकास कार्यों के पुनर्निर्माण तथा निष्पादन के लिए केन्द्र सरकार से विशेष सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो किन किन शीर्षों के अन्तर्गत सहायता मांगी गई है और सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत बिहार सरकार द्वारा अगस्त, 1971 में भेजे गये ज्ञापन की ओर है जिसमें राज्य की विकास योजनाओं, विधि और व्यवस्था की समस्याओं और बाढ़ सहायता उपायों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देने का अनुरोध किया गया था। ज्ञापन में केन्द्रीय ऋणों की वापसी अदायगी का कार्यक्रम पुन: निर्धारित करने और इन ऋणों के ब्याज की दर में कमी करने का सुझाव भी दिया गया था।

बिहार सहित सभी राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, चाहे वह आयोजनागत प्रयोजनों के लिए हो चाहे आयोजना भिन्न प्रयोजनों के लिए, सभी राज्यों पर लागू होने वाले मानदण्डों के अनुसार दी जा रही है। बिहार तथा कुछ अन्य राज्यों द्वारा केन्द्रीय ऋणों की वापसी अदायगी के कार्यक्रम के पुन: निर्धारण और ब्याज की दर में कमी करने के बारे में जो प्रस्ताव दिया गया था उसकी जाँच की गयी थी किन्तु वह स्वीकार्य प्रतीत नहीं हुआ। जहां तक बाढ़ सहायता सम्बन्धी उपायों का सम्बन्ध है, इस प्रयोजनार्थ धन सम्बन्धी आवश्यकताओं का निर्धारण

करने वाले केन्द्रीय दल ने जिस अधिकतम सीमा की सिफारिश की हो उसके अधीनस्थ रहते हुए और राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय की प्रगति के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। चालू वित्त वर्ष में इस सम्बन्ध में बिहार सरकार को अब तक 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है। इस के अतिरिक्त कृषि के काम आने वाली सामग्री के लिए अल्पावधिक ऋणों के रूप में 7.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है।

बिहार में पर्यटन केन्द्रों पर होटल बनाने का प्रस्ताव

624. **श्री रामावतार शास्त्री :**
कुमारी कमला कुमारी :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार स्थित पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं;

(ख) किन किन केन्द्रों पर होटलों की व्यवस्था नहीं हैं; और

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों पर सरकार का विचार पर्यटकों की सुविधा के लिए होटल बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पर्यटन केन्द्रों की कोई विशिष्ट सूची नहीं है; वस्तुतः पर्यटक आकर्षण के स्थानों का विकास इन स्थानों के आधार पर निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। बिहार में पटना, नालन्दा, राजगिर, बोध-गया और वैशाली में सरकार द्वारा पर्यटकों के लिए सुविधायें या तो प्रदान की गई हैं अथवा प्रदान की जायेंगी। पर्यटन विभाग द्वारा निजी क्षेत्र में अनुमोदित होटल धनबाद, पटना और रांची में चल रहे हैं और पटना में तीन नयी होटल प्रायोजनाओं को योजना स्तर पर अनुमोदन दे दिया गया है। सरकार द्वारा बिहार में होटलों के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु पटना में एक पर्यटन स्वागत केन्द्र के निर्माण का विचार है जिसमें अन्य सुविधाओं के साथ साथ पर्यटकों के लिये आवास की भी व्यवस्था होगी।

पटना हवाई अड्डे का विकास

625. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना हवाई अड्डे के विकास के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त हवाई अड्डे के विस्तार के लिए उसके निकट स्थित हिन्दुस्तान वैहिकल्स कम्पनी को स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक तथा किन शर्तों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जायेगा।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। वर्तमान धावन पथ की लंबाई इंडियन एयरलाइंस के परिचालनों के लिए पर्याप्त है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) मामला विचाराधीन है ।

पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

626. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 27.5 लाख टन परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी और क्या इससे पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य स्थिर रखे जा सकेंगे ।

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) 1972 के दौरान सज्जित पेट्रोलियम उत्पादों के आयात का अनुमान कुल मिलाकर 3.7 मिलियन मीटरी है ।

(ख) लगभग 56 करोड़ रुपये । पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण का आधार उत्पादों के आयात की मात्रा या मूल्य से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि तेल मूल्य निर्धारण समितियों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर इनका निर्धारण सरकार करती है ।

कलकत्ता सिलचर क्षेत्र में शटल विमान सेवा आरम्भ करने का प्रस्ताव

627. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी अप्रैल मास से कलकत्ता-सिलचर क्षेत्र में शटल विमान सेवा आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अगरतला को भी इस सेवा-मार्ग में सम्मिलित करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) यदि आर्डर किए गए दो और एच०एस०-748 विमान समय पर मिल गए तो इंडियन एयरलाइंस की अप्रैल, 1972 के मध्य से कलकत्ता-अगरतला-सिलचर मार्ग पर सप्ताह में पांच बार की एक अतिरिक्त विमान सेवा चालू करने की योजना है ।

दूसरा उर्वरक कारखाना स्थापित करने के लिए स्थान के बारे में निर्णय

628. डा० कर्णी सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीघ्र ही एक अन्य उर्वरक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा श्री वी० एस० मुखर्जी की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए आयोग ने अपेक्षित मात्राओं में जिप्सम और जल तथा सस्ते दरों पर श्रमिकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित कारखाने की स्थापना के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान के रूप में बीकानेर डिवीजन की सिफारिश की थी; और

(ग) यदि हां, तो उसकी स्थापना के बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) राजस्थान में दो उर्वरक यूनिट एक कोटा में तथा अन्य उदयपुर में, पहले से ही स्थापित हैं। खेतरी में एक तीसरी प्रायोजना भी कार्यान्वित की जा रही है। राजस्थान में स्थानीय उपलब्ध राक् फास्फेट्स एवं पाइराइट्स पर आधारित एक उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) 1954 में स्थापित की गई मुखर्जी समिति ने राजस्थान में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में कोई अन्तिम सिफारिश नहीं की थी।

टैलको द्वारा ट्रक उत्पादन क्षमता का विस्तार

629. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या **कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने हाल ही में ट्रक उत्पादन क्षमता के विस्तार के सम्बन्ध में टैलको के किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) टैलको से जाँच हेतु प्रार्थना पत्र आयोग को भेजा गया था और आयोग ने (इसमें जांच कर ली है) अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) मामला (सरकार के विचाराधीन है) पुनः विधायत है।

कालीकट हवाई अड्डे के लिए कढ़ीपुर में निर्माण कार्य

630. श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कढ़ीपुर (केरल) में अर्जित की गई भूमि पर कालीकट हवाई अड्डे के लिए निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय निर्माण कार्य किस चरण में है; और

(ग) कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : बाढ़ लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। भूमि समतल करने तथा निर्माण कार्य के प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं और उनकी जांच की जा रही है। जहां तक संभव हो सकेगा अधिक से अधिक कार्य को

इसी योजनावधि में ही पूरा करने के प्रयत्न किए जायेंगे, परन्तु इस कार्य के कुछ भाग के अगली योजनावधि में चले जाने की संभावना है।

शा वालेस कम्पनी

631. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी अंशधारी मैसर्स शा वालेस कम्पनी ने, भारतीय राष्ट्रिकों को अपने अंश बेचने तथा हस्तान्तरित करने के सम्बन्ध में समवाय विधि प्रशासन से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां तो क्या अनुमति दे दी गई है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उक्त फर्म के भारतीय कर्मचारियों से भी सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार की उस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) अभी तक सरकार को इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नही होता।

(ग) जी, हां। कम्पनी के भारतीय कर्मचारियों को जिस सौदे की आशंका है उसके बारे में जब कभी विचार करने का अवसर आयेगा तब अभ्यावेदनों पर सम्यक रूप से विचार किया जायेगा।

नागर विमानन के विकास हेतु बंगला देश को सहायता

632 **श्री बी० वी० नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगला देश के नागर विमानन के विकास हेतु अथवा अन्तर्राष्ट्रीय विमान-सेवायें आरम्भ करने हेतु कोई सहायता देने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो सहायता की राशि क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : बंगला देश सरकार की प्रार्थना पर 200 श्रेणी के दो फोकर फ्रैंडशिप विमान मार्च के प्रथम सप्ताह में बंगला देश विमान को दिये गये थे। इन विमानों के संधारण के लिए अपेक्षित आवश्यक फालतू पुर्जों एवं सामग्री की भी व्यवस्था की जा रही है। बंगला देश सरकार को उनकी प्रार्थना के प्रत्युत्तर में लगभग 29,000/- रुपये के मूल्य के वैमानिक संचार उपस्कर दिये जा रहे हैं। प्रशिक्षण, परिचायक तथा संपरिवर्तन सुविधायें भी दी जा रही हैं।

विमान के फालतू पुर्जे आदि देने तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करने से सम्बन्धित शर्तें विचाराधीन हैं।

मैसूर राज्य के ओवरड्राफ्ट

633. **श्री बी० वी० नायक :**

श्री विश्वनाथ झुंझनवाला :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने राज्य के घटते हुए संसाधनों तथा उनके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लिए गये ओवरडाफ्ट्स के प्रश्न पर मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों ने योजना आयोग तथा सरकार के अन्य अधिकारियों से बातचीत की थी;

(ख) यदि हां, तो मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किये गये मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : मैसूर सरकार ने अनुरोध किया था कि यदि उस राज्य को, आयोजना-भिन्न साधनों और व्यय के उस अन्तर के आधार पर जिसका अनुमान चौथी आयोजना की अवधि के प्रारम्भ में लगाया गया था, विशेष ऋण सहायता प्रदान की गयी, तो वह अपने ओवरड्राफ्ट की देनदारी को पूरा करने का प्रयत्न करेगी । इस मामले पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विचार किया गया है और जिन सिद्धान्तों के अनुसार विशेष ऋण सहायता दी जाती है, उनकी व्याख्यात्मक जानकारी उनको दे दी गयी है । इस प्रकार की ऋण सहायता' राज्यों के साधनों के केवल उस अपरिहार्य अभाव के सम्बन्ध में दी जाती है' जिसका अनुमान योजना आयोग द्वारा हर साल किया जाता है, और यह सहायता सभी राज्यों पर लागू मानदण्डों के आधार पर दी जाती है ।

देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता को कम उपयोग में लाया जाना

634. **श्री वी० वी० नायक :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक उत्पादन क्षमता अब भी बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त रहती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों की पृथक-पृथक कुल उत्पादन क्षमता कितनी कितनी है और यह किस सीमा तक अप्रयुक्त रही तथा उसके मुख्य कारण क्या है; और

(ग) इस क्षमता को पूर्ण रूप में उपयोग लाने के लिए कौन से कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले : (क) कुछ उर्वरक सन्यन्त्रों में निर्धारित पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं की जा सकी थी ।

(ख) और (ग) : अपेक्षित सूचना सलंग्न विवरण-पत्र में दी गई है ।

विवरण

स्थापित क्षमता एवं वह क्षमता, जो 1970-71 एवं 1971-72 में अप्रयुक्त रही, निम्न प्रकार हैं :—

('000' मीटरी टन)

	स्थापित क्षमता		वास्तविक उत्पादन		अप्रयुक्त क्षमता का प्रतिशत	
	1970-71	1971-72	1970-71	1971-72 (जनवरी 72 तक)	1970-71	1971-72 (जनवरी 72 तक)
क. नाइट्रोजन सरकारी क्षेत्र	684	860	379	350	42.7	38.8
गैर सरकारी क्षेत्र	660	660	451	412	31.7	25.1
	1344	1520	830	762	37.3	32.2
ख. फासफेट						
सरकारी क्षेत्र	105	109	50	53	52.4	46.0*
गैर सरकारी क्षेत्र	316	316	179	172	43.4	34.7
	421	506	229	225	45.6	37.7

*नियमित कार्य कर रहे संयंत्रों के सम्बन्ध में 10 महीनों के लिए तथा नये संयंत्रों, जिनमें इस वर्ष उत्पादन प्रारम्भ हुआ था, परिचालन की वास्तविक अवधि में अनुपातिक क्षमता के लिए परिचालन किया गया। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक प्रयोग के लिए बेचे गए 1970-71 में 14,000 मीटरी टन नाइट्रोजन तथा 1971-72 (अप्रैल-जनवरी) में 12,000 मीटरी टन नाइट्रोजन की गणना करने के पश्चात् सरकारी क्षेत्र के यूनिटों के लिए क्षमता के अप्रयोग की प्रतिशतता तैयार की गई है। रोरकेला, नयवेली और फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्स ट्रावनकोर, जिन्हें जटिल तकनीकी एवं अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था, से भिन्न सरकारी क्षेत्र में अन्य संयंत्रों में क्षमता का उपयोग 1970-71 तथा 1971-72 में लगभग 69 प्रतिशत था।

निर्धारित क्षमताओं की उपलब्धि के निम्नलिखित कारण थे :—

(क) रोरकेला में कोक भट्टी गैस की अपर्याप्त उपलब्धि।

(ख) सिन्द्री में जिप्सम एवं कोयले की घटिया किस्म तथा इन दोनों मदों की अपर्याप्त सप्लाई।

(ग) कुछ यूनिटों में परिचालन एवं देख-रेख की समस्यायें और डिजायन एवं उपकरण की त्रुटि।

(घ) सिन्द्री यूनिट और अल्वाय यूनिट के कई खण्डों में दो दशाब्दियों से अधिक दीर्घ अवधिओं तक सन्यन्त्र परिचालन की कम कार्य-कुशलता।

(ङ) नंगल में बिजली की कटौतियों का किया जाना और कुछ यूनिटों में बिजली की सप्लाई में रुकावटें जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष एवं आनुषंगिक हानियां।

(च) कुछ यूनिटों में श्रमिक कठनाइयाँ।

इन समस्याओं पर काबू पाने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है। जहां कही अवश्यक हो, विशेष रूप से श्रमिक परिस्थिति, बिजली की सप्लाई आदि जैसे मामलों में राज्यों की सहयोग एवं सहायता भी प्राप्त की जाती है। उर्वरक यूनिटों के उत्पादन-निष्पादन में कुछ सुधार देखा गया हैं और आगामी मासों में उत्पादन और भी अधिक होगा बशर्तें कि अन्य पदार्थों के साथ पर्याप्त बिजली और औद्योगिक तालमेल आश्वासित हो।

खड़कवासला अकादमी में विधायकों को वित्तीय सहायता

635. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल डीफैंस अकादमी, खड़कवासला में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देने के लिए उनके माता पिता की आय सीमा कितनी है;

(ख) यह सीमा कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या इस सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवनराम) : (क) आय की सीमा 350 रु० प्रतिमाह है। लेकिन जब एक ही समय दो लड़के/बच्चे प्रशिक्षणाधीन हों तो आय सीमा 400 रु० प्रति माह की हैं लेकिन केवल एक ही कैडेट इस सहायता का पात्र होता है।

(ख) जुलाई 1964

(ग) जी हाँ, श्रीमन्।

(घ) आय सीमा को संशोधित करना आवश्यक नही समझा गया था। इस बात का उल्लेख कर दिया जाय कि नेशनल डिफेंस अकादमी में प्रशिक्षण अथवा खाने या रहने के लिए कोई शुल्क नही लिया जाता है। कैडेटों को सरकारी खर्चे पर वर्दी और उपस्कर भी दिये जाते हैं। जहां अभिभावकों की आय 350 रु० प्रतिमाह से कम होती है वहां कैडेटों को सरकार 40 रु० से 45 रु० जेब-खर्च भी देती है। अन्य मामलों में जेब-खर्च अभिभावकों द्वारा दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये जाने वाले 'ड्यूटी भत्ते' को वेतन का अंग समझना

636. **श्री दलीप सिह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सौंपी जाने वाली अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए मंजूर किए जाने वाले 'ड्यूटी भत्ते' की पदोन्नति होने पर वेतन निर्धारित करते समय वेतन मान का अंग या व्यक्तित्व वेतन में मिलाए जा सकने वाला भत्ता समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो कबसे; और

(ग) क्या असंगति को दूर करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन भी अधिक निर्धारित करना पड़ता है जिससे वह जूनियर अधिकारियों के बराबर हो जाये ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) असैनिक पक्ष में प्रचलित मूल नियमों में 'ड्यूटी भत्ता' जैसा कोई स्वीकृत पद नहीं है। प्रवर्त्तमान आदेशों के अनुसार, किसी संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरित किए गए कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता दिया जाता है। परन्तु पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ते को हिसाब में नहीं लिया जाता है। मूल नियम 49 के उपबन्धों के अधीन, कभी कभी अन्य स्वतन्त्र पद के अतिरिक्त कार्यभार को सम्भालने के लिए भी अतिरिक्त पारिश्रमिक मंजूर किया जाता है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिये इस प्रकार के अतिरिक्त वेतन को भी हिसाब में नहीं लिया जाता है। परन्तु कुछ मामलों में किसी पृथक उच्चतर वेतन-मान की एवज में विशेष वेतन मंजूर किया जाता है। इस प्रकार के विशेष वेतन को, किसी उच्चतर पद में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उस स्थिति में वेतन का अंश मान लिया जाता है जब इस प्रकार का वेतन निम्न पद पर कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक लगातार लिया गया हो। यदि विशेष वेतन 3 वर्ष तक नहीं लिया गया हो, तो उसे मूल वेतन का अंश नहीं माना जाता है। परन्तु सामान्य नियमों के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा निम्न पद पर वेतन में विशेष वेतन के मिलाकर लिये गये वेतन के बीच का अन्तर वैयक्तिक वेतन के रूप में दिया जाता है जिसे भावी वेतन वृद्धियों में शामिल किया जाना होता है।

(ख) पदोन्नति होने पर वेतन के निर्धारण के प्रयोजन के लिए निम्न पद में लिये गये विशेष वेतन को, वेतन के हिस्से के रूप में मानने से सम्बन्धित सामान्य आदेश पहली बार 22-6-6’ को जारी किए गए थे। उक्त आदेश बाद में 1-6-63, 25-2-65 और 8-1-68 को संशोधित किये गये थे।

(ग) जी हाँ। ऐसे मामलों में जहां निम्न पद में लिये गये विशेष वेतन को हिसाब में लेते हुए निर्धारित किये गये वेतन के परिणामस्वरूप वरिष्ट अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारी से कम वेतन पाता है, उन मामलों में पहले (वरिष्ठ) अधिकारी का वेतन, परवर्ती अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से कनिष्ठ अधिकारी के वेतन स्तर तक बढ़ा दिया जाता है परन्तु यह तब जब कि कनिष्ठ अधिकारी समय समय पर निम्न पद पर वरिष्ठ अधिकारी से अधिक वेतन नहीं लेता रहा हो।

भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजीनिवेश निगम द्वारा दिये गये ऋण

637. **श्री सी० सी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम, बम्बई और औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली, लघु उद्योग क्षेत्र की कम्पनियों को विदेशी मुद्रा के ऋण देते हैं;

(ख) वर्ष 1969-70, 1970-71 और चालू वर्ष 1971-72 में इस प्रकार के कितने ऋण दिये गए हैं;

(ग) कुल कितना ऋण मंजूर किया गया और वितरित किया गया तथा लघु उद्योग को दिये गये विदेशी मुद्रा के इन ऋणों पर ब्याज की दर क्या है और ब्याज की यह दर बड़े उद्योग से लिये जाने वाले ब्याज की तुलना में कम है अथवा अधिक है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन निगमों के पास लघु उद्योग के लिये कुछ प्रतिशत विदेशी मुद्रा आरक्षित रखने का है ?

वित्त मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां। किन्तु औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अधीन भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से केवल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियाँ तथा सहकारी समितियाँ ही सावधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं और ये आमतौर पर मध्यम तथा बड़े पैमाने के औद्योगिक एकक स्थापित करती हैं ।

(ख) और (ग) वित्त वर्ष 1969-70, 1970-71 तथा चालू वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा किसी भी लघु उद्योग एकक को विदेशी मुद्रा उप ऋण (सब लोन) के रूप में कोई सहायता नहीं दी गई है। भारतीय ओद्योगिग ऋण और पूंजी निवेश निगम के सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	स्वीकृत विदेशी मुद्रा उप-ऋणों की संख्या	विदेशी मुद्रा उप-ऋण	
		कुल स्वीकृत राशि	कुल संवितरित राशि
		(लाख रुपयों में)	
1969-70	9		
1970-71	21	116.55	50.56
1971-72 दिसम्बर, 1971 तक	15		
जोड़	45		

विदेशी मुद्रा उप-ऋणों पर जाने वाली 9 प्रतिशत की दर छोटे मध्यम तथा बड़े पैमाने के उद्योगों के लिए भी लागू होती है।

(घ) जी, नहीं।

लोक निधि का अपव्यय रोकने सम्बन्धी उपाय

638. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-71 के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा किए गये प्रतिवर्श सर्वेक्षण के अनुसार वर्षवार कुल कितना कितना निष्फल तथा फिजूल व्यय किया गया; और

(ख) लोक लेखा समिति के बाद के प्रतिवेदनों में बताये गये लोक निधि के अपव्यय को कम करने के लिये क्या हाल ही में कोई विशेष कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकारी लेखा समिति ने वर्ष 1969, 1970 और 1971 में जारी की गई अपनी रिपोर्टों में अपव्ययपूर्ण और फिजूल खर्ची के कुछ विशिष्ट मामलों का हवाला दिया है। इन रिपोर्टों को सदन-पटल पर रख दिया गया है। इन प्रकाशित रिपोर्टों में से ली गई सूचना के आधार पर, कथित फिजूल और अपव्ययपूर्ण खर्चे की कुछ रकम, जिसका उल्लेख तीनों वर्षों में से प्रत्येक वर्ष अर्थात 1969 से 1971 तक की रिपोर्टों में किया गया है, नीचे दिए अनुसार है :

1969—	6,90,08,675.00	रु०
1970—	1,46,36.877.00	रु०
1971—	31,37,637.00	रु०

(ख) सरकार के हितों की सुरक्षा के लिए विद्यमान वित्तीय नियमों और विभागीय संहिताओं में पहले से ही पर्याप्त उपबन्ध मौजूद हैं और अपव्ययपूर्ण तथा फिजूल खर्ची आमतौर पर विद्यमान नियमों और हिदायतों का पालन नहीं करने के कारण होती है। परन्तु जब कभी ऐसी चूकें जानकारी में आती हैं. तब प्रशासनिक मन्त्रालयों को इस बात को दृष्टि में रखते हुए उपयुक्त हिदायतें जारी की जाती हैं कि ऐसी चूकें दुबारा नहीं हों और वर्तमान हिदायतों की समीक्षा भी की जाती है।

पाइप लाइन जांच आयोग द्वारा की गई प्रगति

639. **श्री वरके जार्ज** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाइप लाइन जांच आयोग द्वारा क्या प्रगति की गई हैं; और

(ख) उक्त आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत करेगा ?

विधि और न्याय तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) और (ख) आयोग अगस्त, 1970 में नियुक्त किया गया था। आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों से सम्बद्ध तथ्यों की जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से बयान मांगते हुए दिसम्बर 1971 में नोटिस जारी किये थे। इन नोटिसों के प्रत्युत्तर में पेट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय तथा भारतीय तेल निगम को सम्मिलित करते हुए 13 पार्टियों ने अपने बयान प्रस्तुत किये हैं। आयोग के विचारार्थ विषयों में अक्तूबर, 1971 में तीन मदें जोड़ी गई थीं। आयोग ने इनके लिये भी नोटिस जारी किये और बयान मांगे। इसके प्रत्युत्तर में श्री अरुन राय चौधरी जिन्हें आयोग ने और समय दे दिया है, को छोड़कर सभी पार्टियों ने बयान प्रस्तुत कर दिये हैं। इटली के मैसर्स स्नाम तथा यू०एस०ए० के मैसर्स वैकटेल ने भी आयोग के समक्ष बयान प्रस्तुत किये हैं। आयोग अब इस बात पर विचार कर रहा है कि जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 8 बी, 1971 के अधिनियम 79 द्वारा तथा संशोधित, के अन्तर्गत नोटिस किन व्यक्तियों को जारी किये जाएं अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनकी प्रतिष्ठा पर जांच द्वारा प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग का समय अब अगस्त, 1972 तक बढ़ा दिया है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

Calling Attention to a Matter of urgent Pnblic Importance

सैगोन में भारत विरोधी प्रदर्शन के समाचार

श्री आर० के० सिन्हा (फैजाबाद) : श्रीमान मैं विदेश मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भारत के अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष होने के विरोध में सैगोन में भारत विरोधी प्रदर्शन के समाचार ।

विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपालसिंह) : हनोई स्थित अपने मिशन का दर्जा बढ़ाकर हमने 7 जनवरी 1972 से, पारस्परिकता के आधार पर, उसे राजदूतावास बना दिया था जिसे लेकर सैगोन में अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियन्त्रण आयोग के मुख्यालय के बाहर और हमारे प्रधान कौंसलावास के बाहर बहुत बार हिंसात्मक प्रदर्शन किये गये हैं ।

2. इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के बाहर दो बार, 11 जनवरी 1972 और 23 फ़रवरी 1972 को प्रदर्शन किया गया था । इस क्रम में सबसे ताजा घटना 24 मार्च 1972 के सबेरे की है जबकि अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग के स्थानीय दक्षिण वियतनामी कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और भारतीय प्रतिनिधिमंडल के भवन की दीवारों पर नारे लिख दिये जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को तत्काल बदलने की मांग की गई थी ।

3. जैसा कि पहले बार-बार बताया जा चुका है, हनोई स्थित अपने मिशन का दर्जा बढ़ाने के भारत के निर्णय का उद्देश्य किसी भी तरह दक्षिण वियतनाम का विरोध करना नहीं था । यह तो स्थिति की वास्तविकता की स्वीकृति थी और हमने अपने प्रभुत्वात्मक अधिकारों का प्रयोग किया था सैगोन-स्थित अंतर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियन्त्रण आयोग एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसे 1954 के जैनेवा सम्मेलन के भागीदार देशों ने स्थापित किया था और अगर कोई एक पक्ष इसके स्वरूप को इकतरफा तरीके से बदलने की अथवा इसके काम को रोकने की कोई कोशिश करता है तो वह पूर्णतः अनुचित होगी ।

4. भारत सरकार अब भी यह आशा करती है कि बुद्धिमानी से काम लिया जायेगा और दक्षिण वियतनाम की सरकार इस बात के लिए कारगर कदम उठायेगी कि इस तरह की घटनायें फिर न हो ।

श्री आर० के० सिन्हा : क्या माननीय मंत्री को पता है कि भारतीय झंडे को जलाया गया था और भारतीयों की दुकानों और सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया गया ? क्या इसके पीछे सरकार अथवा किसी गैर-सरकारी दल का हाथ था ? भारतीय उप-महाद्वीप में अमरीकी साम्राज्यवाद की असफलता के कारण शायद ऐसा किया गया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : हमारे प्रधान कौंसलावास के बाहर हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जलाया गया और हमारी प्रधान मंत्री के बुत को जलाया गया तथा भारत विरोधी नारे लगाये गये ।

इन घटनाओं के तुरन्त पश्चात हमने दक्षिण वियतनाम सरकार के साथ यह विषय उठाया और इन घटनाओं के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की। वहाँ की सरकार ने इन घटनाओं के लिए हमसे क्षमा माँगी और आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं घटने पायेंगी।

यह कहना बहुत कठिन है कि इन प्रदर्शनों के पीछे किन तत्वों का हाथ था। दक्षिण वियतनाम की सरकार ने हमें बताया है कि इनके पीछे उनका हाथ नहीं। उन्होंने इन्हें रोकने के लिये कोशिशें की परन्तु इस कार्य में बहुत अधिक संख्या में लोगों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण उनकी पुलिस इन पर नियन्त्रण न कर सकी।

डा० कर्णी सिंह (बीकानेर) : यह बात निर्विवाद है कि अपने मिशन का दर्जा बढ़ाना हमारे अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों का प्रयोग था। परन्तु कोरिया वियतनाम और जर्मनी जैसे विश्व के अन्य भाग भी हैं जहाँ पर परिस्थितियां अत्यन्त नाजुक हैं। इन स्थानों में भारत जैसे किसी भी देश द्वारा कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व यह सोचना चाहिये कि हमारी ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप कम्यूनिस्ट अथवा गैर-कम्यूनिस्ट गुटों में से कोई भी नाराज न हो। हमारी विदेश नीति इस प्रकार की हो कि कम्यूनिस्ट और गैर-कम्यूनिस्ट दोनों गुटों के साथ हमारी मित्रता बनी रहे।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : भारत सरकार की यह नीति नहीं है, कि उससे कुछ देश शत्रु बन जायें अथवा मित्र देश नाराज़ हो जायें। अपने राष्ट्रीय हितों और समूचे विश्व में अपने संबंधों के हितों को विचार में रख कर ही प्रत्येक निर्णय किया जाता है। इस मामले में हमने यह अनुभव किया कि हमें स्थिति की वास्तविकता को स्वीकार करके कार्यवाही करनी चाहिए। किसी के दबाव में आकर हमने यह कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार के निर्णय लेना अपने प्रभुसत्तात्मक अधिकारों का प्रयोग है। हमने यह अनुभव किया कि उत्तर वियतनाम में एक सरकार थी। इस बारे में किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि उसके साथ हमारे सम्बन्धों में सुधार हुआ था। अतः हमने समझा कि वहां अपने मिशन का दर्जा बढ़ाना उचित होगा।

श्री फतेह सिंह राव गायकवाड़ (बड़ौदा) : इस बात को देखते हुए कि इस प्रकार के भारत-विरोधी प्रदर्शन एक आम बात हो गई है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह प्रदर्शन अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षण एवं नियंत्रण आयोग और भारत के प्रमुख कौंसलावास के विरुद्ध थे अथवा भारतीयों और उनकी सम्पत्ति के विरुद्ध थे ? क्या हमारे कौंसलावास को कोई क्षति हुई ? भारतियों की जान और माल की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या दक्षिण वियतनाम की सरकार ने इस बारे में कोई आश्वासन दिया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पहले जो दो प्रदर्शन हुये उनमें से एक हमारे कौंसलावास के सन्मुख हुआ और दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षक एवं नियंत्रण आयोग के सन्मुख हुआ। इन प्रदर्शनों के दौरान भारतीयों की कुछ दुकानें लूटी गई और उनकी सम्पत्ति आदि को क्षति पहुंची। परन्तु बाद का प्रदर्शन, जो अन्तर्राष्ट्रीय अधीक्षक एवं नियन्त्रण आयोग के समक्ष हुआ, हिंसात्मक नहीं था। आयोग के कुछ स्थानीय कर्मचारियों ने काम बन्द कर दिया। उन्होंने कुछ नारे लगाएं व एक-दो दिन के पश्चात पुनः काम पर आ गये। जैसा कि मैंने पहले बताया है दक्षिण वियतनाम की सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि भारतीयों की जान तथा माल की पूरी सुरक्षा की जायेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालौर) : दक्षिण वियतनाम में जो हिंसात्मक प्रदर्शन हुए हैं उन्हें हम नजरन्दाज नहीं कर सकते। चीनी एवं पाकिस्तानी आक्रमणों के समय भी हमारे दूतावासों के सन्मुख इस प्रकार के प्रदर्शन हुये थे। इस प्रकार की घटनाओं को कोई भी शांति-प्रिय एवं लोकतन्त्री देश सहन नहीं कर सकता।

इन प्रदर्शनों से यह बात स्पष्ट है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार भारत को अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग अध्यक्ष पद पर नहीं पसन्द करती। क्या दक्षिण वियतनाम सरकार ने जेनेवा सम्मेलन के 14 राष्ट्रों के साथ यह प्रश्न उठाया है और यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ? क्या इन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के मुख्यालय को दक्षिण वियतनाम से हटा कर किसी अन्य देश में ले जाने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह ठीक है कि इन प्रदर्शनों का कारण भारत द्वारा उत्तर वियतनाम स्थित अपने मिशन के दर्जे को बढ़ाया जाना था। भारतीयों की सम्पत्ति हमारे राष्ट्रीय ध्वज एवं राजनयिकों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व दक्षिण वियतनाम की सरकार पर है। इस कार्य में वे असफल रहे यह हमने उनको बता दिया है। इस पर उन्होंने इन घटनाओं पर दुःख व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि इस प्रकार की घटनाएं फिर नहीं घटेंगी। यह भी सत्य है कि बाद के प्रदर्शन हिंसात्मक नहीं थे।

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में भारत की स्थिति का सम्बन्ध है सैगोन सरकार ने हमें सूचित किया है कि उत्तर वियतनाम में अपने मिशन का दर्जा बढ़ाने का कार्य करके हमने अपनी निष्पक्षता खो दी है जो कि आयोग के अध्यक्ष के लिये अपेक्षित है। हमारा यह मत हैं कि हमारे इस कार्य से अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में हमारी स्थिति में कोई अन्तर नही आया। आयोग का गठन जेनेवा सम्मेलन द्वारा हुआ था। अतः इसके गठन आदि के बारे में कोई भी निर्णय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ही हो सकता है न कि किसी भी एक देश द्वारा।

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : विदेश मंत्री ने राज्य सभा में बताया था कि भारत विरोधी प्रदर्शनों के बारे में हमारे द्वारा विरोध प्रकट करने पर दक्षिण वियतनाम की सरकार ने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं होंगी। परन्तु दूसरी ओर सैगौन के विदेश मंत्री का वह वक्तव्य है कि सैगोन सरकार अन्तर्राष्ट्रीय आयोग में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेता को सैगोन में प्रवेश नहीं करने देगी तथा वह भारत को आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। सैगोन के एक मन्त्री ने सभी भारतीयों को सैगोन से निकाले जाने की मांग की है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए क्या सरकार ने आयोग के अन्य सदस्य देशों के साथ कोई बातचीत की है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं। सैगौन में भारतीयों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है। इन परिस्थितियों में भारत सरकार जैनेवा समझौते के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार निभायेगी ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैंने यह कहा है कि दक्षिण वियतनाम की सरकार ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं हो पायेंगी। मेरे विचार से इस आश्वासन को उन्होंने निभाया है। चाहे बाद में होने वाले प्रदर्शन अनुचित ही थे, परन्तु वे हिंसात्मक नहीं थे।

जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय आयोग में हमारी स्थिति की बात है, वह पूर्ववत है। हम नहीं समझते कि हमारे द्वारा मिशन का दर्जा बढ़ाने से आयोग में हमारी स्थिति में कोई अन्तर आता है। हम वहां पर निष्पक्ष रूप से कार्य करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे।

हमने आयोग के अन्य सदस्य देशों से विचार विमर्श किया है। सभी का यह एकमत था कि इस समय हमें चुप रह जाना चाहिये और भावनाओं के शाँत होने की प्रतीक्षा करनी चाहिये। बाद में यदि हम यह पायें कि दक्षिण वियतनाम की सरकार हमारे कार्य में रुकावटें डालने वाली परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है तो हम इस विषय को सह-अध्यक्ष के सामने लायें।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

बैंकिंग आयोग का प्रतिवेदन

वित मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंकिंग आयोग के प्रतिवेदन की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखे जाने के कारण स्पष्ट करने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1433/72]

नौसैनिक, औपचारिकता सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण विनिमय तथा प्रादेशिक सेना नियम सम्बन्धी अधिसूचनायें

रक्षा मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रतिः—

(एक) नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (चौथा संशोधन) विनियम, 1971 जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 464 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसैनिक औपचारिकता, सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (पांचवां संशोधन) विनियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 465 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1434/72]

(2) प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) प्रादेशिक सेना (पहला संशोधन) नियम 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० आर० 39 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रादेशिक सेना (दूसरा संशोधन) नियम, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 12 फरवरी 1972 में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 40 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1435/72]

पैराफिन वैक्स आदेश, 1972 की प्रति

विधि तथा न्याय और पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पैराफिन वैक्स (पूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण) आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 4 फरवरी 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 71 (ड.) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1436/72]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सम्बन्धी अधिसूचनायें

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (18वां संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1901 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (पहला संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 30 (ड.) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1437/72]

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 5501, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 22 फरवरी 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1917 के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) एस० ओ० 5502, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें दिनांक 22 फरवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1917 के हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1438/72]

(3) वित्त (संख्या 2) अधिनियम, 1971 की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :

(एक) जी०एस०आर० 11 (ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) जी० एस० ग्रार० 12 (ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 77 (ड.), जो भारत के राजपत्र दिनांक 15 फरवरी 1972 में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1439/72]

(4) सरकारी बचत पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत पत्र (चौथा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 46 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1440/72]

(5) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) डाक-घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1971, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 47 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) डाक-घर बचत बैंक (संशोधन) नियम' 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 23 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 89(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) डाक-घर बचत बैंक (तीसरा संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 241 में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये, संख्या एल० टी० 1441/72]

(6) पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उप धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० ओ० 26(ड.) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 19 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 5181 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1442/72]

(7) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1971 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की परिसम्पत्तियों और देनदारियों का तथा लाभ और हानि के लेखे का एक विवरण। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1443/72]

(४) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1911, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी० एस० आर० 1959, भारत के राजपत्र, दिनांक 24 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1966, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० आर० 1969, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 31 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 3(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 4(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) जी० एस० आर० 7(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) जी० एस० आर० 13(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) जी० एस० आर० 17(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) जी० एस० आर० 21(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 31(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) जी० एस० आर० 57(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सामान (संशोधन) नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 61(ड.) में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) जी० एस० आर० 63(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 64(इ.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) जी० एस० आर० 67(इ.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) जी० एस० आर० 78, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें वित्त मंत्रालय की दिनांक 13 नवम्बर, 1971 की अधिसूचना संख्या 93—सीमा-शुल्क का शुद्धि-पत्र दिया गया है और एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 79 से 80, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) स्पिरिट विकृतीकरण, नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 81 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) जी० एस० आर० 82, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) जी० एस० ग्रार० 128, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 29 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) जी० एस० आर० 167, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1444/72]

(9) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर०, 1865, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) जी एस० आर०, 1867, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 10 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) जी० एस० आर० 1886, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 15 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) जी० एस० ग्रार० 1952, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) जी० एस० आर० 1953, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 25 दिसम्बर, 1971 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) जी० एस० आर० 2(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) जी० एस० आर० 9(ड.) और 10(ड), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 3 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) जी० एस० आर० 15(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) जी० एस० आर०, 25(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) जी० एस० आर० 33(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 19 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 56(ड.), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) जी० एस० आर० 62, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) जी० एस० आर० 63, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 1 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) जी० एस० आर० 120, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुये थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 121, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1445/72]

(10) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर स्टाम्प अधिनियम 1957 की धारा 9 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत मैसूर सरकार की निम्नलिखिति अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 19[illegible]0, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 25 नवम्बर, 1971 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) एस० ओ० 123, जो मैसूर राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुआ था । [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1446/72]

(11) मैसूर राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मैसूर विक्रय-कर अधिनियम, 1957 की धारा 29 के अन्तर्गत मैसूर सरकार की दिनांक 1 अक्तूबर, 1971 की अधिसूचना संख्या एस०

ओ० 1763 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1447/72]

(12) गुजरात राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 13 मई, 1971 की उदघोषणा के खंड (ग) चार के साथ पठित गुजरात विक्रय कर अधिनियम, 1969 की धारा 86 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत गुजरात विक्रय कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो गुजरात सरकार राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या (जी० एच० एन० 85)—जी० एस० आर०—1071/(5)-टी० एच० में प्रकाशित हुये थे। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1448/72]

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 5 फरवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 159 में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी सभा पटल पर रखती हूँ। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1449/72]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

Committee on Public Undertakings

नौवा प्रतिवेदन

श्री एम० बी राणा (भड़ौच) : मैं सरकारी उपक्रमों में उत्पादन व्यवस्था के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 67वें प्रतिवेदन (चौथी लोक सभा) में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का नौवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

कराधान विधियाँ (संशोधन) विधेयक

Taxation laws (Amendment) Bill

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961, धन कर अधिनियम, 1957 और दान कर अधिनियम, 1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को 10 मई, 1972 तक और बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आयकर अधिनियम, 1961 धन कर अधिनियम, 1957 और दानकर अधिनियम,

1958 का और संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय को 10 मई, 1972 तक और बढ़ानी है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति

Committee on the conduct of a member during President's address

प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि में वृद्धि

श्री आर० डी० भण्डारे (बम्बई मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संसद् सदस्यों के समक्ष सदस्यों के मार्ग दर्शन के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण के अवसर पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, ये एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को 15 अप्रैल, 1972 तक और बढ़ाती है"

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मै समय बढ़ाये जाने के इस प्रस्ताव के विरुद्ध नहीं हूं परन्तु में केवल इतना चाहता हूँ कि जब तक समिति अपना प्रतिवेदन नहीं देती तब तक राष्ट्रपति का अभिभषण नहीं होना चाहिए।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) :इसमें कुछ नाजुक संवैधानिक प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि समय 15 अप्रैल 1972 तक बढ़ा दिया जाये। मुझे आशा है कि समिति पिछले तथा हाल के दोनों अभिभाषणों पर विचार करेगी प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा संसद सदस्यों के समक्ष सदस्यों के मार्ग दर्शन के लिए राष्ट्रपति के अभिभषण के दौरान, एक सदस्य के आचरण सम्बन्धी समिति का, प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि को 15 अप्रैल 1972 तक और बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

रेलवे बजट 1972—73—सामान्य चर्चा

Railway Budget 1972-73—General Discussion

अध्यक्ष महोदय : अब रेलवे बजट पर चर्चा होगी।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The hon. Railway Minister has made an unsuccessful attempt to paint a rosy picture of Indian Railways and its administration. All the people in the country are in darkness about the actual investment in the Railways. The

hon. Railway Minister has not cared to tell the people anything about it in his speech. There is over capitilisation in the Railways which has risen to 3330.78 crores in the 1970-71. You cannot find any such thing in the railways.

The Railways Convention Committee in its early years recommended 2.5 per cent rate of dividends which has now risen to 6 per cent this year. The Government is getting loan at one per cent. The Government is taking dividend even for the compensation money. All this puts pressure on the public because to meet this the Railways are increasing the fares every year. The Government is converting the Railways into a source of earning.

It is all due to the Railway Board that the railways are not functioning properly. The Railway is in a habit to put the blame on other for its own misdeeds.

So far as the work load of employees is concerned, I may say that 1970-71 about 2833 persons were working on per gross ten kilometer where as in 1950-51 their number was 3144 In this way we can see that although the production has not decreased the number of workers has gone down. In other places the transport workers are getting bonus but in railways there is no such thing. It has been shown in the report of 1970-71 that previously the railways were transporting 27 4 million tonnes but now they ,are carrying the reduced tonnage. They have put the blame on the law and order situation of Bengal. In fact they are hiding their short-comings by saying that law and order situation in Bengal is not good.

So far as the question of Martin Railway is concerned it is said that the employees will be absorbed. But uptil now the Government has not adopted any clear cut policy about it.

We may be told as to which of the recommendations of the Accidents Committee have been accepted. The hon. Minister has also said that no promotion will be made on seniority-cum-merit. It means a person who will not appease his officer will not be promoted because he will not earn any merits. Such a policy should not be adopted. Seniority should be given due consideration.

It is also clear from the report that about 3580 persons have been shot dead and another 1747 persons have been injured as they were induling in thefts. This is the achievement of the Railways. I want to know as to what action has been taken against the big theifs involving bundles and tonnes of wire and other things. Top heavy admisitration is responsible for such things.

I want to request the hon. Minister not to keep the people in dark. A clear picture of all these things should be brought before the people.

Shri Nath Ram Dhirwar (Tikam garh) : I rise to support the budget presented by the hon. Minister. For the first time in five years a surplus budget has been presented. He deserves congratulations for this.

Ticketless travelling has also gone down. I congratulate the hon. Minister for the vigilance which he has exercised for the purpose.

I thank all those workers who lend a helping hand during the war with Pakistan.

Special compensation should be paid to the families of the Jawans of Territorial Army who have laid their lives during the war. Free education should be imparted to their children.

New railway lines are being laid down in South and Maharashtra New railway lines should also be laid down in the eastern part of the country. There is no railway line in Bastar district which is as big as the Orissa state. The people have to travel by bullock-carts whenever they have to go anywhere out of their homes. Madhya Pradesh is the most backward state in this respect. This State should not be neglected. Sangarauni-Katui railway line should be completed at an early date. New railway lines should also be laid in the Bundelkhand areas. I would also request the hon. Minister that Chhatarpur should be linked by rail with Banda-via-Khajuraho. This area is rich in timber. From the economic point of view this line will prove useful. We have also been demanding since long that an express train should be introduced between Jhansi and Banaras. If you cannot introduce an express train, I would request you to route the Assam Mail via Agra, Gwalior and Jhansi. This will also provide the direct rail route to the people of this area.

A shed should be constructed at the Niwadi Railway Station to protect the fertilisers and grains from rains.

Corruption is prevailing among the high officials of the railways. They do hot effect any promotion and transfer without taking bribe.

Casual labours are not allowed to remain in service for more than six months. For appointment each labourer has to pay rupees thirty. I have seen at Jhansi that the services of the labourer who has put in about eight months service been terminated. Bribe is taken for re-appointing such labourers. Such things should be stopped.

Injustice is being done to the workers regularly to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so far as the question of promotion is concerned. Some machinery should be evolved whereby the big officers will not be able to harass the junior officers.

With these words, I support the budget.

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur) : A sum of Rs. 652 has been provided for the conversion of railway lines. I suggest that priority should be given to the construction of new railway lines in the backward areas such as Hazaribagh in Bihar.

So far as the non-availability of wagons to the Steel and Mines Ministry is concerned, I suggest that the thousands of wagons lying at Ondel for repairs should be got repaired at an early date and supplied to the said Ministry.

I also demand that the scheme pertaining to the road over-bridge at Tatanagar should be implemented as soon as possible. In view of the difficulties faced by the passengers of Patna and Tatanagar due to the only Express Train during a period of 24 hours, I suggest that another train should be introduced on this line. It is also desirable to attach more bogies with the train because of the increased traffic from Tatanagar to Delhi.

The level of all the low level platforms throughout the caountry should be raised in order to facilitate the passengers especially children and ladies.

Security arrangements in railway are very poor. What is the use of maintaining G. R. P. and R. P. F. services when Railways have to pay heavy amounts as compensation ? Condition of first class compartments is also very poor. Govt. should do something in this regard.

It has been observed that the quality of food supplied by the private caterers is not good. I, therefore, suggest that Government should introduce departmental catering in the Railways.

Underground Railway scheme should be formulated earlier in Calcutta.

(इसके पश्चात् लोक सभा मद्धांन्ह भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर छ. मिनट म० प० पर
पुनः समवेत हुई)

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past fourteen of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Dy. Speaker *in the Chair*]

Shri Swnrn Singh Sokhi : The replies of the letters of the Members of Parliament are generally given by the Railway authorities in vague manner. Regardtng the increasing cases of thefts, the General Manager of the various zones should be held responsible so that the entire machinery could be changed.

Carriages for the smoking and non-smoking passengers should be separate on the pattern of Railways run in the European Countries. Martin Light Railway should not be taken over but its employees should be absorbed somewhere else. Dining Cars proposed to be run by the contractors should be maintained by the department. Retired railway employees getting Rs. 40/- only as pension should be allowed to avail medical facilities. The ad-hoc pension should be increased in commensurate with increase in prices.

May I know from the hon. Minister the total acreage of land in the possession of Railways and the reason for which it has been left un-utilised ?

Compartments of all classes are dirty and their maintenance is very poor. It should also be ensured that the passenger trains are stopped at small stations like Kotala, Kurkua etc. The chain pulling system should be made ineffective in the areas where people use it un-necessarily.

Action should also be taken against the employees who do not maintain discipline and do not care of the orders of the Station Masters.

It has been observed that the employees completing 20 years of their service in Traffic Department could not get any promotion. Government should look into this matter.

Regular meetings of the Zonal and Consultative Committee should be held. Strong action should be taken against the corrupt officers. The whole property of such officers as found guilty should be confiscated. With these words, I support the budget.

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमंड हार्बर) : आप यह क्यों चाहते हैं कि मार्टिन लाइट रेलवे को अधिकार में नहीं लिया जाए ? क्या मन्त्री महोदय ने आपको ऐसा करने को कहा था ?

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्योंकि इसमें सिवाय कुछ टूटी-फूटी बोगियों के कौर कुछ नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस रेलवे लाइन से लगभग 40,000 व्यक्ति रोज भागा करते हैं तथा वे बस का किराया नहीं दे सकते। क्या इस स्थिति में आपका यह कहना उचित है ?

श्री स्वर्ण सिंह सोखी : मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मुझे किसी ने कुछ कहने को नहीं कहा। मैंने पिछली बार भी इसी विषय पर भाषण दिया था।

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur) : In the present Railway budget there is no change in the policies of the Government except the policy of increasing the fares of third class passengers. They have not increased the third class railway fare. Regarding the construction of new railway lines, priority has not been given to the back-ward areas. Ratio between population and per kilometer railway line in the whole country is one lakh : 7 but in Orissa it is one lakh : 5 only. Several memoranda have been given to the Central Government in this connection but no steps have been taken as yet.

It is a metter of great concern for thousands of passengers that Shahdara—Saharapur railway line has been abolished. The Government of Uttar Pradesh have agreed to bear the expenses of this railway line provided Central Government are prepared to take over it. Central Government have also turned down the request made by a private company for the loan of Rs. 30 lakhs. The attached people of Uttar Pradesh have already shown their resentment. I would like to warn the Government that if this railway line is not taken over by the Government they would have to face a serious agitation.

In view of the emphasis laid by Govt. on the socialism they should have made special provisions for procuring more and more bogies for the poor persons travelling in third class compartments. Every-body know that due to the inadequate number of such bogies, so many passenger have to sit on the roofs of the bogies. I, therefore, suggest that Government should give priority to manufacture more bogies for III class passengers and not the air-conditioned coaches.

Employees in North-Eastern Railways helped in apprehending the anti-social elements but the poor employees were transferred to other places.

General Secretary of All India Trade Union Congress submitted a plan suggesting certain measures to remove corruption from Railways. But I am sorry to say that Railway Board did not approve it. It has also been observed that in the name of the leadership of Trade Unions, certain sycophants take undue advantag with connivance of high officers. Cases of theft involving lakhs of rupees take place every year at Mughalsarai but no effective measures are taken to curb them.

Recognisition is given to such unions as having corrupt employees. Shri B.D. Gaud, General Manager, Gorakhpur, is well known to all the persons for his mal-practices but no action has been taken against him. It was also brought to the notice of the Government that large scale theft is committed from the melting factory at Lucknow but Government did not pay any heed towards it.

It is strange that a heavy sum of Rs. 22 lakhs has been incurred on decorating the bungalows of four officers in Lucknow while no arrangements of light and latrines have been made in the quarters for the low paid employees. It is annoying that high officers of Railway have been provided more facilities and upper status than the Vice-President of India and the Ministers.

So far as the goods transport is cencerned there is no security of goods in the Railways. If you book mangoes, you will find stones at the time of delivery.

Tributes were paid to the Railway employees for their enthusiastic perfomance during the last war. But it is a matter of concern that the Goverument have not fulfilled the genuine demand of the workers of Garbara-Barauni regarding the payment of Projeet Allowance.

There is no broad gauge Railway line in Eastern Uttar Pradesh. Several representations and Memoranda have been submitted to the Government requesting for the construction of a bridge on Ganga at Ghazipur and connecting the metre gauge line with the broad gauge one thereby beveloping the region. But no action has so far been taken in this regard by the Govarnment.

Corrutpion is also prevalent in coal field areas. Wagons are kept standing for the hours together and demurrage is charged against it. The maintenance of the train is so poor that while travelling by Upper India Express you will not find a drop of water in the taps from Sealdah to Delhi. No arrangements of light and water are provided in the trains,

The facility of P. T. O. granted to the employees of Railways has been withdrawn. It is injustice done to the poor employees. It is quite strange that the corrupt officers have employed many persons to break open the goods wagons. There is large scale corruption in the entire Railways.

Trains do not run in time and if we ask the reasons, we are told that Unions are responsible for the late running of trains. Then there is great disparity in the officers and the staff. What sort of socialism is it where all facilities are provided to the high-ups but the poor people are without a house, light and other amenities ? I have learnt that the services of 52 persons have been terminated in Gorakhpur on the ground that the work has been finished. This is not socialism. In case Government wants to improve the situation, something should be done to put an end to corrution and pilferage. There willl be no need of increasing freight charges if pilferage is stopped and corruption is rooted out. Safe delivery of the goods booked should be ensured otherwise no one would book his goods with the Railways.

The Railway Board should be abolished and money thus saved should be utilized for some more useful purpose. The officers treat their subordinates shabbily. I would like to say that firm steps should be taken to root out such practices. The bureacracy should not be encouraged. The Government should provide necessary amenities to the staff to ensure smooth working of railways.

Shahdara-Saharanpur line should be restored and Garara-Barauni line of Martin should not be abolished otheriwise many problems would arise. The grievances of railway employees should be removed. With these words, I hope that the hon. Mintster would pay attention to the suggestions given by me.

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : इस बजट का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि कि जब तक आन्दोलन नहीं किया जाता तब तक उचित शिकायतों को भी दूर करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की जाती । हम रेलवे मंत्री से कई बार आग्रह कर चुके हैं कि रंगिया में जोनल मुख्यालय स्थापित किया जाय । परन्तु बजट में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । हमने रेल मंत्री से इस बात का भी अनुरोध किया था कि आसाम मेल में अधिक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । पहले यह गाड़ी आसाम से गौहाटी तक जाती थी परन्तु अब हम चाहते हैं कि इसे बरास्ता फरक्का बांध चलाया जाये । फिर जोगीगोया से गौहाटी जाने वाली बड़ी लाइन को बरास्ता गोलपारा बनाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है । इस बजट में भी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अन्य राज्यों की तुलना में आसाम के रेलवे स्टेशनों पर बहुत कम सुविधाएं हैं । गोसाइगांव व्यापार का केन्द्र है, परन्तु आसाम मेल और कामरूप मेल वहां नहीं रुकतीं । हमने पूर्वोत्तर जोन के महाप्रबन्धक को भी पत्र लिखा था परन्तु इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मैं रेल मंत्री के माध्यम से रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष से अनुरोध करता हूँ कि वह इस क्षेत्र का स्वयं दौरा करें और यहां की स्थिति देखें ।

हमने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि कोकराझार स्टेशन का दर्जा बढ़ाया जाना चाहिए, परन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

नेफा के लोग चाहते हैं कि रेलवे लाइन को कोकोकसेला तक बढ़ाया जाय ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक वहां आन्दोलन नहीं होगा तब तक उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

प्रधान मंत्री ने हाल ही में बोंगाइगांव में दूसरे तेल शोधक कारखाने का शिलान्यास किया है । वहां के अधिकारियों का कहना है कि वहां यातायात में बाधा है और उन्हें कच्चा माल तथा तेल शोधक कारखाने के लिए अन्य सामान समय पर मिलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है । मुझे आशा है कि रेल मंत्री इस पहलू पर भी विचार करेंगे ।

श्री था किरुत्तिनन (शिवगंज) । रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए । विदेशों में रेलवे को सरकार से राजसहायता मिलती है परन्तु भारत में रेलवे को सामान्य राजस्व में लाभांश देना पड़ता है और सामान्य राजस्व से प्राप्त ऋणों पर ब्याज भी देना पड़ता है । लेखों के हेरफेर और जानबूझकर गलत जोड़ लगाकर 16.50 करोड़ रुपये का अन्तर बताया गया है । इस अन्तर को पूरा करने के लिए किरायों और माल भाड़े की दरों में वृद्धि की गई है ।

मंत्री महोदय तीसरे दर्जे के यात्रियों का किराया न बढ़ाने का श्रेय लेने का दावा कर सकते हैं, परन्तु बंगलादेश शरणार्थी सहायता के नाम पर उनके किरायों में 5 प्रतिशत की वृद्धि पहले ही की जा चुकी है । गरीब और मध्य दर्जे के लोगों पर करों का बोझ पहले ही बहुत अधिक है । इस लिये यात्री किरायों में और माल भाड़े की दरों में वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है । रेलगाड़ियां बहुत गन्दी होती हैं और वे समय पर नहीं चलती हैं; दूसरे, किराये बहुत अधिक हैं; तीसरे आरक्षण में बहुत अधिक गड़बड़ी होती हैं, चौथे, रेलगाड़ियां अधिक समय के बाद चलती हैं और पांचवें, रेलवे स्टेशन गन्तव्य स्थानों से काफी दूरी पर हैं । तमिलनाडु और दक्षिण में अन्य स्थानों पर भी बस और ट्रक सेवा में जितना लचीलापन है उतनी रेलगाड़ियों से आशा नहीं की जा सकती । सामान लाने ले जाने के सम्बन्ध में भी यही स्थिति है । जनता को इस बात की शिकायत है कि उनका माल जिन डिब्बों में भेजा जाता है वे साफ नहीं होते और उनकी वस्तुएं खराब हो जाती हैं । कुछ लोगों की यह भी शिकायत है कि माल लाने ले जाने के लिए माल डिब्बों की भी कमी है और इस कारण निर्यात किये जाने वाले माल के सम्बन्ध में भी लोगों को हानि उठानी पड़ी है ।

दावों का निपटारा शीघ्र नहीं किया जाता । ऐसे बहुत से उपबन्ध हैं जिनका आश्रय लेकर रेलवे प्रशासन दावे अस्वीकृत कर देता है । यदि भाड़ा बढ़ाया गया तो लोग ट्रकों के माध्यम से माल भेजना आरम्भ कर देंगे । ऊंचे दर्जे के किराये बढ़ाने से जो पहले से ही काफी अधिक हैं, लोग विमान अथवा टैक्सी से यात्रा करने लगेंगे । फिर, माल भाड़े में वृद्धि करने से मूल्यों में वृद्धि हो जायेगी । दक्षता से कार्य करने से रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता है । आवश्यकता इस बात की है कि यात्री किराये और माल-भाड़े में वृद्धि करने की अपेक्षा माल डिब्बों की सप्लाई में सुधार किया जाय ताकि रेलवे को अधिक राजस्व प्राप्त हो सके ।

प्रगतिशील देशों में वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए यात्री किराये और माल-भाड़े में वृद्धि नहीं की जाती है । वहां ऐसा कुछ करने से पूर्व जन-साधारण की राय जान ली जाती है कि

वे क्या चाहते हैं, परन्तु भारत में मंत्री महोदय प्रति वर्ष नये यात्री किराये और माल भाड़े के प्रस्ताव सभा के समक्ष रख देते हैं।

मेरी जानकारी के अनुसार भारतीय रेलें अपर्याप्त कर्मचारी और सामन होते हुये भी चल रही हैं। तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रिक्त पदों को वर्षों तक नहीं भरा जाता है जबकि प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। इससे कर्मचारियों में असंतोष की भावना पनपती है। कई मामलों में वर्कशाप में कल-पुर्जे उपलब्ध नहीं होते है और खराब इंजनों तथा डिब्बों को चलाया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारीगण की शिकायतों को सुनकर उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

मंत्री महोदय ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में कर्मचारियों की कर्तव्य-परायणता की प्रशंसा की है परन्तु रेल कर्मचारियों को राहत देने के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिये।

रेलवे चूंकि एक उद्योग है अत: इस पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू किया जाना चाहिए। इस विभाग में सेवा की सैकड़ों श्रेणियाँ हैं जिनके वेतनमानों की जाँच के लिये अलग मजूरी बोर्ड गठित होना चाहिये।

रेलवे विभाग में बोनस अधिनियम भी लागू किया जाना चाहिये ताकि कर्मचारियों को बोनस मिल सके।

रेलवे कर्मचारियों को परिवार पेंशन योजना फायदा उठाने का अवसर दिया जाना चाहिये।

जिन रेलवे कर्मचारियों को स्वास्थ्य के कारणों से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में लगा दिया गया था और वैकल्पिक पद दिये गये थे उनके द्वारा पहले जो वेतन लिया जाता था उसके सम्बन्ध में कोई सांविधिक संरक्षण दिया जाना चाहिये।

रेलवे प्रशासन को चाहिये कि वे अपने कर्मचारियों को एक वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर स्थायी बना दे।

रेलवे की आर्थिक स्थिति सुधारने और ग्राहक बनाने के लिये मैं निम्नलिखित सुझाव देता हूँ:-

दक्षिण रेलवे में बहुत सी सीधी गाड़ियों में शयनयानों के अतिरिक्त दूसरे डिब्बों में टी० टी० ई० नहीं चलते हैं। जितने टी० टी० ई० कार्य कर रहे हैं उन्हें बहुधा उपनगरीय गाड़ियों में 'ग्रुप चेक्स' करने के लिये लगा दिया जाता है। इन चल-टिकट परीक्षकों को लम्बी गाड़ियों में लगाया जाना चाहिये ताकि वे यात्रियों के टिकटों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में बदलने और गन्तव्य स्थान से और आगे की दूरी का टिकट बना कर देने में सहायक हो सकें।

इन चल-टिकट परीक्षकों के लम्बी गाड़ियों में लगाये जाने से अन्य टिकट कलेक्टरों को पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।

रेलवे के वर्कशापों आदि में चोरियां बहुत होती हैं जिससे रेलवे प्रशासन को काफी कठिनाई होती है। समझ में नहीं आता कि रेलवे के पास सुरक्षा दल और पुलिस के होते हुये भी ये चोरियां

समाप्त अथवा कम क्यों नहीं की जाती हैं। बाहर के लोग यार्डों, वर्कशापों आदि में आ जाते हैं। उनके प्रवेश पर पाबन्दी लगा दी जानी चाहिये। इस कार्य के लिए वास्तविक कर्मचारियों को 'फोटो आइडेन्टिटी ब्रेस्ट बैजेज' जारी किये जाने चाहियें।

चोरी के उत्तरदायित्व रेलवे सुरक्षा दल के प्रभारी अधिकारियों पर डाला जाना चाहिये और उनके साथ कठोरता का बरताव किया जाना चाहिए।

यात्री यातायात बढ़ाने के लिए कुछ गाड़ियों की संख्या तथा गति में वृद्धि की जानी चाहिए कम से कम जी० टी० एक्सप्रेस की गति अवश्य बढ़ाई जानी चाहिये। सामान की खरीद पर बहुत अधिक राशि व्यय की जाती है परन्तु बहुधा सामान घटिया किस्म का आता है। सरकार को यह देखना चाहिए कि रेलवे के आदेशों के अनुसार सप्लाई की जाती है। अथवा नहीं। ऐसा न करने पर उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए।

रेलवे के बहुत से कर्मचारी ए० आई० आर० एफ० और एन० एफ० आई० आर० जैसे जोनल मान्यता प्राप्त मजदूर संघों में चन्दा नहीं देते हैं फिर भी इन मजदूर संघों के पक्षपात पूर्ण निर्णय उन कर्मचारियों पर थोप दिए जाते हैं। अतः महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय देते समय इन थोड़े से अमान्यता प्राप्त मजदूर संघों की बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

लक्षित कार्यों की क्रियान्विति के लिए कार्य-स्थलों और रेलवे के वर्कशापों में सामान तेजी से पहुंचाने के लिए आधुनिक साधन काम में लाने चाहियें।

कन्याकुमारी से हिमालय तक विद्यमान मीटर गेज लाईन को बड़ी लाईन में बदलने का प्रस्ताव सराहनीय है।

भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि मंत्री महोदय ने तमिलनाडु में चौथी योजना में कुछ मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के बारे में वर्षों से की जा रही माँग पर विचार करने की घोषणा की है, परन्तु मुझे अब भी सन्देह है कि इस घोषणा को क्रियान्वित किया जायेगा।

मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया कि कार्य किस वर्ष तक आरंभ हो जायेगा। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को घोषणा करनी चाहिए।

दक्षिण रेलवे के मद्रास-अरकोणम सेक्शन पर विद्युतीकरण के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

मद्रास-विजयवाड़ा सेक्शन पर विद्युतीकरण करने की लागत 31 करोड़ रुपये है जिसमें से वर्ष 1972-73 के लिये केवल 45 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इस कार्य को शीघ्र किया जाना चाहिए।

रेलवे प्रशासन ने गोल्डन राक वर्कशाप और रेलवे के अन्य वर्कशापों में माल-डिब्बों का निर्माण यह कह कर बन्द कर दिया है कि माल-डिब्बों की माँग पूरी कर दी गई है और इस देश में और माँग नहीं होगी। मैंने इस बात का रेलवे सलाहकार समिति में विरोध किया था।

मैं कहना चाहूँगा कि माल-डिब्बों का निर्माण केवल रेलवे वर्कशापों में ही किया जाना

चाहिए, न कि अन्य गैर-सरकारी कम्पनियों में ।

वाराणसी में डीजल लोकोमोटिक वर्क्स में शिथिलता आ गयी है । इस कारखाने में ट्रैक्शन गियर प्लांट क्यों नहीं जोड़ दिया जाता 'व्हील्स' और 'एक्सल' संयंत्र को किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा ? धन्यवाद !

Shri Shri Krishan Modi (Sikar) : The shuttle train service from Reengus to Rewari has been withdrawn. Rewari and Nizampur come with Haryana. Transport facilities are available to the travelling public at other places but no bus is plied from Reengus to Nizampur. On this route, two trains are being run but their timing are odd. Therefore, in order to remove the public inconvience, a shuttle train should be introduced from Reengus to Nizampur.

Secondly, when the train service was introduced on Fatehpur-Churu section in 1957, double fare and freight was proposed to be charged. In 1968, this fare was reduced from double to one and half. It is caused great resentment in the travelling public there. If this section is going in loss, its loss should not be more than Rs 50 thousand, which is not a huge amount. Therefore, with a view to giving relief to the public, the fare should be reduced.

Banswara is a backward District in Rajasthan and it is not having any railway-station. A certain copper mine is developing between Palanpur and Ambaji. Banswara is about 30 miles from that site. If Banswara is connected with that railway line, it will be directly connected with Kandla and, in that case, Kandla will be in a position to export minerals in huge quantity.

During last session, I had requested for making arrangements for the loading of soap-stone. Thanks to the Government that very good arrangements have been made for loading soap-stone at Udaipur, whereby small industries are springing up.

I would also like to say that the stone industry at Bhilwara, Jodhpur and Kota is suffering due to loading problems.

The trains between Ahmedabad and Delhi are too much congested. These are also difficulties of platforms on 3 or 4 stations. The diesel engine should be introduced to check the congestion.

The Railways should also encourage the small scale industries by booking their goods on priority basis as is being done in the case of large scale industries. I would like to request that the S.S. Railway should run again.

Shri Fhool Chand Verma (Ujjain) : Shri Hanumanthaiya is being congratulated for removing the deficit in railway budget but in fact the deficit has not been removed. There is some specific reason for which 3rd class fare has not been increased. It was not increased due to the fear of condemnation by the people who returned ruling party to power believing the slogan of 'Garibi Hatao' and socialism.

What facilities have been provided to the 3rd class passengers who find themselves confined in the boggies like sheep and goat ? There is no security against anti-social elements in the 3rd class compartments. An income of Rs. 278.94 crores was derived from 3rd class as compared to Rs. 37.06 crores from the higher classes during the year 1971-72. Maximum number of Janta Express trains should be run and diesel engine should be introduced for the convenience of these 3rd class passengers who given maximum returns to the Government.

You have raised the freight charges by 5 per cent which should be withdrawn. Similarly 5 per cent increase in the 3rd class passenger fare should also be withdrawn since the Bangla Desh refugees have returned to their native land.

The fares in the trains in tribal areas like khandwa, Hingoli, Udaipur, Himatnagar and Fatehpur is 1-1/2 time more than other tribal areas of the country where trains are running in deficit. Special attention needs to be paid towards this discriminatory treatment in fares from one place to another.

I suggest that a direct train should be run from Delhi to Bangalore and between Delhi and Bombay train Should run through Bhopal by converting it into a Janta Express train. Indore-Ratlam train runs very slowly which should be coverted into fast running train for the benefit of the passengers. The narrow gauge line between Ujjain and Agra should also be converted into meter gauge line, as requested earlier. In addition, a meter gauge line should be laid from Khandwa to Dahod which is a tribal area. Broad gauge line should be spread over through out the country.

People in our country prefer to transport their goods by truck instead of trains. This point should be examined thoroughly so that there is no loss of revenue to the railways.

Corruption is rampant in the booking of wagons for transporting the goods. Corruption is there in railways from top to bottom. Such matter needs thorough investigation I hope that the Hon. Minister will consider my suggestions for the benefit of the passengers.

श्री धामनकर (भिवंडी) : मैं रेल मंत्री द्वारा पेश किये गये बजट का स्वागत करता हूं। इन्होंने तीसरे दर्जे का किराया न बढ़ाकर सचमुच सराहनीय कार्य किया है, लेकिन सीजन टिकट होल्डरों की ओर इनका ध्यान क्यों नहीं गया, मेरी समझ में यह नहीं आया मंत्री महोदय ने सीजन टिकट होल्डरों के किराये बढ़ा दिये हैं।

अध्यक्ष मदोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

पंजाब के सम्बन्ध में उद्घोषणा का रद्द किया जाना

Revocation of Proclaimation in relation to Punjab

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : मैं संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (2 के अधीन जारी की गई, दिनाँक 17 मार्च, 1972 की उद्घोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनाँक 17 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 102 (ङ.) में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 15 जून, 1971 को जारी की गई उद्घोषणा को रद्द किया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1450/72]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Members Bills and Resolutions

नौवां प्रतिवेदन

श्री अमरनाथ विद्यालंकार (चंडीगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 15 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के नौवें प्रतिवेदन से, जो 15 मार्च, 1972 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 63क का अन्तःस्थापन और अनुच्छेद 64 आदि का लोप

डा० महिपतराय मेहता (कच्छ) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

डा० महिपतराय मेहता : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ :

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा का केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक है। हम इस विधेयक को पुरःस्थापित न कर सकेंगे क्योंकि अनुच्छेद 117(1), 117(3) और 274(1) के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिशें लोक सभा को प्रेषित नहीं की गयीं।

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विधेयक

Chartered Accountants (Amendment) Bill

(धारा 2,5 आदि का संशोधन)

श्री आर० पी० उलगनम्बी (वेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री आर० पी० उलगनम्बी : मैं विधेयक पुर.स्थापित करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विधेयक श्री लकप्पा का है। यह विधेयक भी पुरःस्थापित नहीं हो सकता।

फैक्टरी (संशोधन) विधेयक

Factories (Amendment) Bill

नयी धारा 9क का अन्तःस्थापन

श्री एस० सी० सामन्त (तामलुक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि फैक्टरी अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

चलचित्र उद्योग कर्मकार विधेयक

Film Industry workers Bill

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि चलचित्र उद्योग में कर्मकारों की मजदूरी के नियतन के लिए तथा उनके कार्य की दशा में सुधार के लिये व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चलचित्र उद्योग में कर्मकारों की मजदूरी के नियतन के लिए तथा उनके कार्य की दशा में सुधार के लिए व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक

Indian Post-office (Amendment) Bill

धारा 68 और 69 का संशोधन

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारतीय डाक-घर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय डाक-घर अधिनियम, 1898 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

श्री एस० सी० सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 59,66 आदि का संशोधन

श्री एस० सी० सामन्त : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करके की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्री एस० सी सामन्त : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक

Indian Penal Code (Amendment) Bill

धारा 153 क का प्रतिस्थापन

श्रीमती सुभद्रा जोशी (चाँदनी चौक) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दण्ड संहिता का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was Adopted

श्रीमती सुभद्रा जोशी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूँ ।

स्वतंत्रता सेनानी (सेवाओं की सराहना) विधेयक

Freedom Fighters (Appreciation of Services) Bill

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री शिब्बनलाल सक्सेना के विधेयक पर आगे विचार करेंगे ।

Shri M. C. Daga (Pali) : Today, twenty-five years after Independence, in response to long standing demand of all the Parties that the freedom fighters should be adequately honoured. Government have brought forward a scheme whereby the freedom fighters who had suffered imprisonment in jail for six months shall be entitled to pension w. e. f. 15th August 1972. This would mean that those who underwent such imprisonment for even a day less than six months shall be denied such pension.

Secondly, the use of the word 'Pension' for them is highly objectionable. It should be termed 'Honorarium' instead. Moreover, those patriots who lost their limbs, gave up their studies or jobs in order to join the freedom struggle, but what has been done for them.

It is disgraceful to grant only Rs. 100/-to the family of a martyr. How could a family of even 3-4 Members make both ends meet with this meagre amunt these days.

Members wanted Shri Saxena's bill to be referred to a Select Committee but this was not done due to some legal difficulty. Then, we requested the Government to bring a legislation of their own but this was also not done.

The amendment of Shri Saxena seek to make the definition of 'Freedom Fighter' more comprehensive and that should be accepted.

In the end, I would urge upon the Government to bring a comprehensive Bill and the word 'Pension' be replaced by the word 'Honorarium'.

Shri Ram Chandra Vikal (Baghpat) : Sir, I support this Bill. I am grateful to shri saxena for reminding us of freedom fighters. Whatever little is already being done for them is so paltry that it appears more as alms rather than assistance. This attitude ought to change and we should learn to honour them. As in the past, oppontunists who were respossible for the apprehension and execution of our freedom fighters are holding respectable positions both at the Centre and in the States and they claim to have attained this respect and prestige from the Britishers as well as from the Government of India due to their exceptional ability.

Today we are free only because of the sacrifices of these freedom fighters. We have not been able to publish the life story of these fighters. As montioned by shri Daga, the condition of six months imprisonment should not be necessary to make them eligible for this pension. There are innumerable persons in the I. N. A. who went underground and who worked for the attainment of freedom. Such fighters should not be denied this pension.

I would live that the families of those fighters who toll part in the first war of Independence-called 1857 mutiny by the British-should also be covered. If we have to keep alive the spirit of sacrifice, we shall have to adopt all adequate measures to render all possible assistance to the kith and kin of all the freedom fighter right from 1857. A detailed history of the freedom movement should be compiled and the lives of great freedom fighters should be taught to our children in Schools.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर काफी लम्बी चर्चा हो चुकी है और सरकार का उत्तर भी अभी आना है । फिर भी यदि प्रत्येक सदस्य केवल 5 मिनट ले तो सभी को अवसर मिलेगा श्री घूसिया ।

Shri Anant Prasad Dhusia (Basti) , As a political sufferer, I am very glad that this Bill has been brought forward by shri S. L. Saxena.

I recall that just after my marriage. the police raided our house. I and my brother were arrested, my wife was beaten, her cloths and ornaments were looted and our house was set on fire. I am ashamed of the use the word Pension' for us.

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary in the Chair]

I am pained to see the apathy of the Government towards freedom fighaters. I am sorry to say that nothing has been done for then in each district. Pension of Rs. 10/—or Rs. 20/—is nothing short of alms. I would appeal to shri Pant to instruct every district magistrate to go to the house of each freedom fighter to compile details and issue necessary certificates to them.

Dr. Kailas (Bombay-South) : Sir, I rise to support the Bill. Although, this Bill has received support from all quarters yet shri Pant has refused to jubge. The other day, our Government showed rare magnanimity in offering full pension equal to full pay to all those military personnel who lost their lives in the last Indo-Pak war. The entire country appreciated this gesture. But almost nothing was done for those martyrs but for whom the country would not have been free tobay. Very little, if any, was done by States like Maharashtra, U. P. Why can Government not bring a legislation to cover the entire country. Today, we may say that we have made material progress but normally we have gone down because we did not set laudable example.

As pointed out by shri Daga, the word 'Pension' should be substituted by the word 'Honorarium'. I think if figures are prepared not more than 200 persons would be there to get this pension. The necessity of ruuning after MPs and MLAs and magistrates for getting certificates is also very unbecoming.

I sincerely hope that when shri Pant replies, he would promise to bring a comprehensive Legislation. I would also like to know the number of fighters who have been awarded national awards so far.

Shri Saxena has been a great freedom fighter and though he is not in our Party, he deserves all our respect and praise because he lives and dies for the people. I am thankful to him for bringing such legislation and thus offering us an opportunity to air our feelings. I wish that this issue be taken up by the Press so that Government's attention is drawn towards it for the betterment of our past freedom fighters as has been done for our recent fighters.

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I am glad to know that Govt. is considering to bring a comprehensive Bill in this connection. I request that Bill may be introduced during the current Session so that those people who have sacrificed their lives for the sake of the country those who are alive or whose dependents are passing a miserable life may get the maximum benefit.

Some freedom fighters who had been imprisoned in the Andaman jails a few years back, are not getting any pensions. They should be paid pensions.

Some of the freedom fighters are in a miserable conditions. They have neither any house to live nor food to eat. People who have some approach with the Minister come to light whereas the ordinary people's name is neglected. Those people should be given economic assistance and arrangement for houses should be made for snch freedom fighters.

A book should be published regarding the life sketches of all the freedom fighters so that it may give encouragement to young generation. It is our duty to give them as much assistance as possible and we may make their courage and sacrifices known to the public.

Shri S. M. Banerji (Kanpur) : In reply to a question, shri Pant had outlined a proposal for the grant of pension to freedom fighters or their families as the case may be. I want to know whether a Bill will be necessary and if so, when it is being brought.

Secondly, I want to state with a very heavy heart that, the next of such great martyrs as Chandra Sekhar Azad, Khudi Ram Bose, Bhagat Singh and 'Bismal' have had to lead very hard life and after much persuation a grant of merely Rs. 20/—p. m. was offered to them. We must do something for their families.

Thirdly, the memorials of these great martyrs, like that of Bhagat Singh was previously lying in a very delapidated condition. It was later re-built, but unfortunately now it is in Pak occupation. We should get it back through seettlement as early as possible.

I also want that the statue of Bhagat Singh be installed in front of Parliament House, who shook the British Raj by throwing a bomb in the Chamber.

I congratulate the organisers of this year's Republic Day programme, which conveyed its real meaning to the younger generation of our country for the first time.

With these words, I support this Bill and request shri Pant to bring another Bill so as to enable shri Saxena to withdraw this Bill.

Shri Swami Bramhanandji (Hamirpur) : The provision regarding production of certificates by freedom fighters or their next of kin is shameful. When Government gets a report of all the activities of bad characters, why cannot they get information about these freedom fighters. Secondly, I would suggest thati nstead of giving pension, they should be brought in the Rajya Sabha and Legislative Councils. The Government appears to have forgotten them. Today, the Ministers who should serve all, are always surrounded by people of their own area. They are difficult of access. Power has gone to their heads. Twenty-five years after Gandhiji's death, the plight of Harijans has not .abated.

Dr. Govind Dass Richaria (Jhansi) : Sir, I want shri Pant to bring a Bill to replace the present one which should include provisions for freedom fighters who took part in all freedom movements starting from that of 1857. Those Indian rulers who conspired against the Rani of Jhansi have been enjoying rewards from the British as well as our own Government till very recently. Whereas people like the Raja of Bhanpur and his family have suffered all along. Similarly, all subsequent freedom struggles had Jhansi as its storm centre. Even Chandra Sekhar Azad learnt the initial lessons in Jhansi and its neighbouring jungles I want that the provision regarding suffering imprisonment as a qualification for grant of pension should be made cemprehensive so as to include all sort of trials and tabulations suffered by the freedom fighter and his family. Moreover, the minimum limit of the peried of imprisonment undergone by a freedom fighter should also go.

In the end I would again request shri Pant to bring a more comprehensive Bill to enable shri saxena to withdraw his Bill.

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur Although some States like Punjab had done something to help the freedom fighetrs but it was inadequate in the present time. I am, therefore, happy to note that the Government of India has come forword with a scheme for them on an all-India basis. I had a talk with shri Pant on the matter and he had said that he was bringing a Bill. It is the responsibility of all of us to see that those who brought independence nearer, do not starve and do not feel neglected. The minimum we can do is to divert in this direction the total purse money which was hitherto being given to ex-rulers. The sacrifices made by our youths before 1947 should find a mention in School textbook so as to acquaint the present-day children and youths of the glorious deeds of their elders because these deeds are now a part of our cherished history.

Apart from grant of pension, facilities like education. housing etc, should also be extended to them. We should deem to have done our duty only. when they feel that the nation has not neglected them and left them uncared for.

In the end I request shri Pant to bring a Bill as early as possible.

श्री धामनकर (भिवंडी) कुछ राज्य स्वतन्त्रता सेनानियों को राहत तथा सहायता दे रहे हैं। लेकिन यह उचित होता यदि केन्द्रीय सरकार इस बारे में एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करती और समस्त देश में स्वतन्वता सेनानियों को समान राहत और सहायता देती।

ऐसे सेनानियों के बारे में विचार नहीं किया जा रहा है जिन पर मुकदमा चल रहा है, या जो भागे हुए थे। जिन लोगों को सजा मिली थी उन्हें बड़ी कठिनाई से जेल विभाग से सम्मान पत्र मिलता है। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाएं मिलती हैं। ऐसे स्वतन्वता सेनानियों के मामले में भी विचार किया जाना चाहिए जिन पर मुकदमा चल रहा है अथवा जिन्हें भागा हुग्रा घोषित कर दिया गया था। पन्त जी इस दिशा में सक्रिय कार्य कर रहे हैं। यदि इस सम्ब्रन्ध में एक विस्तृत विधेयक सदन में लाया जाता है तो हम उन लोगों के प्रति न्याय कर सकेंगे जिन्होंने देश के लिए त्याग किया है।

Shri Basant Rao Pursotam ***S*****athey** (Akola) : After Twenty five years of independence nothing has been done for the freedom fighters. Some people who have actually taken part in the freedom fight, have been ruined.

I request that they should be given proper respect. People who have sacrificed their lives from the year 1857 till independence should be given some **Tamra Patra** which may be kept for a long time so that after hundreds of years, it might be told to the member of their family that they took part in the freedom movement. They should have been given atleast hundred rupees in the form of pension.

गृह-मंत्रालय में राज मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) श्री शिब्बन लाल सक्सेना ने स्वतन्त्रता संग्राम में सराहनीय काम किया है। उनकी सेवाओं को भुलाया नहीं जा सकता। सदन् में और भी एसे सदस्य हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया है।

मैंने भी स्वतन्त्रता संग्राम को काफी निकट से देखा और उसमें भाग लिया हैं। अतः सभा में व्यक्त की गई भावनाओं से प्रभावित होना मेरे लिए स्वाभाविक है। मुझे भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों पर गर्व है।

स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय सरकार और अधिक सहायता दे रही है। राज्य सरकारों ने भी इस मामले में अपनी योजनाएं तैयार की है।

सभा में इस विषय पर कुछ समय पूर्व हुई चर्चा के समय अनेक सदस्यों ने भी विचार व्यक्त किये थे कि राज्य सरकारों द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को दी जाने वाली सहायता बहुत कम है और केन्द्रीय सरकार को उक्त धनराशि को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायता की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उत्तर प्रदेश राज्य ने इस बारे में कार्यवाही भी की है।

हम राज्य सरकारों को अपने राज्य में उन स्वतन्त्रता सेनानियों की संख्या बताने के लिए लिख रहे हैं, जिन्हें वे सहायता दे रहीं हैं। हमने इस बारे में आँकड़े एकत्र किये हैं। हम इन आंकड़ों का उपयोग, तैयार की गई योजनाओं को क्रयान्वित करने के लिए करेंगे। लेकिन राज्य सरकारें अपनी योजनाओं को स्वयं क्रियान्वित करेंगी।

वर्ष 1950 में जब इस मामले पर सदन् में चर्चा की गयी थी तब श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में एक नीति निर्धारित की थी वही नीति इस मामले में सरकार का पथ प्रदर्शन कर रही है। पंडित जी ने इस बात पर बल दिया था कि राज्य सरकारें स्वतन्त्रता सेनानियों की सामान्य तरीके से सहायता करें विशेष परिस्थितियां में केन्द्रीय सरकार भी सहायता दे सकती हैं। स्वतन्त्रता सेनानियों को होने वाली कठिनाइयों की सदन् के अनेक सदस्यों ने मुझे सूचना दी है। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को सहायता देने में मुझे बहुत संतोष होता है।

एक अन्य योजना के अन्तर्गत अन्दमान में 5 वर्ष जेल में रहे स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्रीय सरकार ने सहायता या पेंशन दी थी। अब स्थिति यह है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतन्त्रता संग्राम में अन्दमान में जेल में रहा हो, तो उसको पेंशन देने पर विचार किया जायेगा। अन्दमान जेलों में रहे व्यक्तियों के 275 मामलों में से 258 मामलों में पेंशन की मंजूरी दे दी गयी है। अधिततम 350 रुपये की पेंशन देना मंजूर किया गया है। गोआ के 8 स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देने की अनुमति दी गयी है। पेंशन की अधिकतम राशि 500 रुपये हैं। वर्ष 1971-72 में इन पर कुल व्यय 7.33 लाख रुपये हुआ था। बाकी मामलों को समाप्त नहीं कर दिया गया है। उन पर बाद में विचार किया जायेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह उल्लेख किया है कि स्वतन्त्रता सेनानियों को सत्यापन के मामलों में अनेक परेशानियाँ होती हैं। सत्यापन के मामले में हम प्रकाशित साक्ष्यों को स्वीकार कर लेते हैं। वित्तीय स्थिति के मामलों में हम शपथ-पत्र को स्वीकार कर लेते हैं। हम स्वयं यह

चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में उन्हें कम से कम कठिनाई हो, लेकिन इस सम्बन्ध में सत्यापन आवश्यक है। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले व्यक्तियों को हम परेशान करना नहीं चाहते।

हम अक्सर संसद सदस्यों द्वारा किये गये सत्यापन को स्वीकार कर लेते हैं। इस बारे में सदस्यों के यदि कोई विचार है, तो मैं उन पर विचार करने को तैयार हूँ।

स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले अनेक सेनानी कठिनाई की स्थिति में हैं। उनके बच्चे बड़े हो गये हैं। अतः सरकार ने उनको भी लाभ देने के लिए उक्त पेंशन योजना पर विचार किया है।

अन्य मामलों में भी केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी है। वर्ष 1857 में स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों के वंशजो को भी वर्ष 1957 से पेंशन दी जा रही है। स्वतन्त्रता सेनानियों के बच्चों को शिक्षा और चिकित्सा के मामले में सहायता देने के बारे में स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय ने अनेक सुविधाएं और राहतें दी हैं। उनके बच्चों को मैडिकल कालिज में प्रवेश दिलाने के मामले में मैं शिक्षा मंत्रालय से बात करूंगा। स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने वाले सेनानियों का इतिहास लिखने के विचार का मैं स्वागत करता हूँ। इस बारे में माननीय सदस्यों के और जो विचार हों, वे मुझे भेज दें। मैं उनके विचारों को अपनी स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए गठित समिति के सामने रख दूंगा।

स्वतन्त्रता संग्राम के शहीदों को भुलाया नहीं जा सकता। स्वतन्त्रता संग्राम और उस में भाग लेने वाली बड़ी विभूतियों के बारे में पाठ्य पुस्तकों में उल्लेख करने का कदम उचित दिशा में होगा। इससे बच्चों में स्वतन्त्रता संग्राम की याद ताजा हो जायेगी।

"हू इज हू" का खंड 1 पहले ही प्रकाशित हो चुका है। तथा खंड 2 का मुद्रण हो रहा है। खंड 3 का विषय 1857 का आन्दोलन होगा। इस ग्रंथ के लिखने का कार्य शिक्षा मंत्रालय की देख रेख में चल रहा है।

Shrimati Sahodrabai Rai (Sagar) : The Salary to be fines for Freedom Fighters Should not be less than Rs. 200

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : श्री डागा ने प्रश्न उठाया है कि क्या किसी राज्य सरकार ने स्वतन्त्रता सेनानियों को भूमि दी है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कई स्वतन्त्रता सेनानियों को भमि दी गई है। मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं परन्तु कुछ राज्यों ने इन सेनानियों को भूमि दी है। किसी भी स्वतन्त्रता सेनानी को मानदेय मिलने के आधार पर केन्द्र से सहायता देना बन्द नहीं किया जायेगा।

Shri Ram Dhen (Lalganj) : It may be clarified whether the pensian being given by state Governments would be included in the amount of Rs. 200

Shri K. C. Pant : That Woulde be included.

ऐसा सुझाव दिया गया था कि इसको पेंशन न कह कर मानदेय कहा जाये, परन्तु पेंशन की परिभाषा महोदय से भिन्न है, हमारा प्रयास यह रहेगा कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करें।

एक माननीय सदस्य : यदि इसको पेंशन न कह कर मानदेय कहा जाये तो वह ठीक रहेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि उनको अपने जीवन काल में नियमित रूप से पेंशन मिले और उनके जीवित न रहने पर उनके आश्रितों को यह पेंशन मिले। मानदेय भुगतान तदर्थ होता हैं परन्तु हमारा जोर नियमित रूप से भुगतान करने पर है।

मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह योजना राज्यों द्वारा इस दिशा में किये जा रहें कार्य से भिन्न है, क्योंकि माननीय सदस्यों की इसमें रुचि है इसलिए मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। इस योजना में कहा गया है कि सरकार 15 अगस्त, 1972 से उन स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन देगी जिन्हें स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व 6 महीने का कारावास मिला था। यह पेंशन मृत स्वतन्त्रता सेनानी के परिवार को भी मिलेगी, यह पेंशन साधारणतया जीवन भर के लिए होगी और 200 रुपये प्रति महीने से कम नहीं होगी, परिवार का केवल एक सदस्य ही पेंशन पाने का अधिकारी होगा, पेंशन का दावा करने वाले को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना चाहिए जो राज्य सराकर, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं।

Dr. Govind Das Richhariya(Jhansi) : May I know whether Freedom Fighters of 1957 will not be included in this scheme.

Shri K. C. Pant : We give pansion to same of them. We will consider other cases also.

Shri D.N. Tiwary (Gopalganj) : It would have been better if the Pro-forma is obtained from District Magistrate.

Shri K. C. Pant : It would be given Consideration.

15 अगस्त, 1972 के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों के प्रेषकों को मंजूरी तिथि से पेंशन दी जायेगी। जिन सेनानियों की वित्तीय स्थिति ठीक है, उनको एक प्रमाणपत्र दिया जायेगा जिसमें उनकी सेवाओं की प्रशंसा की जायेगी, हो सकता है कि यह ताम्रपत्र हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : यदि इस धनराशि को देने का उद्देश्य उनके द्वारा की गई सेवाओं के प्रति आधार प्रगट करना है तो धन को लेना या न लेना उन पर छोड़ देना चाहिए। यदि कोई इतना संपन्न है कि उसे 200 रुपये नहीं चाहिएं, तो यह उसी इच्छा पर छोड़ा जा सकता है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे विचार में जिन लोगों के पास साधन हैं, वे इसके लिये आवेदन नहीं करेंगे।

Shri B. P. Maurya : Why you do not mention date as August 15, 1972.

Shri K. C. Pant : If any one sends application before August 15, 1972 he will get pension from August 15, 1972 but if the application is received in 1974 then he will not get the pension from 1972.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं एक शुद्धि करना चाहता हूँ। यदि किसी की आय 5,000 रुपये वार्षिक है तो पेंशन के लिये उसके आवेदनपत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

Shri Ram Daan (Lalganj) : There are many freedom fighters who remained underground for many years. They have certificates. You have fined the period of six months, then what would happen in such cases.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं इस बात को समझता हूँ। इसमें कठिनाइयाँ हैं। हम ऐसे लोगों की सहायता करना चाहेंगे। परन्तु किसी योजना में विशिष्टता तथा स्पष्टता को स्थान दिया जाता है। इसमें जाँच भी करनी होती है। वास्तव में हम विचार कर रहे हैं कि इस श्रेणी के लोगों के साथ क्या किया जाये। दूसरी प्रकार की कठिनाई उन लोगों के बारे में है जिन पर लम्बे समय तक मुकद्दमा चला था परन्तु वास्तव में उनकी दोषासिद्धि नहीं हुई थी। उन्होंने कुछ समय जेल में काटा था। ऐसे इने-गिने मामलों में कठिनाई हो रही है। हम इनकी जांच कर रहे हैं।

श्री वसन्तराव पुरुषोत्तम साठे : इसके लिए जेल जाना आवश्यक नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान किया है। इसी बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक ऐसा विधेयक लाने का सुझाव रखा गया था जिसमें विस्तृत योजना के सभी पक्ष सम्मिलित हों। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का विधेयक लाने से पूर्व इस योजना की जाँच की जानी चाहिए। इसमें काफी लोचशीलता की गुंजाइश रखी गई है। यदि इस सम्बन्ध में कानून बना दिया जाता है तो कई प्रकार की औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ेगा। इसलिए इस योजना को चलाना ही ठीक रहेगा। यदि इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी अथवा इसको अधिनियम का रूप देना अपेक्षित होगा, तो उस पर विचार किया जायेगा।

इस विधेयक को पेश करने में माननीय सदस्य का उद्देश्य प्रशंसनीय है। वे चाहते हैं कि इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक विषय आएं। परन्तु उन्होंने इस प्रकार के स्वतन्त्रता सेनानियों की जो संख्या बताई है, वह बहुत कम है। इसके अतिरिक्त इसमें वित्तीय कठिनाइयां भी हैं। हम सब इस विधेयक को सभा में पेश करने में माननीय सदस्य की भावना की प्रशंसा करते हैं। परन्तु हमारा निवेदन है कि हमें इस योजना को क्रियान्वित करने का अवसर दिया जाये।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं कतिपय स्पष्टीकरण चाहता हूँ। इस योजना के अन्तर्गत हजारों स्वतन्त्रता सेनानी आने से रह जायेंगे। मैं आपका ध्यान प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान हुई घटनाओं की ओर दिलाना चाहूंगा। आप एम० एन० राय और जतीन मुखर्जी जैसे नेताओं के मामले ले सकते हैं, जो भारत जर्मन षड़यंत्र मामले में अन्तर्ग्रस्त थे। ये क्रान्तिकारी यूरोप के देशों को भाग गये थे और उन्हें कारावास नही मिला था। इस प्रकार कई अन्य उदाहरण दिये जा सकते हैं, इनके परिवारों का क्या होगा?

अजाद हिन्द फौज के सदस्यों का मामला महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया था। उन्हीं की शरीर की राख पर हमारी स्वतंत्रता का भवन खड़ा है। वे जेल नहीं गए थे। इसी प्रकार आप अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं। यदि इन लोगों को इस योजना के अन्तर्गत नहीं लाया जाता है, तो हजारों स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों के परिवारों का क्या होगा।

मैं आपका ध्यान जिलाधीश द्वारा दिये जाने वाले प्रमाणपत्र अथवा शपथपत्र की ओर दिलाना चाहता हूँ। यहाँ यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि केवल संसद सदस्य और विधायक इसकी सत्यता की जांच करके सिफारिश के लिए प्रस्तुत करेंगे।

अन्त में मेरा यह कहना है कि संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए जो आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने तथा पेंशन देने के बारे में सलाह देगी।

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : In case of Bihar, records are not available in regard to those persons who want to apply for pension. The Government has destroyed all records up to 1942. What the Government wants to say in such matters.

सभापति महोदय : मेरे विचार में मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा है, अब श्री सक्सेना इसका उत्तर देंगे।

श्री समर गुह : मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। इस योजना के अन्तर्गत हजारों स्वतन्त्रता सेनानी और शहीदों को नहीं लाया गया है। मैं मंत्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूँ कि इस को योजना के अन्तर्गत क्यों नहीं लाया जा रहा है।

(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह :*

सभापति महोदय : इस विजय पर वाद-विवाद काफी समय से चल रहा है। आपने बोलने के लिए अनुमति नहीं माँगी है। मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिए जाने के बाद आप नए रूप से वाद-विवाद आरम्भ कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने उन स्वतन्त्रता सेनानियों के बारे में जो विदेश चले गये है, या जो नजरबन्द थे या जो आजाद हिन्द फौज में थे, जो कुछ कहा था, उसको कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है, वे मंत्री महोदय से मिल सकते हैं।

श्री समर गुह : (व्यवधान)*

सभापति महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा*

श्री समर गुह :*

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मेरा एक निवेदन है। इस सभा में आजाद हिंद फौज के बारे में कई बार कहा गया है, यदि मंत्री महोदय केवल यह कह दें कि इस मामले पर भी विचार किया जायेगा तो यह सब सदस्यों को संतुष्ट कर देगा। मंत्री महोदय इस पर कुछ तो कहें।

सभापति महोदय। आजाद हिंद फौज के सेनानियों के प्रति मेरे मन में आदर है। जब माननीय मंत्री ने उत्तर दिया, माननीय सदस्य श्री समर गुह द्वारा यह प्रश्न उस समय पूछना ही ठीक रहता।

श्री डी. एन. तिवारी : माननीय मंत्री के भाषण के पश्चात अनेक सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे थे और माननीय मंत्री ने उनका स्पष्टीकरण किया। अतः यदि श्री समर गुह किन्हीं बातों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं, तो उसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not recorded

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने प्रेस विज्ञप्ति को पहले विस्तृत रूप से पढ़ दिया है और बताया है कि पेंशन को पाने के लिए कौन से व्यक्ति हकदार होगें। अतः मेरे विचार से इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन शहीदों के भी वर्ग हैं। इसके लिए दो कसौटियां हैं। एक कसौटी है कि वह मुख्य भूमि की जेल में 6 महीने रहा हो। लेकिन जो बाहर की जेल में रहे हैं, उनके लिए अन्य योजना पहले से ही है। इसके अतिरिक्त उनको यह सिद्ध करना होगा कि वे शहीद हैं।

प्रो एस० एल० सक्सेना (महाराजगंज) : मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री स्वतंत्रता सेनानियों का महत्व, हाल के युद्ध में लड़ने वाले हमारे बहादुर सिपहसालारों के समान, स्वीकार करती हैं। राज्य सरकारों द्वारा पेंशन देने का तरीका ठीक नहीं है। सर्वप्रथम उन्हें जेल जाने का प्रमाण-पत्र देना होता है। अधिकांश मामलों में ये प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि रिकार्ड को नष्ट कर दिया गया है। जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है कि राष्ट्र स्वतंत्रता सेनानियों का ऋणी है। राष्ट्र का भी यह कर्तव्य हो जाता है कि वह उन लोगों का पता लगाये, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लड़े हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये लड़ने वाले लोगों का नाम पता करके उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलनी चाहिए क्योंकि वे स्वतंत्रता के लिये लड़े हैं और इससे हम उनका सम्मान कर पायेंगे। वे चाहें तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं या सरकार को वापस लौटा सकते हैं। अतः सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना में प्रयुक्त शब्द "उपयुक्त मामले" ठीक नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट को इस सम्बन्ध में जांच करने के लिए नही कहना चाहिये। वक्तव्य में यह कहा गया है कि पेंशन की राशि 200 रुपये से कम नहीं होगी। इससे मंत्री महोदय उन स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने यातनाएं सही हैं या जो शहीद हुए हैं, आश्रितों को उनकी आवश्यकता तथा परिस्थिति के अनुसार अधिक पेंशन दे सकेंगे। अतः इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये। "परिवार" शब्द की भी स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए।

"स्वतंत्रता संघर्ष" की परिभाषा में गोआ स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता संघर्ष को और उन क्षेत्रों के लोगों के स्वतंत्रता संघर्ष को जो अब पाकिस्तान के भाग बने हुए हैं, शामिल किया जाना चाहिए। तत्पश्चात आजाद हिन्द फौज के संघर्ष और अन्य भारतीय राज्यों आदि के स्वतंत्रता संघर्षों को भी शामिल किया जाना चाहिये। "स्वतंत्रता संघर्ष" की व्याख्या को व्यापक बनाया जाना चाहिए।

मैंने यह भी सुझाव दिया है कि स्वतंत्रता सेनानियों को पुरस्कारों के अतिरिक्त कुछ अन्य छूट भी दी जानी चाहिए। स्वतन्त्रता आन्दोलन में बहुत से लोगों की सम्पत्ति और भूमि छीन ली गई है। वह उन्हें वापिस दी जानी चाहिए अपनी लड़कियों की शादी करने के लिये उन्हें धन दिया जाना चाहिए। अपने बच्चों की शिक्षा के लिए उन्हें सुविधायें भी जानी चाहिए।

स्वतन्त्रता सेनानियों की प्रत्येक देश ने किसी न किसी तरह से सहायता की है। हमारे देश में भी सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिये क्योंकि राष्ट्र उनका ऋणी है। उन्होंने बलिदान किया है और उन्हें इसके बदले में कुछ नहीं मांगना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है, सरकार को उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रमाण-पत्र लेने के लिये उन्हें जिला मजिस्ट्रेट

अथवा एस० डी० ओ० के पास जाना पड़ता है। उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार ने जो वक्तव्य दिया है, वह बहुत दोषपूर्ण है। उसमें सुधार किया जाना चाहिए तथा योजना को क्रियान्वित किया जाना चाहिएं। इन सभी कारणों से मैं इस विधेयक पर जोर नहीं देता और विधेयक को वापिस लेता हूँ।

सभापति महोदय : श्री डागा ने, जो इस समय सदन में उपस्थित नहीं हैं, एक संशोधन पेश किया है कि विधेयक पर 1 मार्च, 1972 तक जनमत जानने के लिए, उसे परिचालित किया जाये। वह तारीख पहले ही निकल चुकी है और अब हमें इस तिथि को 1 जुलाई, 1972 तक बढ़ा देना चाहिये। मुझे आशा है कि सदन इससे सहमत है। मैं इस संशोधन को मत-विभाजन के लिये रखता हूँ : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक जनमत जानने के लिये 1 जुलाई, 1972 तक परिचालित किया जाये।"

संशोधन अस्वीकृत हुआ
The amendment was negatived

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्तावक को विधेयक वापिस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

प्रो० एस० एल० सक्सेना : मैं विधेयक वापिस लेता हूं :

संविधान संशोधन विधेयक
Constitution (Amendment) Bill

अनुच्छेद 141 का संशोधन और नये अनुच्छेद 143क आदि का अन्तःस्थापन

श्री सी० एम० स्टीफन (मु तुपुजा) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

इस विधेयक का एक उद्देश्य गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय को निष्प्रभावित करने तथा संसद को मूलभूत अधिकारों सहित भारत के संविधान में संशोधन करने की उसकी मौलिक शक्तियों को प्रदान करना है। लेकिन मेरे इस विधेयक का समूचा उद्देश्य केवल यहीं नहीं है। विधेयक के खण्ड 6 का उद्देश्य 24वें संशोधन विधेयक से पूरा हो जाता है, लेकिन मेरे विधेयक के अन्य उपबन्ध इसमें शामिल नहीं हैं।

संविधान के अन्तर्गत संविधान की सुरक्षा करने तथा उसके उपबन्धों को क्रियान्वित करने का दायित्व तथा अधिकार तीन प्राधिकरणों को दिया गया है। उनमें एक विधानमण्डल है जो संविधान के उपबन्धों के अनुसार कानून बनाता है। कानून बनाने में विधानमण्डल का मार्ग दर्शन

दो सिद्धान्तों से होता है । एक अनुच्छेद 37 में उल्लिखित है, जिसमें कहा गया हैं कि कानून बनाते समय विधानमण्डल को अध्याय चार में उल्लिखित निदेशक तत्वों से मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिए और दूसरे उसे अनुच्छेद 13 के अन्तर्गत कोई ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिये जो मूलभूत अधिकारों के उपबन्धों का उल्लंघन करते हों । अतः संविधान द्वारा संसद अथवा राज्य विधान-मंडलों को प्रदत्त शक्तियों के संदर्भ में यह सुनिश्चित किया गया है कि इस विधेयक के उपबन्ध उनकी संवैधानिक शक्तियों से बाहर न हो । उच्चतम न्यायालय उस कानून की व्याख्या करता है और इसलिए इन दोनों में कभी टकराव भी हो जाता है ।

संवैधानिक विधि अन्य विधियों से भिन्न होती है । संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब संविधान के निर्वाचन का प्रश्न आये तो उच्चतम न्यायालय पाँच अथवा इससे अधिक न्यायाधीशों के एक पीठ का गठन करेगा । उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है कि समय-समय पर अपने विवेकानुसार विधि की व्याख्या करे, चाहे पहले पीठ ने कुछ भी कहा हो । उच्चतम न्यायालय को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है । संवैधानिक विधि के मामले में भारतीय विधि तथा अमरीकी विधि दोनों में इस बात को स्वीकार किया गया है कि संवैधानिक विधि मौलिक होती हैं और संवैधानिक विधि के किसी निर्वाचन पर राष्ट्र के लिए पूर्वोदाहरण का नियम लागू नहीं होता है ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रखें ।

इसके पश्चात लोक सभा शनिवार, 18 मार्च, 1972/28 फाल्गुन, 1893 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, March 18, 1972/ Phalgunna 28, 1893 (Saka).

Sumer Printing Press, New Delhi-18